रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 1991/भाद्र 12, 1913
No. 488] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 1991/BHADRA 12, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1991

निर्यात व्यापार नियंत्रण सं. नि. (नि.) आ., 1988/ए एम (96)

का.आ. 567(अ) :—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण), आदेश, 1988 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) (16वां संशोधन) आदेश, 1991 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1988 में :—

(1) अनुसूची-1 में वर्तमान भाग-क के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

सूची–1

वे मदें जिनका निर्यात अनुमति नहीं है

क्रमांक	मदों का विवरण
1.	अंगोरा बकरी के बाल या मोहेयर
2.	(1) केला सर्कल (पौध) (2) काजू के पौधे

क्रमांक मदों का विवरण

3. गोमांस

4. (1) बीच-डि-मेर, 3 इंच से कम आकार के

(2) 50% से कम प्रोटीन वाला मत्स्य चूर्ण

5. बेरिल जिसमें रत्न किस्म का बेरिल शामिल है

(2) अपरिष्कृत (बिना कटे और बिना जड़े) कीमती पत्थर और राक क्रिस्टल क्वार्टस ।

6. अस्थि चूर्ण

7. केम्थरडाइन बीटल्स

8. (1) मवेशी

(2) ऊंट

9. क्रियाशील काठकोयला/क्रियाशील कार्बन को छोड़कर सभी तरह का काठकोयला ;

10. निम्नलिखित रसायन :

(1) एसेटिक एनहाइड्राइड

(2) सायन्यूरिक क्लोराइड

(3) नेफ्थालीन

(4) पी.वी.सी. रेजिन

(5) टाइप-3 को छोड़कर पैराफिन मोम

11. सिनकोना के बीज और छाल

12. छिलका रहित सम्पूर्ण नारियल को छोड़कर नारियल और गरी, नारियल प्रोटीन, नारियल शहद, नारियल का आटा और सुखाया हुआ नारियल ।

13. क्रिओसोल तेल (हल्का और भारी) कोलतार और ऐसे मिश्रण जिसमें कोलतार हो ।

14. डायोमजेनिन और डायोस्कोरिया की जड़ें ।

15. पवित्र कुरान की आयातों के उद्धरणों के छापे वाली पोशाक सामग्री, सिले-सिलाये वस्त्र फेब्रिक टैक्सटाइल की मदें ।

16. बिनौले की सक्सपेलर खली को छोड़कर सभी तरह की एक्सपेलर खली ।

17. विदेशी पक्षी ।

18. मिल स्क्रेप स्क्रेप को छोड़कर फेरस स्क्रेप

19. सभी किस्मों/श्रेणियों के अन्य बीज, मूल और प्रजनक बीज ।

20. (1) मेंढ़क और उसके अंग (संशोधित मेंढक को छोड़कर)

(2) तुतिकोरिन, मद्रास, कोकिनाडा, विशाखापत्तनम, पारादीप और कलकत्ता के भागों से 200 ग्राम से कम भार की और दूसरे सभी पत्तनों से 300 ग्राम कम भार की ताजी और जमी हुई सिल्वर पोमफ्रेट्स ।

21. मेमनों के लोमचर्म को छोड़कर पालतू पशुओं के लोमचर्म ।

22. सुपर फास्फेट सहित लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएन्ट खाद को छोड़कर सभी प्रकार के खाद ।

23. चूर्ण के रूप में फार्मयार्ड खाद

24. जीरेनियम तेल

25. सजावटी और अखाद्य घास से भिन्न घास

26. (1) मूंगफली की खली (एक्सपेलर किस्म की)

(2) तेल रहित मूंगफली की खली जिसमें एक प्रतिशत से ज्यादा तेल हो ।

27. निम्नलिखित गोंद और रेजिन्स :—

ओलियो रेजिन्स एक्सपीनस लोंगीफोलिया ।

क्रमांक	मदों का विवरण

28. हाथ से बने रेशम के धागे

29. निम्नलिखित खालें और चर्म :—

(1) एनिमल ग्लू जिलेटिन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त खालों और चर्म के कटिंग और फ्लैशिंग

(2) मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर सभी प्रकार की कच्ची खालें और चर्म

(3) ई.आई. टेन्ड और वेट नीली खालें और पपड़ीदार चर्म और चमड़े सहित अर्ध संसाधित खालों और चर्म की सभी श्रेणियां

(4) शीयरिंग लेदर-फर स्वेद/हेयर हेयर-ऑन स्वेद/शियरिंग स्वेद लैदर्स

(5) फर लैदर्स

(6) इन्डस्ट्रियल लैदर्स नामश :—

(1) साईकल सैडल लैदर्स

(2) हाईड्रालिक/पैकिंग/बेल्टिंग/हार्नेस/बाशर/लैदर्स

(3) पिकलिंग बैन्ड लैदर्स

(4) स्ट्रैप/कोम्प्रेंग लैदर्स

(7) लाइनिंग लैदर्स नामश:

(1) गाय और बैल की खालों और बछड़े के चर्म से

(क) रंगीन लाइनिंग लैदर

(ख) लाइनिंग स्वेद/हील ग्रिप स्वेद लैदर्स

(8) लगेज लैदर्स-केस हाइड या साइड/सूट केस/हैण्ड बैग/लगेज/कैशबैग लैदर

(9) विविध चमड़े नामश :

(1) बुक बाइन्डिंग लैदर्स

(2) सिल्वर लैदर्स

(3) ट्रान्सिस्टर केस/कैमरा केस लैदर

(10) शू अपर लैदर्स, नामश :

(1) सुम्बर लैदर

(2) कटाई स्लीपर/सैण्डल लैदर

(11) सोल लैदर-क्रोम टेनूड सोल लैदर

30. (1) मानव अस्थिपंजर और उसके भाग

(2) मानव अस्थिपंजर के अलावा अन्य अस्थि पंजर और उनके भाग

31. अविनिर्मित हाथी दांत से बने हाथीदांत और हाथीदांत के उत्पाद

32. निम्नलिखित से विनिर्मित वस्तुएं :—

(1) रेंगने वाले जन्तुओं/साधों की खाल; और

(2) मेंगूज हेयर

33. निम्नलिखित से विनिर्मित वस्तुएं :—

(1) पोरक्यूपाइन क्विल्स

(2) शेड एन्टलर्स (चीतल और साभर के)

क्रमांक	मदों का विवरण

34 निम्नलिखित धातुएं और उनके कम्पाउन्ड :—

(1) बेरिलियम और इसके कम्पाउण्ड
(2) लिथियम और इसके कम्पाउण्ड
(3) नेपच्यूनियम और इसके कम्पाउण्ड
(4) प्लूटोनियम और इसके कम्पाउण्ड
(5) रेडियम और इसके कम्पाउण्ड
(6) थ्योरियम और इसके कम्पाउण्ड
(7) यूरेनियम और इसके कम्पाउण्ड
(8) जिरकोनियम और इसके कम्पाउण्ड
(9) इरिडियम इरिडोस्माइन और ओसमीरीडियम
(10) सेलिनियम
(11) ड्यूटोरियम कम्पाउण्ड
(12) मरकरी

35. निम्नलिखित खनिज अयस्क और सांद्रण :—

(1) रेडियम अयस्क और सान्द्रण
(2) यूरेनियम अयस्क और सान्द्रण
(3) अयस्क से तांबा या सोना अलग करने के बाद बचे हुए यूरेनियम धारित टेलिंग
(4) जस्ता अयस्क
(5) क्रोम अयस्क और सान्द्रणा, उनको छोड़कर जो भाग ख में उल्लिखित है
(6) जस्ता सांद्रणी
(7) वेनेडियम अयस्क और सान्द्रण
(8) वेनेडियम धारित लौह अयस्क जिसमें 0.2 प्रतिशत से अधिक की 2 ओ 5 की मात्रा हो
(9) टंगस्टन वालक्रेम (अयस्क और सान्द्रण)
(10) एन्डेल् साइट
(11) सभी श्रेणियों के केनाइट
(12) सिलिमेनाइट की सभी किस्में (ग्रेनुलर सिलिमनाइट को छोड़कर)
(13) 7.5 प्रतिशत से कम सिलिका की मात्रा के साथ केल्साइड मेग्नेसाइट और भुनाया हुआ मेगानेसाइट
(14) सभी आकारों और श्रेणियों के एस्बेसटोस की क्रिसोटाइल क्रोसिडोलाइट और समोआइट किस्में
(15) केल्साइन्ड बाक्साइट
(16) हटाया गया
(17) 46 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज वाली लम्पी ब्लेंडिड मैंगनीज अयस्क
(18) कच्चा मैगनेसाइट और फ्यूज्ड मेगनेसाइट

36. प्राकृतिक रबड़

37. मलबरी छिद्रित कोकून

38. निम्नलिखित तेलहन, नामश:

(1) अरन्डी के बीज
(2) बिनोला
(3) अलसी
(4) सूरजमुखी के बीज
(5) सोयाबीन
(6) सरसों/तोरिया के बीज

क्रमांक मदों का विवरण

39. प्याज के बीज

40. सन की लुगदी को छोड़कर बांस की लुगदी सहित कागज श्रेणी की लुगदी

41. जीवित कीटों वाले पसेवा और कोई लाख

42. ढलवां लोहा

43. (1) दालें सभी किस्में जिनमें लेन्टिल्स, ग्रास और बीन्स और उनसे बना आटा शामिल है।

(2) अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम/पासबुक के तहत अथवा शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट द्वारा आयातित दालों से बनी हुई से भिन्न संसाधित दालें।

44. (1) कच्चे प्लेसेन्टा, प्लेसेन्टल ब्लड/प्लाजमा

(2) सम्पूर्ण मानव रक्त प्लाजमा और मानव रक्त से लिए गए सभी उत्पाद जिनमें मानव प्लेसेन्टा और मानव प्लासेन्टल रक्त से विनिर्मित मानव गामा ग्लोबलिन और मानव, सीरम, ग्लोबुलिन शामिल नहीं हैं।

45. 36 एस. क्वालिटी देशज से अधिक का कच्चा ऊन

46. (1) चावल की भूसी कच्ची और उबाली हुई

(2) धान (छिलके सहित चावल)

47. रॉक फ़ास्फेट

48. निम्नलिखित बीज :—

(1) काजू बीज

(2) ढेंचा और बरसम बीजों से भिन्न हरी खाद के बीज

(3) ग्वार बीज (सम्पूर्ण)

(4) पटसन बीज

(5) नीबू घास के बीज और जड़

(6) मैस्ता बीज

(7) पेपर कटिंग्स या पेपर की रुटिड् कटिंग्स

(8) पेटरोकारपस सेण्टालिन्स (लाल सेंडर्स बीज)

(9) रबड़ बीज

(10) रूसा घास बीज और टपटस

(11) सेन्टालम एलेबम (चन्दन की लकड़ी)

(12) (क) पौधे, पौधे के भाग और व्युत्पन्न

(1) एकोनीटम डिउनोरहीजम (स्टेन्ट रेननकुलेसी)

(2) एट्रोपा एक्युमिनाटा रायले एक्सलिंडल सोलेनेसी

(3) एरिस्टोलोचिया सप्प (एरसटोलाचियास)

(4) एजियोष्ट्रिसस्पसप्प (फर्न)

(5) बालानोफ़ोरा सप्प (बालानोफ़ोरासी)

(6) कोलचिकस ल्यूटियम (बेकर लीलीएसी)

(7) कोम्महीरा (व्हिटी आर्न भन्डारी बसरा सी)

(8) क्रोप्टिस टीटा (वाल रेनुकुला सीन)

(9) साईएथिया गिगनेटिया (वाल एक्स हुक-साएथि सी)

(10) डाईयसकोरिया डलटोडिया वाल एक्स कुन्थ डियोसोरिसिस)

(11) ड्रोसेरा बीमानी (वहाल ड्रोसेराची)

(12) ड्रोसेरा इण्डिका लिनन-ड्रोसरबेसी

(13) जेंशियाना कुरु (बायल जेंन्टियानेसी)

(14) ग्लोरिओसा सुपरबा (लालाऐसी) खेतों में उगाए गए ग्लोओसा सुपर्बा (लिलिऐसी) बीजों से भिन्न

क्रमांक	मदों का विवरण
	(15) जेनिटम एस पी पी (जेनिटेसी)
	(16) एफीजिनिया कुन्धि (मोलाएसी)
	(17) मेकेनोपसिस वेटोनिसिफोलिया (फेन्सेटा वेपावरासी)
	(18) मारदोस्टाचिस ग्रांडिफ्लोरा (डी सी वेलिनिओनेसी)
	(19) नेपनथिस खासीयाना (हुक-एफ-नेपनथेसी)
	(20) असमुन्डा प्लेटोनियाना (असमुन्डेसी)
	(21) असमुण्डा रेगालिस (असमुअन्डेसी)
	(22) पोडो फाइलम हेक्सन्ड्स (रायल-पोडो फिलेश)
	(23) रोवालफिया सर्पेन्टिना (लिश बेन्थ एक्स कुज एपी सापूनेसी)
	(24) रोडोडेन्ड्रोन स्प्स (एरिकेसि)
	(25) रियुएभोडो (बाल एक्स मेइसन-पालिगोनेपसिया)
	(26) अरुनडिनेरिया जोनासीरनसिया
	(27) ग्यांबिएक्स गिगनटिया
	(28) सासकम मेहोली
	(29) राबलफिया केनेसियंस
	(30) डियोस्कोरिया परेजरी
	(31) एकोनिटम हेटेक्साफिलम
	(32) बरबेटस अरिस्टेटा
	(33) कोटिस टीटा
	(34) नारदोस्ताशिस जाता मांसी
	(35) फाम्सोसहाइमा प्रेश्टा
	(36) परवाल्तिया सरपमलिया
	(13) मिस्र की वनमेथी (बर्सीम) ट्रिफोलम एलाक्सटम बीज
	(14) लुअोन (अफ्फाल्फा) मेडिकेगी सेटाईवा बीज
	(15) फारस की वनमेथी (शफताल ट्रिफोलम रिस्पुनेटम बीज
	(16) केसर के बीज या दाने (केसर के पौधे लगाने के लिए सामग्री)
	(17) नक्स वोमिका बीज, छाल पत्ते, जड़ें व उनका चूर्ण
	(18) सभी तिलहनों और दालों के बीज
	(19) गेहूं बीज और चावल बीज (जंगली किस्म)
	(20) सजावटी पौधों के बीज (जंगली किस्म)
	(21) जंगलों में प्राप्त कुथ (कोस्टस लप्पा सिन, सोसारिया लप्पा सी बी सी क्लार्क एस्टाररोसिया)
49.	(1) समुद्री सीप
	(2) सभी प्रकार की समुद्री घासें
50.	रेशम के कीड़े
51.	निम्नलिखित रेशम रद्दी :—
	(क) प्लेस्टर और हार्ड सिल्क वेस्ट

क्रमांक	मदों का विवरण

(ख) मलबरी सिल्क वेस्ट जिसमें साक और गम हित रेशम की रद्दी भी शामिल है ।

(ग) नोइल्स और थ्रामिग्स

(घ) बेसिन रिफ्यूज

52. मछली तेल को छोड़कर किसी भी पशु का पिघला हुआ या बिना पिघला या अन्य प्रकार का टैलो, वसा और अथवा तेल।

53. मछली की हड्डी को छोड़कर बिना पिसी हड्डियां।

54. निम्नलिखित वनस्पति तेल :—

((1 नारियल तेल

(2) बिनौला तेल

(3) मूंगफली का तेल

(4) अलसी का तेल

(5) सलाद का तेल

(6) सूर्यमुखी फूल के बीज का तेल

(7) कर्डी का तेल

(8) रामतिल का तेल

(8) सरसों का तेल/तोरिया का तेल

(10) तिल का तेल

(11) कार्न आयल

(12) चावल की भूसी का तेल

(13) खजूर का तेल

(14) पाम की गिरी का तेल

(15) सोयाबीन का तेल

55. रद्दी अखबारों को छोड़कर रद्दी कागज

56. बैटल की छाल

57. सूची-2 में उल्लिखित को छोड़कर पूर्ण या आंशिक रूप में स्टफ्ड पशुओं सहित सभी प्रकार के जंगली जीवों (मृत या जीवित या उनके किसी भाग या उनसे उत्पादित वस्तुओं) का निर्यात पूर्णतः निषेध है । आपवादिक परिस्थितियों में जहां निर्यात किसी विशेष, वैज्ञानिक या जुलाजिकल उद्देश्य से किया जाए वहां पर्यावरण वन और जंगली जीव विभाग का पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी जो प्रत्येक मामले पर निर्यात लाइसेंस जारी करने से पूर्व गुणावगुण के आधार पर विचार करेगा ।

58 विन्टेज मोटर कार और मोटर साईकिल और उनके भाग और संघटक अर्थात् 1940 और उससे पहले के नमूनों की मोटर-कार और मोटर साईकिल ।

59. वाइल्ड आर्किड

60. (1) लकड़ी और इमारती लकड़ी लट्ठे के आकार में और चिरी हुई साईज में सभी तरह की ।

(2) बेंत

(3) बांस

(4) चंदन की लकड़ी के शहतीर

(5) टोकोवाशिरा

सूची—2

भाग—क

क्रमांक	मदों का विवरण

1. निम्नलिखित पशु :—
   (1) गधे
   (2) घोड़े (काठिया वारी) मारवाड़ी और मणिपुरी जातियां अनुमित नहीं हैं)
   (3) खच्चर

2. छाले और आनिकी के बीज

3. क्लोरोक्विन फास्फेट और क्लोरोक्विन सल्फेट से विनिर्मित फोर्मूलेशन सहित क्लोरोक्विन फास्फेट और क्लोरोक्विन सल्फेट

4. निम्नलिखित लोह मिश्र धातु से पहले :—
   (1) सभी श्रेणियों का फैरो मैंगनीज स्लेग
   (2) फैरो मैंगनीज (0.05%) से कम मात्रा वाले फैरो मैंगनीज को छोड़कर)
   (3) सभी श्रेणियों का सिलिको मैंगनीज (फैरो सिलिका मैंगनीज)
   (4) 0.03% कार्बन हसे कम मात्रा वाले फैरो क्रोम/चार्ज क्रोम और नाइट्रोजन निर्धारित फैरो क्रोम/चार्ज क्रोम
   (5) सभी श्रेणियों का सिलिका क्रोम (फैरो सिलिका क्रोमियम)

5. फसली चारे के बीच

6. पशुओं का जमाया हुआ वीर्य

7. हाई परफोर्मेंस विस्कोल स्टैपल फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टैपल फाइबर

8. धातु कतरन, लोह कतरन से भिन्न जिसमें 0.50% से अधिक निकल या 0.20% से अधिक मोलिब्डिनम या 1.00% से अधिक टंगस्टन या 0.20% से अधिक वैनेडियम या 1.00% से अधिक कोबाल्ट या मिल्स स्केल स्क्रेप की मात्रा हो.
   (1) नाइक्रोम स्क्रेप
   (2) सूची-1 में उल्लिखित खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों का स्क्रेप

9. माइक्रोन्यूट्रिएन्ट फर्टिलाइजर्स और एन. पी के वाले मिक्सर्स ।

10. दूध, शिशु और स्टेरोलाइज्ड लिक्विड दूध ।

11. मिलिट्री स्टोर्स

12. बिना गढ़े अल्युमिनियम और बिना गढ़े अल्युमिनियम मिश्र धातुओं को छोड़कर बिना गढ़ी हुई अलौह धातुएं और मिश्र धातुएं जो इस सूची में और कहीं प्रदर्शित न हों ।

13. (1) कच्चा रेशम
   (2) रेशम के नायल धागे सहित असली रेशम के धागे
   (3) निम्नलिखित सिल्क वेस्ट
   (क) फिलम्सी कोकून और
   (ख) फलक/फलोस

14. (1) चिप्स और चूर्ण के रूप में लाल सन्दल लकड़ी।
   (2) रेशम लाल सन्दल लकड़ी से बनी संसाधित इमारती लकड़ी

15. रीलिंग सहित रेशम कीड़ा बीज और रेशम कीड़ा कोकून

क्रमांक	मदों का विवरण

16. स्ट्रिकलैंक और बुड लोक

17. सिंथैटिक कस्तूरी

18. सर्प विष (विनिर्मित रूप में)

19. विन्टेज मोटर कार, मोटर साईकिल तथा उनके हिस्से और संघटक अर्थात् 31-12-1940 के बाद और 1-1-1960 से पहले विनिर्मित मोटर कारें और मोटर साइकिलें

20. जिरकोन पत्थरों की अर्ध-बहुमूल्य किस्म सहित जिरकोन अयस्क तथा सान्द्रण

21. निम्नलिखित सामरिक और युद्ध विषयक सामग्री :—

(1) रेयर अर्थ धातुएं

(2) स्कोन्डियम और यत्रियम (चाहे इंटर लीन्ड हों या इन्टर एलोयड/मिक्सड हों या न हों)

(3) आक्साइड और पेरोक्साइड आफ स्ट्रोंटियम

(4) लिथियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड

(5) परक्लोरेट ऑफ सोडियम

(6) क्रोमियम

(7) जरमेनियम

(8) गैलियम

(9) हॉफनियम

(10) इन्डियम

(11) नियोबियम

(12) हीनियम

(13) थैलियम

और उपर्युक्त उप मद संख्या (6) से लेकर (13) में रही और स्क्रैप सहित इन धातुओं की वस्तुएं

(14) प्रतिक्रिया प्रवर्तक प्रतिक्रिया त्वरित तथा सक्रिय तत्व के रूप में निकिल युक्त उत्प्रेरक तैयार माल या निकिल के यौगिक

(15) प्रतिक्रिया अभिकारक, प्रतिक्रिया त्वरित तथा उत्प्रेरक तैयार माल, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हों सक्रिय तत्व के रूप में मूल्यवान धातु या मूल्यवान धातु के यौगिकों से युक्त ।

(16) इलैक्ट्रानिकी में डिस्कों, वैफरों या समान प्ररूपों के रूप में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक तत्व ।

इलैक्ट्रानिकी में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक यौगिक ।

22. गैर शहतुत के रेशम की रद्दी अर्थात् तसर, एरी और मूंगा ।

23. रेशम के टाप्स

24. उबले हुए कोकून्स (रद्दी रेशम की एक किस्म)

सूची —2, भाग (ख)

क्रम संख्या	मदों का विवरण
1.	निम्नलिखित रसायन :—
	(i) ब्यूटिल अल्कोहल
2.	बिनौले की एक्सपेलर खली
3.	पीसी हुई हड्डियां
4.	निम्नलिखित अनाज और आटा :—
	(i) गैर बासमती चावल
	(ii) गेहूं
	(iii) गेहूं उत्पाद अर्थात् रवा, परिणामी आटा और गेहूं की भूसी
	(iv) मैदा, सूजी और होलमील आटा (95 प्रतिशत निस्सारण तक का गेहूं का आटा)
	(v) जौ
	(vi) मक्का
	(vii) बाजरा
	(viii) ज्वार
	(ix) रागी
5.	मोर की पूंछ के पंख और उन से विनिर्मित वस्तुएं/हस्तशिल्प
6.	हाइड्रोजनीकृत तेल (वनस्पति घी)
7	आयोडीनकृत नमक (मानव उपभोग के लिए)
8.	जैगरी (गुड़)
9.	खाण्डसारी चीनी
10.	कुल जीवित भेड़ और बकरी (व्यवस्क)
11.	निम्नलिखित खनिज अयस्क और सान्द्रण अर्थात्:—
	(1) 7.5% और अधिक सिलिका की मात्रा केल्साइण्ड मैग्नेसाइट
	(2) सेफायर्स और रूबीस से भिन्न कोरण्डम
12.	पालमिरा शूगर कंद्री
13.	पाइरोफिलाइट
14.	अंगोरा बकरी के बाल या मोहेयर को छोड़कर 36एस "क्वालिटी" तक कच्चा ऊन (देशी)
15.	सफ्लावर सीड (कर्दी सीड)
16.	गेहूं पुआल (भूसा)
17.	अनाज पर आधारित दूध छुड़ाने के लिए खाद्य पदार्थ जिन में दूध की ठोस मात्रा भार में 50 प्रतिशत से कम हो
18.	एस. एल. बी. कोयला।

खुला सामान्य लाइसेंस -3

वे मदें जिनके निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन है।

क्रम संख्या	मद	अनुसूची 1 के भाग ख की सूची 3 के अनुसार क्रम संख्या	पूरी की जाने वाली शर्तें प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1) अस्त्र तथा गोलाबारूद अर्थात् मज्जल लोडिंग हथियार तथा ब्रीच लोडिंग या बोल्ट एक्शन हथियार जैसे शाट गन राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल तथा उनकी गोलाबारूद		निम्नलिखित की प्रस्तुति पर निर्यात अनुमित किया जाएगा :— (1) अग्नेयस्त्र अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत उपयुक्त लाइसेंस । (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्यात किए जाने वाले अग्नेयस्त्र पुरावशेष और/या दुलर्भ नमूनों के नहीं हैं । यह प्रमाण-पत्र भारत में 1956 के बाद विनिर्मित बारूद तथा अग्नेयस्त्रों के लिए जरुरी नहीं होगा । इन मामलों में निर्यात द्वारा स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर कि अग्नेयस्त्रों का निर्माण भारत में ही 1956 के बाद किया गया है, अनुमित किया जाएगा । (ग) निर्यात किए जाने वाले अग्नेयस्त्रों पर उपयुक्त शिनाख्त निशान तथा प्रूफ टैस्ट निर्दिष्ट होना चाहिए ।
	(3) प्राचीन हथियारों की प्रतिकृति		जिला मैजिस्ट्रैट जिलाधीश या पुलिस आयुक्त जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिकृतियों का निर्माण किया जाता है, से इस आशय का निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी कि प्रतिकृतियां अग्नियस्त्र के रुप में हानि रहित है तथा निरीक्षण निदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रतिकृतियों के निरीक्षित नमूने के अनुरुप हैं। साथ साथ आवेदन पत्र की एक प्रति (1) जिला मैजिस्ट्रैट और (2) पुलिस अधीक्षक, को भेजी जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में निर्यात का प्रस्थापित स्थान स्थित हैं ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित अग्नेयास्त्रों और बारुद को छोड़कर अन्य अग्नेयास्त्र और बारुद		विदेश मंत्रालय के अनुमोदन के अध्याधीन
3.	(1) पैड़ों, हैजिस सजावट पौधों वनस्पतियों, फूलो और ग्लोरिसा सुपर्बा (लिलियासिया) सभी के बीज		निर्यात की अनुमति राज्य सरकार के बीज प्रमाणन अभिकरण सम्बन्ध विभाग से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि निर्यात किए जाने वाले बीज जंगली किस्म के नहीं है और बीज मूल तथा प्रजनन भी नहीं हैं ।
	(2) पयाज के बीच के अलावा वनस्पतियों के बीच		निर्यात की अनुमति निम्नलिखित की प्रस्तुति पर दी जाएगी : (1) गुण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा (2) राज्य बीज निगम सहित मान्यता प्राप्त राज्य प्रमाणन ऐजेंसी से प्रमाणपत्र कि निर्यात किए जाने वाले बीज फाउण्डेशन और ब्रीडर बीज नहीं हैं।
4.	विदेशी तथा भारतीय दोनों एयरलाइनों द्वारा वापसी आधार पर मरम्मत/ओवरहाल सहित वायुयान तथा अतिरिक्त पुर्जों एवं उनके सहायक उपकरण		नागरविमानन महानिदेशक की स्वीकृति मिलने के अध्यधीन ।
5.	आर्किड के सभी कृष्ट किस्में		कृष्ट उदगम के आर्किड के बारे में मुख्य वन्य जीव संरक्षक से प्रमाणपत्र लेना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा पोतलदान पूर्ण निरीक्षण करना आवश्यक होगा
6.	चावल बासमती		केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किए गए न्यूनतम निर्यात मूल्य के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी
7.	काली मिर्च (आस्टा क्वालिटी एम.जी.जी.-1)		निर्यात इस शर्त के अधीन अनुमति किया जाता है कि न्यूनतम जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य प्रति मीट्रिक टन 19000 रुपये हो । निर्यात परेषण या निर्यात परेषण ले जाने वाले पोत में किसी फयूमीजेंट जिसमें एथीलोन डिब्रोमाइड (ई.डी.बी.) शामिल हो, के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
8.	भैस का मांस		निर्यात की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी जाएगी :— (1) मनोनीति पशु चिकित्सा प्राधिकारियों से इस आशय का प्रमाणपत्र कि मांस प्रजनन के लिए प्रयुक्त तथा दुधारु भैसों से भिन्न भैसों का है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
			(2) राज्य पशुपालन निदेशालय के कार्यालय या इस आशय के लिए उनके स्थान पर प्राधिकृत किसी अन्य पशु चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए जहाज पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि:—
			(क) लाइसेंस प्राप्त परिसर में और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एंटीमार्टम और पोस्ट मार्टम निरीक्षण की शर्त के अधीन बध किए गए स्वस्थ पशु से मांस प्राप्त किया गया है;
			(ख) आफल्स को स्वास्थ्यकर शर्तों के अधीन तैयार किया गया है और वह पौष्टिक तथा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।
			(ग) आफल्स परजीवी जन्तुबाधा से मुक्त है।
			(3) आफल्स पैथोजिनिक माइक्रो आरगनिज्म से विमुक्त हैं।
			(4) आफल्स निम्नलिखित जीवाणु मात्रा विशिष्टिकरणों के अनुकुल होगा :—
			(i) एक से दस मिलियन प्रति ग्राम की सीमा के अंतर्गत कुल बैक्टीरियल काउन्ट।
			(ii) ई. कोलि बैक्टीरियल काउन्ट 100 से 1000 प्रति ग्राम की सीमा के अंतर्गत होगा।
			(3) पूर्ण रूप से पकाए गए डिब्बाबन्द आफल्स उत्पादों के परेषणों के मामले में निरीक्षण उप पैराग्राफ (2) के अनुसार विपणन निदेशालय द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
			"मंगलौर कोचीन और मद्रास से भैंस के मांस के निर्यात की अनुमति उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगी। कोचीन और मद्रास से निर्यातों के मामले में निरीक्षण क्रमशः निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन और मद्रास द्वारा किया जाएगा जबकि दिल्ली और बम्बई के मामले में निरीक्षण अभिकरण या विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाएगा।"
9.	कार्बनीकृत लिग्नाइट ब्रिकेट्स (एल ई सी ओ)		कोयला नियंत्रक, 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता द्वारा किए गए आबंटन के मुद्दे निर्यात केवल कलकत्ता, मद्राम एवं शिलांग से ही अनुमेय होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)
10. अरण्डी का तेल			निर्यात केवल सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए ही अनुमेय है ।
11. आयातित बल्क ड्रग्स में से विनिर्मित क्लोरोक्विन फास्फेट और क्लोरोक्विन सल्फैट से फार्मुलेशन क्लोरोक्विन फास्फेट और क्लोरोक्विन सल्फेट ।			निर्यात की अनुमति लाइसेंस में उल्लिखित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की सीमा तक के लिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत थोक मूल्य की सीमा तक के लिए अग्रिम लाइसेंस में क्लोरोक्विन फास्फेट के आयात के मद्दे दी जाएगी ।
12. (1) सिनकोना निदेशालय तमिलनाडु/पश्चिम बंगाल द्वारा यथा प्रमाणित कुनैन और क्विनडाइन तथा उनके साल्ट निकाले हुए सिनकोना मिश्रित एल्कलाइड्स और सिनकोना साल्ट			सिनकोना निदेशालय, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जैसा भी माल हो, से प्राप्त प्रमाण-पत्र के मद्दे निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।
(2) क्विनीडाइन सल्फेट			औषध नियंत्रक (भारत), नई दिल्ली, से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।
(3) कुनैन और कुनैन उत्पाद			सिनकोना निदेशालय, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल जैसा भी मामला हो, से प्राप्त प्रमाण-पत्र के मद्दे निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
13. नारियल जटा और नारियल जटा उत्पाद			निर्यात की अनुमति कायर बोर्ड/लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित और कायर बोर्ड द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं हैं ।
14. सभी प्रकार की काजू की गिरियां किसी भी रूप में			भारतीय काजू निर्यात एवं संवर्धन परिषद, चित्तूर रोड, एरनाकुलम दक्षिण, कोचीन-682016 के साथ संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे निर्यात अनुमित है ।
15. कपास का यार्न जिसमें टायर कोर्ड यार्न शामिल			सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा दिए गए प्रमाणन के मद्दे तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीलिंग के अनुसार।
16. तेल रहित मूंगफली की खली (निस्सारण)			निर्यात ग्राउन्डनट एक्सट्रैक्शन्स एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट एसोसियेशन, बम्बई के साथ पंजीकृत की गई संविदाओं की शर्तों के अधीन समय-समय पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीलिंग के भीतर अनुमित किया जाएगा ।
17. तेल रहित चावल की भूसी (चावल भूसी का निस्सारण)			निर्यात सोलवेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसियेशन आफ इंडिया, बम्बई के साथ पंजीकृत की गई संविदाओं की शर्तों के अधीन समय-समय पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीलिंग के भीतर अनुमित किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	कोटा प्रतिबन्ध के अंतर्गत न आने वाले फैब्रिक और मेड अप्स		निर्यात पोतलदान बिलों प्रैक्समटाइल एवम्-पोर्ट प्रोमेशन काउन्सिल (टेक्सप्रोमिल) द्वारा किए गए प्रमाणन के मद्दे अनुमित किया जाना है ।
19.	निम्नलिखित फैरो अलाय : (1) फैरो मैंगनीज स्लेग की सभी श्रेणियां (2) फैरो मैंगनीज (उस फैरो को छोड़कर जिसमें कार्बन की मात्रा 0.05% से कम हो) (3) सिलिको मैंगनीज (फैरो सिलिको मैंगनीज) की सभी श्रेणियां । (4) फैरो क्रोम/चार्ज क्रोम जिसमें कार्बन की मात्रा 0.03% से कम हो तथा फैरो क्रोम/चार्ज क्रोमियम वाला नाइट्रोजन हो । (5) सिलिको क्रोम (फैरो सिलिको क्रोमियम) की सभी श्रेणियां ।		निर्यात को अनुमित विकास आयुक्त लोहा तथा इस्पात, कलकत्ता के कार्यालय या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदाओं के पंजीकरण की शर्त के अधीन दी जाएगी ।
20.	नाप अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू धूप अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू धूपअभिसाधित (नाटू) देशी) तम्बाकू और धूप अभिसाधित चूटी तम्बाकू	(1)	(1) जिस तम्बाकू के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किया गया है उसके सम्बन्ध में तम्बाकू बोर्ड से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि मूल्य, न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम नहीं है । (2) उस तम्बाकू के सम्बन्ध में जिसके लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य विनिर्दिष्ट नहीं किया है तम्बाकू बोर्ड से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र कि निर्यात किया जा रहा तम्बाकू न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रतिबंध के अधीन नहीं है ।
21.	कोटा प्रतिबंध के अंतर्गत न आने वाले गारमेंट और निटवियर		निर्यात, पोतलदान बिल पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए ई पी सी) द्वारा किए गए प्रमाणन के मद्दे अनुमित है ।
22.	स्वर्ण आभूषण तथा वस्तुएं		विदेशी क्रेता द्वारा संभरित सोना और स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम के मद्दे सोने के आभूषणों के निर्यात की स्कीम के अंतर्गत सोने के आभूषण और वस्तुओं का निर्यत, आयात-निर्यात नीति 1990–93 (खण्ड-1) के अध्याय-21, और प्रक्रिया पुस्तक 1990–93 के अध्याय-21 में दिए गए के अनुसार अनुमित किया जाएगा । शुल्क छूट स्कीम के मद्दे निर्यात, आयात-निर्यात नीति, 1990–93 (खण्ड-1) के अध्याय-19 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।
23.	हाथ से गांठ लगाकर बने हुए ऊनी कालीनों का निर्यात		पोतलदान की स्वीकृति (डी/ए) अदायगी आधार सम्बन्धित दस्तावेजों पर तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उनके साथ बैंक गारण्टी न लगी हो ।

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	एच.पी.एस. मूंगफली (छिलके और गिरी दोनों में)		भारतीय तेल तथा उत्पाद निर्यात संघ, बम्बई के साथ संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे निर्यात अनुमित है ।
25.	(1) निम्नलिखित ढलवां लोहा और कास्ट आयरन पाइप और फिटिंग को छोड़कर लौह तथा इस्पात :— एकीकृत इस्पात संयंत्रों, अलाय इस्पात संयंत्रों, मिनी स्टील संयंत्रों, सेकेण्डरी प्रोड्यूसरों तथा रि-रोलरों द्वारा निर्मित इस्पात ।	नि	निर्यात की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र, विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, कलकत्ता से प्राप्त किया जाए और जो उनके कुल उत्पादन से 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।
	(2) अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातित कच्चे माल से निर्मित जस्तीकृत शीट्स		निर्यात की अनुमति अग्रिम लाइसेंस में उल्लिखित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की सीमा तक दी जाएगी ।
	(3) आयातित बिल्लेट्स से निर्मित राड्स तथा बार्स (4) लाइट रेल्स (20 कि. ग्राम या कम)		अग्रिम लाइसेंस के मद्दे शुल्क छूट योजना के अंतर्गत आयातित बिल्लेट्स से निर्मित की अनुमति लाइसेंस में उल्लिखित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की सीमा तक दी जाएगी ।
26.	सभी बाजारों को रेडी मूल के लौह अयस्क		गोआ खनिज अयस्क निर्यातक संघ के साथ संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे निर्यात अनुमित होगा।
27.	(1) गोवा मूल की लौह अयस्क जब उसका निर्यात जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान के अतिरिक्त चीन और यूरोप को किया जाए		गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ के साथ संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे निर्यात की अनुमति है ।
	(2) लेटराइट		लोक विश्लेषक से एक ऐसा प्रमाण-पत्र करने पर निर्यात अनुमित किया जाएगा कि निर्यात माल में निम्नलिखित शामिल है :— (क) अल्यूमीना 40 प्रतिशत से अधिक नहीं (ख) निकल 0.7 प्रतिशत से अधिक नहीं (ग) कोबाल्ट 300 पी पी एम से अधिक नहीं (घ) बेनेडियम 2215 पीपीएम से अधिक नहीं (ङ) गैलियम 139 पीपीएम से अधिक नहीं (च) टिटेनियम 7.4 प्रतिशत से अधिक नहीं
28.	जूट कारपेट बैकिंग क्लाथ		निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली शर्तों के अधीन सभी अनुमेय स्थानों के लिए दी जाएगी ।
29.	निटवियर (एक्सिलिक और मिक्सड)		निर्यात की अनुमति ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ पंजीकृत संविदाओं के मद्दे और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन दी जाएगी ।
30.	जंगली किस्मों को छोड़कर निजी जमीनों तथा बुत्पन्नों में (कोस्टर्स लप्पा मीन सौसर लप्पा) (सीबीसीआई एस्ट्रोमीए)	(1)	(1) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम निर्यात मूल्य । (2) जंगली जीव जन्तुओं तथा वनस्पति की विलुप्त प्रपय किस्मों के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (सीआईटीईएस) का प्रमाण-पत्र ।

(1)	(2)	(3)	(4)
			(3) क्षेत्रीय उप निदेशक वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण वन और वन्य जीवन मंत्रालय द्वारा पोतलदान पूर्व नियंत्रण ।
			(4) मुख्य वन्य जीवन संरक्षण/उपायुक्त या उसके नामी व्यक्तियों के उद्गम प्रमाण-पत्र ।
			(5) न्यूनतम निर्यात मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है ।
31. मेमने की फर स्किन			निर्यात की अनुमति केवल चार मुख्य पत्तनों, नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के माध्यम से ही दी जाएगी बशर्ते कि उपर्युक्त पत्तनों पर नियुक्त जंगली जीव संरक्षण उप-निदेशक ने पोत लदान का निरीक्षण किया है ।
"57. चमड़ा अर्थात् :—		ख.57	क्रोम/मिश्रित शोधित मुलायम और वस्त्र से आच्छादित होगा ।
(1) वस्त्र बनाने के लिए चमड़ा गाय और भैंस की खाल और गाय के बछड़ें की खाल से ।			
(क) ग्रेन क्लोदिंग/नप्पा क्लोदिंग/जर्किन/जेकेट के लिए चमड़ा ।			ड्रम में रंगा जाएगा और संरक्षी लेप से परिष्कृत किया होगा जिसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम निर्माण प्रक्रिया शामिल होगी, अर्थात्:—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.ली. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ;
			(ख) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक कोलतार डाई (यों) से संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो ;
			(ग) बसा लगाना ;
			(घ) मैटिंग करना ;
			(ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ;
			(च) मशीनी साधनों से मांसल साइड साफ करना ;
			(छ) संरक्षी लेप ;
			(ज) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना ; अथवा प्रेस करना/पालिश करना ;
			(झ) आई. स्टाक से चमड़े के मामले में मिश्रित चर्मशोधन की संक्रिया भी शामिल होगी) ।

1	2	3	4
	(ख) स्वेद क्लोदिंग स्वेद गार्मेन्ट लैदर		ड्रम में रंगे जायेंगे जिस पर मांसल साइड पर स्वेद नेप होगा । ग्रेन साइड की और छीलन की जाएगी/अथवा तराशा जाएगा । इसके निर्माण कार्य में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाइड के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक कोलतार डाई(यों) से संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो । (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ; (छ) छाग नेप बनाने के लिए वार्फिंग ; (ज) ड्राई ड्रमिंग/फ्लश व्हीलिंग/शुष्क वर्फिंग के द्वारा स्वेद नेप तैयार करना ; (झ) ग्रेन को छीलना और गहराई से तराशना ;
	(2) बकरी और भेड़ की खाल से		
	(क) ग्लेज्ड गार्मेन्ट/ग्लेज्ड नप्पा लेदर		ड्रम में रंगा जाएगा और संरक्षी लेप से परिष्कृत होगा और चमकीला मुलायम किया गया होगा और आवंरित होगा जिसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम निर्माण प्रक्रियाएं शामिल होंगी :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक (कोलतार) डाई(यों) से संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो ; (घ) वसा लगाना ; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों से मांसल साइड को साफ करना ; (ज) संरक्षी लेप ; (झ) चमकाना ;

1	2	3	4
	(ख) ग्रेन अथवा नप्पा गार्मेन्ट/क्लोदिंग/जर्किन लेदर		ड्रम में रंगा जायेगा, मुलायम किया जायेगा और आवरित होगा । संरक्षी लेप से परिष्कृत किया होगा जिसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ; (ख) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक (कोलतार) डाई (यों) से संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो ; (ग) वसा लगाना , (घ) सेटिंग करना, (ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना, (च) मशीनी साधनों से मांसल साइड साफ करना ; (छ) संरक्षी लेप लगाना ; (ज) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना ; अथवा प्रेस करना/पालिश करना ; (ई.आई.स्टाक से चमड़े के मामले में मिश्रित शोधन की संक्रिया भी शामिल होंगी) ।
	(ग) स्वेद क्लोदिंग/स्वेद गार्मेन्ट/शर्टिंग स्वेद		ड्रम में रंगे जाएंगे जिस पर मांसल साइड पर लेप होगा/मुलायम होगा और इसमें आवरण होगा ग्रेन साइड की छीलन की जायेगी और/अथवा । तराशी जायेगी । इसके निर्माण-कार्यों में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई: चमड़े को सिंथेटिक (कोलतार) डाई(यों) से संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो ; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सेटिंग करना ; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ;

1	2	3	4
			(छ) स्वेद नेप तैयार करने के लिये बफिंग ; (ज) ड्रमिंग/प्लश व्हीलिंग/तैयार करके स्वेद नेप बनाना ; (झ) ग्रेन को छीलना/गहराई से तराशना ;
(घ) टाई और डाई लेदर (i) ग्रेन फिनिश्ड			आमतौर पर अलग-अलग नमूनों और शेडों के साथ ग्रेन साइड पर रंग किया जाता है । मुलायम बनाया जाता है । इसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी , अर्थात् :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो चमड़ी अथवा खाल के सभ हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई : चमड़ों को सिंथेटिक (कौलतार) डाई(यों) से संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम गहरी शेड देता हो ; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (च) स्टैकिंग/बोडिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों से मांसल साइड को साफ करना ।
(ii) स्वेद फिनिश्ड			विभिन्न नमूनों और शेडों सहित मांसल साइड पर मुलायमी रंगाई की जाएगी मुलायम होगा और इस पर आवरण होगा और स्वेद नैप होगा । ग्रेन साइड को छीला जायेगा और अथवा तराशा जायेगा । इसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना; (ख) मिश्रित शोधन कांबीनेशन; (ग) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक (कोलतार) डाई (यों) से संसाधित करना भी इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो; (घ) वसा लगाना; (ङ) सैटिंग करना;

(1)	(2)	(3)	(4)
			(च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना;
			(छ) स्वेद नेप बनाने के लिये बफिंग;
			(ज) ड्राई ड्रमिंग/प्लश व्हीलिंग/बफिंग द्वारा स्वेद नेप तैयार करना;
			(झ) ग्रेन को छीलना/गहराई से तराशना।
(ii) दस्तानों का चमड़ा			
	(1) वर्दी के दस्तानों/फाइन दस्तानों के लिए चमड़ा।		बकरी के बच्चे मेमने/भेड़/बकरी की खाल से बना हुआ और आमतौर पर क्रोम/अल्युमिनियम/मिश्रित शोधन किया हुआ मुलायम और लचीले आधार (रन) के बिना फैलाने योग्य होगा न्यूनतम रन 30% होगी। मोटाई 1 मि.मी. से ज्यादा नहीं होगी।
	(क) ग्रेन फिनिशड		एक स्तर तकओं और समान शेड में रंगा जायेगा और ग्रेन पर मखमली व्हील किया जायेगा। इसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना;
			(ख) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक (कोल तार) डाई(यों) से संसाधित किया जाए जो इस प्रकार गहरी शेड देता हो;
			(ग) वसा लगाना;
			(घ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना;
			(ङ) मशीनी साधनों से मांसल साइड साफ करना;
			(च) प्रेस करना/पालिश करना;
			अथवा
			प्लश व्हीलिंग;
	(ख) स्वेद फिनिशड		ड्रम में एक स्तर तक भेदन तक एक समान रंगा जायेगा और इसके मांसल साइड पर नेप होगा, ग्रेन साइड छीली जायेगी और/अथवा तराशी जाएगी।
			इसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रिया शामिल होगी, अर्थात् :—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टकृत न किया गया हो चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना;

1	2	3	4
			(ख) मिश्रित शोधन; (ग) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक (कोल तार) डाइयों से संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो; (घ) वसा लगाना; (ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना; (च) स्वेद नेप तैयार करने के लिए बफिंग; (छ) ड्राई ड्रमिंग/प्लश व्हीलिंग/बफिंग द्वारा स्वेद नेप तैयार करना;
(2) जनोपयोग में लाए जाने वाले दस्तानों का चमड़ा			(ज) ग्रेन को छीलना। गहराई तक तराशना; बकरी के बच्चे/मेमने/भेड़/बकरी/गाय के बछड़े की खाल से निर्मित और आमतौर पर क्रोम/अल्युमिनियम/कांबीनेशन से शोधित किया हुआ। पदार्थ में एकरूपता होगी और यह मुलायम होगा। ड्रम में रंगा हुआ और संरक्षी लेप से परिष्कृत किया होगा। इसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :—
(क) ग्रेन फिनिशड			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टकृत न किया गया हो चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नालीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना, (ख) रंगाई : चमड़े को सिन्थेटिक (कोलतार) डाई(यों) से संसाधित करना जिससे कि वह मध्यम/गहरी शेड देता हो; (ग) वसा लगाना; (घ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना; (ङ) मशीनी साधनों से मांसल साइड तैयार करना; (च) संरक्षी लेप करना; (छ) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना; अथवा प्लय प्लश व्हीलिंग ; (ई आई स्टाक के चमड़े के मामले में कॉम्बीनेशन टैनिंग के कार्य भी शामिल होंगे)
(ख) स्वेद फिनिशड			पदार्थ के तल में एकरूपता होगी और यह मुलायम होगा। ड्रम में रंगा जायेगा और संरक्षी लेप से परिष्कृत होगा जिसमें गाय और भैंस की खाल की पट्टी शामिल होगी। ड्रम में रंगा जाएगा। जिससे लेवल शेड समान रूप हों जिसमें मांसल साइड पर स्वेद

1	2	3	4
			नेप होगा। ग्रेन साइड को छीला जायेगा और/अथवा तराशा जायेगा। इसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना;
			(ख) रंगाई : चमड़े को सिंथेटिक (कोलतार) डाई(यों) से संसाधित किया जाएगा जिससे कि मध्यम/गहरी शेड देता हो–
			(ग) वसा लगाना;
			(घ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना;
			(ङ) स्वेद नेप तैयार करने के लिये बफिंग;
			(च) ड्राई ड्रमिंग/प्लश व्हीलिंग/बफिंग द्वारा स्वेद नेप तैयार करना;
			(छ) ग्रेन को छीलना/गहराई से तराशना। (ई.आई. स्टाक के चमड़े के मामले में कौम्बी-नेशन टैनिंग की प्रक्रिया भी शामिल होगी)।
(3) औद्योगिक चमड़ा			आमतौर पर बकरी/गाय के बछड़े/भेड़ों की निम्न श्रेणी की खाल से बनाया गया। क्रोम/मिश्रित रूप से कमाया गया और 100 डिग्री सें. पर 15 मिनट तक उबालने की जांच किये जाने के बाद 3% से ज्यादा नहीं सिकुड़ेगा। क्रोम की मात्रा सीआर 203 न्यूनतम 2.5% जो 14% नमी पर आधारित होगी।
			पदार्थ न्यूनतम 0.5 एम एम लेकिन 0.5 मि० मी. से अधिक नहीं होगा। जहां इस पदार्थ में 1 मि.मी. तक 100 खण्ड होंगे वहां इसकी जांच प्रीसीजन गेज से की जायेगी। इसके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना;
			(ख) मिश्रित रूप से शोधन;
			(ग) वसा लगाना;

1	2	3	4
			(घ) सैटिंग करना,
			(ङ.) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना;
			(च) मशीनी साधनों से मांसल साइड साफ करना,
			(छ) ग्रेन को छीलना/गहराई तक तराशना ।
(4) लाइनिंग लैदर			आमतौर पर क्रोम/वनस्पति/मिश्रित रूप से शोधित किये हुये । मोटाई 1 मिमी. से अधिक नहीं होगी ।
(1) गाय और भैंस की खालों और गाय के बछड़ों की खालों से			
	ग्रेन फिनिश्ड लाइनिंग लैदर		संरक्षी लेप से परिष्कृत किये जायेंगे । इनके निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना;
			(ख) रंगाई : चमड़े को सिन्थेटिक (कोल तार) डाई (यों) से संसाधित करना, जिससे कि मध्यम गहरी शेड देता हो;
			अथवा
			चमड़ा हल्के रंग में रंगा गया हो और क्रोम/वनस्पति/काम्बीनेशन से शोधित किए गए पपड़ीदार चमड़े के रंग से स्पष्ट रूप से अलग हों;
			(ग) वसा लगाना;
			(घ) सैटिंग करना;
			(ङ.) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना;
			(च) मशीनी साधनों से मांसल साइड साफ करना;
			(छ) संरक्षी लेप लगाना;
			(ज) चमकाना;
			अथवा
			मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना, (ई.आई. स्टाक के चमड़े के मामले में कांम्बीनेशन टैनिंग की क्रिया भी शामिल होगी) ।

1	2	3	4
	(2) बकरी/बकरी का बच्चा/मेमना/भेड़ की खाल से ग्रेन फिनिशड लाइनिंग लैदर		आमतौर पर क्रोम/वनस्पति टेबल/कॉम्बीनेशन से कमाया गया। संरक्षी लेप से परिष्कृत किये जायेंगे। इसके निर्माण कार्य में निम्नलिखित न्यूनतम क्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना, (ख) रंगाई : सिंथेटिक (कोलतार) डाई (यों) से संसाधित चमड़ा जिससे कि मध्यम/गहरी शेड देता हो; अथवा हल्के रंग में रंगा गया हो और क्रोम/वनस्पति/कांम्बीनेशन से कमाए गए पपड़ीदार चमड़े के रंग से स्पष्ट रूप से अलग हों; (ग) वसा लगाना; (घ) सैटिंग करना; (ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना (च) मशीनी साधनों से मांसल साइड़ साफ करना; (छ) संरक्षी लेप लगाना; (ज) चमकदार बनाना; अथवा मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना, (ई.आई. स्टाक के चमड़े के मामले में काम्बीनेशन टैनिंग की क्रिया भी शामिल होगी)।
	(5) विविध किस्म के चमड़े		
	(1) शेमोइस लेदर		बकरी/भेड़ की खाल से तैयार किया गया जिससे खंड करके अथवा छील कर ग्रेन अलग किया जाता है। फिश के आक्सीजनीकरण समुद्री और/या सिंथेटिक तेल का या तो अकेले (पूर्ण आयल शेमोइस) सहित प्रक्रिया द्वारा शोधन या प्रथम अल्डीहाइड किया गया हो, शोधन तथा फिर इसी प्रकार के तेल (शेमोइस सम्मिश्रण) को चिकनाई रहित बनाया जाएगा, शुष्क किया जाएगा तथा दोनों तरफ बफ किया जाएगा ताकि नेप तैयार किया जा सके। उसे यथासंभव धूल कणों से मुक्त रखा जाएगा।

1	2	3	4
			विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रिया समाविष्ट होगी, नामशः (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नलिदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना; (ख) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना; (ग) स्वेद नैप तैयार करने के लिए बफिंग करना। (घ) ग्रेन को छीलना/गहरी तराश करना;
	(2) लेमिनेटिक लेदर		वस्त्र, पी वी सी या यूरेथेन अन्तरण फिल्मों से लेमिनेटिड क्रोम/कम्बिनेशन से शोधित खंडित। कभी-कभी एक्रिलिक या नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्मों का भी प्रयोग किया जाता है। उन पर अन्त में मुलम्मा चढ़ाया जाता है या नक्काशी की जाती है। विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रिया समाविष्ट होगी, नामशः — (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी. के अन्तर से, यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नालीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना; (ख) वसा लगाना ; (ग) सैटिंग करना; (घ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना; (ङ) यांत्रिक साधनों से मांसल साइड को साफ करना ; (च) संरक्षी लेप लगाना; (छ) मुलमम्मा चढ़ाना/नक्काशी करना; (ई.आई. स्टाक के चमड़ों के मामले में कम्बीनेशांस टेनिंग की क्रिया भी समाविष्ट होगी)।
	(3) स्क्रीन/ब्लाक लेदर्स		सभी प्रकार की खाल और चमड़ियों या टुकड़ों से बनाया जाता है और सामान्यतया क्रोम/वनस्पति/कम्बीनेशन से शोधित किया जाता है। स्क्रीन अथवा ब्लाक से प्रिंट किया जाता है। कोलतार डाइज/पिगमेंट का इस्तेमाल करके ग्रेन का या स्वेद साइड डिजाइनों में मुद्रित किया जाता है। इस ढंग से तैयार किया जाता है कि वप आर्द्र और शुष्क घिसावट में तेज हो। (क) ग्रेन साइड पर विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रिया समाविष्ट होगी, नामशः पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मी., के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(ख) रंगाई--सिंथेटिक (कोलदार) रंग से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी शेड दें। या रंगाई : हल्के रंग से रंगे हुए तथा क्रोम/वनस्पति/कम्बीनेशन शोधित पपड़ीदार चमड़े के रंग से स्पष्ट रूप से भिन्न। (ग) वसा लगाना ; (घ) सैटिंग करना; (ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना; (च) यांत्रिक साधनों से मांसल साइड तैयार करना। (छ) संरक्षी लेप; (ज) चमकाना; या मुलम्मा चढ़ाना/नक्काशी करना; (ई.आई. स्टाक वाले चमड़ों के मामलों में कम्बीनेशन टैनिंग क्रिया को भी समाविष्ट किया जायेगा) (ख) स्वेद साइड पर विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रिया समाविष्ट होगी, नामशः (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मी. के. अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना, (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) सिंथेटिक (कोलतार) रंग से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी शेड देता हो, या रंगाई हल्को रंग से रंगे चमड़े तथा क्रोम/वनस्पति कम्बीनेशन टेंड क्रस्ट लेदर कलर से स्पष्ट रूप से भिन्न ; (घ) वसा लगाना , (ङ) सेंटिंग करना; (च) स्टैकिंग / बोर्डिंग करना ; (छ) स्वैद लेप तैयार करने के लिए बफिंग करना। (ज) ड्राई ड्रमिंग / प्लश ह्वीलिंग / बफिंग द्वारा एक स्वेद लैप तैयार करना ; (झ) ग्रेन को छीलना / गहराई तक तराशना।

1	2	3	4
	(4) फ्लाक प्रिन्टेड लेदर		सभी प्रकार की खाल और चमड़ियों, हिस्सों से बना हुआ और सामान्यतया क्रोम/वनस्पति/कंबीनेशन शोधित फलाक प्रिन्टेड : ग्रेन या स्वेद साइड पर सिन्थेटिक फाईबर्स (फलाक्स) के साथ उपयुक्त तकनीक से मुद्रित ।
			(क) ग्रेन पर विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रिया समाप्ति होंगी, नामश :
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मी. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी या खाल के सभी भागों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना;
			(ख) रंगाई सिंथेटिक (कोल तार) रंग से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम गाढ़ी शेड देता हो,
			या
			रंगाई : हल्के रंग से रंगे हुए चमड़े और क्रोम/वनस्पति/कम्बीनेशन टैंड क्रस्ट लेदर कलर से बिल्कुल भिन्न
			(ग) बसा लगाना ;
			(घ) सेंटिंग करना ;
			(ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ;
			(ज) यांत्रिक साधनों से मांसल साईड को साफ करना (ई.आई. स्टाक के चमडों के मामले में कंबीनेशंश टैनिंग की क्रिया भी समाविष्ट होगी),
			(ख) स्वेद साईड पर विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रिया समाविष्ट होगी, नामश:
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक [0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल से सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना;
			(ख) कंबीनेशन टैनिंग ;
			(ग) रंगाई सिंथेटिक (कोल तार) रंग से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम गाढ़ी शेड देता हो; अथवा
			रंगाई हल्के रंग से रंगे हुए चमड़े तथा क्रोम/वनस्पति/कंबीनेशन टैन्ड क्रस्ट लेदर कलर से बिल्कुल भिन्न ·
			(घ) वसा लगाना ;
			(ङ) सैटिंग करना ;
			(च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना,
			(छ) स्वेद नैप तैयार करने के लिए बफिंग करना,

1	2	3	4
			(ज) ड्राई ड्रमिंग / प्लश / हवीलिंग / बफिंग द्वारा एक स्वेद नैप तैयार करना।
			(झ) ग्रेन को छीलना / गहराई से तराशना,
		(5) नक्काशी वाले चमड़े	सभी किस्मों की खाल तथा चमड़ियों या हिस्सों से बनाया गया और सामान्यतया क्रोम / वनस्पति/ कंबीनेशन शोधित जिसमें पूर्ण ग्रेन या संशोधित ग्रेन हो सकता है, संरक्षी लेप से परिष्कृत किया जाएगा तथा उस पर नक्काशी की जाएगी विनिमार्ण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं समाविष्ट होंगी नामशः
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो चमड़ी या खाल के सभी भागों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ;
			(ख) रंगाई सिंथेटिक (कोलतार) रंग से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम गाढ़ा शेड देता हो।
			(ग) वसा लगाना ;
			(घ) सेटिंग करना ;
			(ज) स्टेकिंग बोर्डिंग करना ;
			(छ) यांत्रिक साधनों से मांसल साफ करना ,
			(ज) संरक्षी शलेप ,
			(झ) चमकना ; अथवा
			मुलम्मा चढ़ाना/नक्काशी करना, (ई. आई.) स्टाक के चमड़ों के मामले में कंबीनेशन टैनिंग की क्रिया भी समाविष्ट होगी।
		(6) पुल-अप लेदर्स	ड्रम में रंगे हुए होंगे तथा पुल-अप प्रभाव लाने के लिए मोम/तेल से परिष्कृत किए जाएंगे और संरक्षी लेप से परिष्कृत होंगे। इस संरक्षी लेप में रंग/पिगमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नीचे से सिकुड़न दिखते हुए इसमें स्पष्ट खिचाव का प्रभाव आएगा। निर्मुक्त होने पर चमड़े को अपने मूल रूप में आ जाना चाहिए। विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम कार्य समाविष्ट होंगे ; नामश :
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ;

1	2	3	4
			(ख) कंबीनेशन टैनिंग ;
			(ग) रंगाई सिंथेटिक (कोलतार) रंगों से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी शेड देता हो ।
			(घ) वसा लगाना ;
			(ज) सेंटिंग करना ;
			(छ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ;
			(ज) यांत्रिकी साधनों से मांसल साइड को साफ करना;
			(झ) संरक्षी लेप ;
(6) शू अपर लेदर्स			
1. गाय और मैंस की खाल और बछड़ों की चमड़ियों से			जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, यह क्रोम/कम्बीनेशन टैण्ड होगा ।
(क) ऐनिलीन मैंस के बच्चे/ऐनिलीन गाय के बछड़े/ऐनिलीन साइड लेदर्स			फूटवीयर के उपरी भाग के लिए संसाधित चमड़ा । क्रम रंजित और संरक्षी लैप से परिष्कृत जिस पर दाने दिखाई दें । विनिर्माण में निम्न-लिखित न्यूनतम क्रिया समाविष्ट होगी, अर्थात :—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाइड के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना;
			(ख) कंबीनेशन टैनिंग ;
			(ग) रंगाई सिंथेटिक (कोल तार) रंग से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी शेड देता हो, या रंगाई : हल्के रंग से रंगे हुए चमड़े और क्रोम/वनस्पति/कंबीनेशन टैण्ड क्रस्ट लेदर कलर से बिल्कुल भिन्न ;
			(घ) वसा लगाना :
			(ज) सेंटिंग करना ;
			(छ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ,
			(ज) यांत्रिक साधनों से मांसल साइड को साफ करना,
			(झ) संरक्षी लेप ;
			(ट) चमकाना ;
			या
			मुलम्मा चढ़ाना/नक्काशी करना ।
(1) सेमी ऐनिलीन/ऐनिलीन लुक/मॉक ऐनिलीन साइड्स या बछड़े के चमड़े ।			पूर्ण दाने या शोधित दाने का हो सकता है और संरक्षी लेप से परिष्कृत भी हो सकता है ।
			विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम क्रिया समाविष्ट होगी, अर्थात् :—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी या खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ।

1	2	3	4
			(ख) कंबीनेशन टैनिंग ;
			(ग) रंगाई : सिंथेटिक (कोलतार) रंग से शोधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम / गाढ़ी शेड देता हो; रंगाई : हल्के रंग से रंजित चमड़े और क्रोम/वनस्पति नेशन टैण्ड क्रस्ट लेदर कलर से बिल्कुल भिन्न ;
			(घ) वसा लगाना ;
			(ज) सेटिंग करना ;
			(छ) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ;
			(ज) यांत्रिक साधनों से मांसल साइड को साफ करना;
			'(झ) संरक्षी लेप ;
			(ई) चमकाना या मुलम्मा चढ़ाना/नक्काशी करना ;
	(2) सफेद /हल्का सफेद चमड़ा		पूर्णरूप से बाल साफ किया हुआ और संरक्षी लेप से परिष्कृत :— इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से यदि अन्यथा विशिष्टकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना; (ख) मिश्रित चर्मशोधन ; (ग) वसा लगाना ; (घ) सैट किया हुआ ; (ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग; (च) मशीनी साधनों से साफ मांसल साईड साफ की गयी हो ; (छ) संरक्षी लेप, (ज) मुलम्मा चढ़ाना/नक्काशी करना, अथवा प्रेस करना/पोलिश करना,
	(ख) वाक्स/विल्लो / कलर्ड काफ और साईड लैदर		ड्रम में रंगा गया हो और संरक्षी लेप से तैयार किया गया हो । इसके विनिर्माण में न्यूनतम निम्नलिखित प्रक्रियाएं, शामिल होंगी, नामश: (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना,

1	2	3	4
			(ख) मिश्रित चर्म शोधन , (ग) रंगाई करना, सिन्थेटिक (कोल टार) डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना, और इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देना , (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना , (ज) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना , (छ) मशीनी साधनों से मांसल साईड साफ की की गयी हो, (ज) संरक्षी लेप करना , (झ) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना, अथवा चमकाना,
	(ग) रेटान/कम्रेकिटड ग्रेमम/भी क्रोम अपर लैदर्स		पूर्णरूप से बाल साफ किए गए हो, अथवा शोधित किए गए हों जो संरक्षी लेप से संसाधित किया गया हो, इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात् :— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना, (ख) मिश्रित चर्म शोधन , (ग) रंगाई करना: सिन्थेटिक (कोल टार) डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना और इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देना ; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों द्वारा मांसल साईड साफ करना; (ज) संरक्षी लेप ; (झ) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना ; (ग) मध्यम गहरी शेड देना ; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (ज) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों से मांसल साईड साफ करना; (ज) संरक्षी लेप (झ) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना ;

1	2	3	4
	(घ) एम्बोस्ट /प्रिंटिड /जग ग्रेन अपर लेदर		फुल ग्रेन अथवा करेक्टिड ग्रेन हो सकता है और संरक्षी लेप तथा नक्काशी से परिष्कृत किया हुआ हो ; इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी ; नामशः (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना; (ख) मिश्रित चर्म शोधन ; (ग) रंगाई करना : सिंथेटिक (कोल टार) डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना ; जो इस प्रकार मध्यम / गहरी शेड देता हो ; **अथवा** रंगाई करना : चमड़े हल्के रंग से रंजित और विशिष्ट रूप से कोम वनस्पति/मिश्रित शोधित पपड़ीदार चमड़े के रंग से भिन्न ; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों से मांसल, साईड साफ करना ; (ज) संरक्षी लेप लगाना ; (झ) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना ;
	(ङ) नाप्पा/सोफ्टी/बूटी/अपर लेदर		नरम/लचीला और संरक्षी लेप के साथ तैयार किया गया हो; इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रिया शामिल होगी, नामशः— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना ; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई करना : सिंथेटिक (कोल टार), डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना ; जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता हो; (घ) वसा लगाना; (ङ) सैटिंग करना; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों से मांसल साईड साफ करना;

1	2	3	4
			(ज) संरक्षी लेप लगाना ; (झ) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना अथवा प्रेस करना/पोलिश करना ;
(च) पैटेन्ट/वैट लुक/पोलीयुनिथेन फिनिशड लैदर			संरक्षी लेप से परिष्कृत किया जाएगा जहां ऊपरी परत पोलियुरिथेन/वार्निश से सरफेस को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए की जाती है। इसके विनिर्माण में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रिया समाविष्ट होंगी, नामश : (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना ; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई करना : सिन्थेटिक (कोल टार) डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना ; इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड कर देना। अथवा रंगाई करना . हल्के रंग में रंगे हुए चमड़े और विशिष्ट रूप से क्रोम/वनस्पति/मिश्रण से शोधित पपड़ीदार चमड़े के रंग से भिन्न। (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना , (छ) मशीनी साधनों से मांसल साईड साफ करना ; (ज) संरक्षी लेप करना ;
(छ) श्रंकन ग्रेम/रिलेक्स लैदर्स			(शोधन अथवा पुन: शोधन द्वारा अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा उत्पादित शुन्कन पैटर्न तथा संरक्षी लेप से परिष्कृत किया जाएगा। इसके विनिर्माण में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रिया समाविष्ट होगी, नामशः (क) पदार्थ को 0.2 मि. मि. यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों मे, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई करना : सिन्थेटिक (कोल टार) डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड दें ;

क्रमांक	मदों का विवरण	
		(छ) वसा लगाना ;
		(ज) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ;
		अथवा
		ड्राई ड्रमिंग ;
		(ज) मैकेनिकल साधनों से ग्लीन मांसल साईड साफ करना
		(छ) संरक्षी लेप
	(ज) हुराशे/बोवन /मेंश लेदर	बनस्पति से/पुनः शोधित मिश्रित शोधित होगा ड्रम में से रंजित किया हुआ होगा। हल्की सी वसायुक्त होगा और संरक्षी लेप से परिष्कृत होगा, जो इनसोल के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसके विनिर्माण में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होंगी, नामश :
		(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना ;
		(ख) मिश्रित शोधन,
		(ग) रंगाई करना, सिन्थेटिक (कोलटार) डाई/यों से चमड़े को संशोधित करना, जो इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देता है ;
		(घ) वसा लगाना ;
		(ङ) सैटिंग करना ,
		(ज) मशीनी साधनों से मांसल साईड साफ करना;
		(छ) सरक्षी लेप
		(ज) चमकाना;
		अथवा
		मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना।
	(झ) धातु से संसाधित/मोतियों से ससाधित/ मोतियों से परिष्कृत चमड़ा	पूर्णरूप से बाल साफ किए गए हों अथवा शोधित किए गए हों उसे संरक्षी लेप से परिष्कृत किया जाएगा जहां टोपिंग धातु अथवा मोती सतह रोगन से की जाती है। इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रिया शामिल होगी, नामशः–
		(क) पदार्थ के अथक अधिक से अधिक 0.2 मि.मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा हाईड के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना।
		(ख) मिश्रित शोधन,
		(ग) रंगाई करना, सिन्थेटिक (कोल टार) डाई /यों से चमड़े को संसाधित करना ,

क्रमांक	मदों का विवरण
	और इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देना। अथवा रंगाई करना : हल्के रंग में रंगे हुए चमड़े और विशिष्ट रूप में क्रोम / वनस्पति / मिश्रित शोधित पपड़ीदार चमड़े के रंग में भिन्न; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (च) स्टेकिंग / बोर्डिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों से मांसल साईड साफ करना ; (ज) संरक्षी लेप, (झ) मलम्मा लगाना।
(ञ) हन्टिंग काफ स्यूडे अपर /शू स्यूडे/मेंट आउट इमिटेशन सांभर लेदर	मांसल साईड पर अपेक्षित नैप रखते हुए किसी वांछित स्तर और एक रूप शेड तक ड्रम में रंगा हुआ होगा। बालों की साईड को छीला गया हो/ तराशा जाएगा/इसकी मोटाई न्यूनतम 1.8 मि. मि. से कम नहीं होगी। इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी। (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से यदि अन्यथा विशिष्टकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई करना, सिन्थेटिक (कोल टार) डाई /यों से चमड़े को संसाधित करना और इस प्रकार मध्यम गहरी शेड देना; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (ज) स्टेकिंग बोर्डिंग करना , (छ) स्यूडे नैप तैयार करने के लिए बफिंग करना, (ज) ड्राई ड्रमिंग/प्लश व्हीलिंग/बफिंग द्वारा स्यूडे नैप को ऊंचा उठाना (झ) ग्रेन को छीलना/गहरा तराशना ;
(ट) चमकीला चमड़ा	ड्रम में रंगा जाएगा और ग्रेन पर लेप से परिष्कृत होगा जो शेड को गहरी करने के साथ रगड़ने समय एक विशेष चमक पैदा करेगा/ जांच करने पर मोम की मौजूदगी दिखाई देनी चाहिए। इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, नामशः— (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों को, पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना।

1	2	3	4
			(ख) मिश्रित शोधन,
			(ग) रंगाई करना ; सिन्थेटिक (कोल टार) डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना और इस प्रकार मध्यम / गहरी शेड तैयार करना ।
			(घ) वसा लगाना ;
			(ङ) सैटिंग करना ;
			(च)स्टेकिंग / बोर्डिंग करना ;
			(छ) मशीनी साधनों से मांसल साइड साफ करना ।
			(ज) चमकने योग्य प्रभाव और मोम का लेप
	(2) बकरी/भेड़ की खालों से		बकरी/किड/मेमना/भेड़ की खालों से विनिर्मित चमड़े को ऑम/मिश्रित शोधन किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा विशिष्टिकृत न लिया गया हो, पैरों के जूतों/चप्पलों/(फुटवीयर) के ऊपरी हिस्से के लिए संसाधित ;
	(क) एनिलाईन अपर लैदर		इस में रंगा गया हो और दिखाई देने वाले ग्रेन से संरक्षी लेप के साथ परिष्कृत किया गया हो। इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम कार्य शामिल होंगे, नामतः—
			(क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि. मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में, पेट और नालिदार हड्डियों को छोड़कर, समतल करना;
			(ख) मिश्रित शोधन ;
			(ग) रंगाई करना, सिन्थेटिक (कोलटार) डाई/यों से चमड़े को संसाधित करना और इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देना/अथवा रंगाई करना, हल्के रंग में रंगे हुए चमड़े और विशिष्टि रूप से ऑम/वनस्पति/मिश्रित शोधन पपड़ीदार चमड़े के रंग से मिश्र ;
			(घ) वसा लगाना ;
			(ङ) सैटिंग करना ;
			(च) स्टेकिंग/बोर्डिंग करना ;
			(छ) मशीनी साधनों से मांसवा साइड साफ करना ;
			(ज) संरक्षी लेप करना ;
			(झ) चमकाना ;
			(ञ) मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना ;

1	2	3	4
	सैमी एनिलाईन/एनिलाईस लुक/मैक एनिलाईन अपर लैदर		पूर्ण रूप से बाल साफ किए गए हों अथवा शोधित किए गए हों ; इसके विनिर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, नामतः — (क) पदार्थ को अधिक से अधिक 0.2 मि.मि. के अन्तर से, यदि अन्यथा विशिष्टिकृत न किया गया हो, चमड़ी अथवा खाल के सभी हिस्सों में पेट और नलीदार हड्डियों को छोड़कर समतल करना ; (ख) मिश्रित शोधन ; (ग) रंगाई करना, सिन्थेटिक (फोलटारी) ड्राई/थों में चमड़े को समाधित करना और इस प्रकार मध्यम/गहरी शेड देना; अथवा रंगना : हल्के रंग से रंगा गया चमड़ा और जो विशिष्टि रूप से क्राम/वनस्पति/मिश्रित शोधित पपड़ीदार, चमड़े के रंग से भिन्न ; (घ) वसा लगाना ; (ङ) सैटिंग करना ; (च) स्टेकिंग बोर्डिंग करना ; (छ) मशीनी साधनों से मांसल साईड साफ करना ; (ज) संरक्षी लेप ; (झ) चमकाना अथवा मुलम्मा लगाना/नक्काशी करना
	(2) सफेद/हल्के सफेद रंग का चमड़ा		पूर्ण रूप से साफ किया हुआ तैयार और संरक्षित लेप के साथ। इसकी बनावट में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं :— (क) उदर और शेन्कस को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एमएम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) मिश्रित चर्मशोधन किया गया हो ; (ग) वसा लगाया हुआ हो ; (घ) सैट किया हुआ हो ; (ङ) स्टेकिंग/बोर्डिंग किया हुआ ; (च) मशीनों द्वारा मांस की साइड साफ चमकीली की गयी हो; (छ) संरक्षित लेप किया हुआ हो ; (ज) मुलम्मा चढ़ा हो/उत्कीर्ण हो ; अथवा आतरण किया हुआ/पालिश किया हुआ हो ।

1	2	3	4
	(ख) चमकीला किया हुआ मेमने/चमकीला किया हुआ बकरी या भेड़/रंगा हुआ मेमने या बकरी का चमड़ा		मेमने/बकरी/भेड़ की खाल से निर्मित। कुम रंजित हों और संरक्षित लेपयुक्त हो। इसे तैयार करने में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई गई हों ; जैसे :— (क) उदर और शैंकस को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) मिश्रित चर्मशोधन किया गया हो ; (ग) रंगाई; सिंथेटिक (कोलतार) रंजकों से संसाधित चमड़ा हो ताकि मध्यम/गहरी शेड देता हो; (घ) बसा लगाया हुआ हो ; (ङ) सैट किया हुआ हो ; (च) स्टेरिंकग/बोर्डिंग किया हुआ हो ; (छ) मशीनों के जरिए मांस की साइड चमकीली बनायी गयी हो। (ज) संरक्षित लेपयुक्त हो ; (झ) चमकदार बनाया गया हो ;
	(ग) बकरी या भेड़ के अपर/मेमने या बकरी या भेड़ के रेंजिन से परिष्कृत चमड़े		पूर्ण रूप से कणदार या यथातथ्य कणदार हो, संरक्षित लेप करके तैयार किया हुआ हो। इसको बनाने में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रिया अवश्य अपनाई गई हो ; जैसे :— (क) उदर और शैंकस को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत हो; (ख) मिश्रित चर्मशोधन किया गया हो ; (ग) रंगाई सिंथेटिक (कोलतार) रंजकों से संसाधित चमड़ा हो ताकि मध्यम/गहरी शेड देता हो ; अथवा रंगाई हल्के रंग से रंजित चमड़ा और क्रोम/वनस्पति/मिश्रण से शोधित पपड़ीदार चमड़े के रंग से विशेष रूप से भिन्न। (घ) बसा लगाया हुआ हो ; (ङ) सैट किया हुआ हो ; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग किया हुआ हो ;

1	2	3	4
			(छ) मशीनों के जरिए मांस की साइड चमकीली बनायी गयी हो ;
			(ज) संरक्षित लेप युक्त हो ;
			(झ) मुलम्मा लगाया हुआ /नक्काशी किया हुआ,
			अथवा
			प्रेस किया हुआ /पालिस किया हुआ ।
	(घ) नेपा/मोल्टी बूटी अपर लेदर्स		मुलायम लचीला हो और संरक्षित लेप युक्त हो। इसके बनाने में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रिया अवश्य अपनाई गई हो :—
			(क) उदर और शैन्कस को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ;
			(ख) मिश्रित चर्मशोधन किया गया हो ;
			(ग) रंगाई सिंथेटिक (कोलतार) रंजकों से संसाधित चमड़ा हो ताकि मध्यम/गहरी शेड देना हो;
			(घ) बफ लगाया हुआ हो ;
			(ङ) सैट किया हुआ हो ;
			(च) स्टैकिंग/बोर्डिंग किया हुआ हो ;
			(छ) मशीनों के जरिए मांस की साइड चमकीली बनायी गयी हो ;
			(ज) संरक्षित लेपयुक्त हो ;
			(झ) मुलम्मा चढ़ा/उत्कीर्ण हो; या आयात किया हुआ/पालिस किया हो :
	(ङ) पेटेंट/गीला दिखाई पड़ने वाला पोलीयूरीथेन से तैयार चमड़ा		संरक्षित लेपयुक्त हो जिस पर पोलीयूरीथेन वार्निश की परत की गई हो जिससे उसकी ऊपरी सतह अधिक चमकीली हो गई हो।
			इसके उत्पादन में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई हो :—
			(क) उदर और शैकन्स को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो ; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ;
			(ख) मिश्रित चर्मशोधन किया गया हो ;
			(ग) रंगाई सिंथेटिक (कोलतार) रंजकों से संसाधित चमड़ा हो ताकि मध्यम /गहरी शेड देना हो;
			अथवा
			रंगाई : हल्के रंग से रंजित चमड़ा और क्रोम/वनस्पति/मिश्रण से संशोधित पपड़ीदार चमड़े के रंग से विशेष रूप से भिन्न।

1	2	3	4
			(घ) बसा लगाया हुआ हो ; (ङ) सैट किया हुआ हो ; (च) स्टेकिंग/बोर्डिंग किया हुआ हो ; (छ) मशीनों के जरिए मांस की साइड चमकीली बनायी गयी हो ; (ज) संरक्षित लेपयुक्त हो ;
(च) सिकुड़ा हुआ ग्रेन/स्प्लैक्स चमड़ा/मैमने का अपघर्षित चमड़ा			चर्मशोधन में अपघर्षित प्रभाव या किसी अन्य उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा उत्पाद के सिकुड़े हुए ग्रेन या सिकुड़े हुए पैटर्न/संरक्षित लेप द्वारा तैयार किए गए हों। इसको बनाने में कम से कम निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई हो ; (क) उदर और शैल्कस को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो, यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) मिश्रित चर्मशोधन किया गया हो ; (ग) रंगाई सिंथेटिक (कोलतार) रंजकों से संसाधित चमड़ा हो ताकि मध्यम गहरी शेड देता हो ; (घ) बसा लगाया हुआ हो ; (ङ) स्टेकिंग /बोर्डिंग किया हुआ हो ; (च) शुस्क बेल्लित ; (छ) मशीनों के जरिए मांस की साइड चमकीली बनायी गयी हो ; (ज) संरक्षित लेपयुक्त हो ;
(छ) सुनहरी तथा रंजित/फलक			उपयुक्त आधार और पत्थर के साथ चमड़े के ग्रेन तल में लगे हुए सुनहरी तथा रंजित फलक, सुनहरी या रंजित फायल पेपर । इसे तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई हो (क) उदर और शैल्कत को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) मिश्रित चर्मणोधन किया गया हो ; (ग) बसा लगाया हुआ हो ; (घ) सैट किया हुआ हो ; (ङ) स्टैकिंग/बोर्डिंग किया हुआ ; (ज) मशीनों द्वारा मांस की साइड साथ चमकीली की गयी हो ; (छ) मुलम्मा चढ़ा हो/उत्तीर्ण हो ।

1	2	3	4
	(2) धातु की तह चढ़ाकर मुक्तायुक्त मोती से परिष्कृत चमड़ा		धातु के परिष्करण/मोती के परिष्करण युक्त चमड़ा संरक्षी लेप से परिष्कृत किया गया हो। धात्विक अथवा मोती सत्त रोगन किया गया हो। इसको बनाने में निम्नलिखित प्रक्रिया अवश्य अपनाई गई हो :— (क) उदर और शैंकस को छोड़कर चर्म और खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन किया गया हो; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) मिश्रित चर्मशोधन किया गया हो ; (ग) रंगाई सिंथेटिक; (कोलतार) रंजकों से संसाधित चमड़ा हो ताकि मध्यम गहरी शेड देता हो; अथवा रंगाई : हल्के रंग से रंजित चमड़ा और क्रोम वनस्पति/ मिश्रण से शोधित पपड़ीदार चमड़े के रंग से विशेष रूप से भिन्न. ; (घ) बसा लगाया हुआ हो ; (ङ) सैट किया गया हो; (च) स्टैकिंग/बोर्डिंग किया हुआ हो; (छ) मशीनों द्वारा मांस की साइड साफ चमकीली की गयी हो ; (ज) संरक्षित किया हुआ हो ; (झ) मुलम्मा चढ़ाया/उत्कीर्ण किया गया हो ;
	(ज) भोरोक्को चमड़ा		वनस्पति/संयोजन चर्मशोधन द्वारा सामान्यत: बकरी की खालों से बनाया हुआ, हाथ द्वारा बार्डर करके अथवा यांत्रिकी साधनों द्वारा विकसित विशिष्ट ग्रेन पैटर्न/क्रम-रंजित तथा रक्षात्मक लेप द्वारा परिष्कृत । इसके विनिर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होंगे अर्थात :— (क) उदर और शैंक्स को छोड़कर चर्म अथवा खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम भिन्नता के साथ पदार्थ को समतल करते हुए, यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) मिश्रित चर्मशोधन ; (ग) रंगाई संश्लिष्ट (कोल टार) डाईयों द्वारा संसाधित चमड़ा, जो मध्यम/गाढ़ी रंगत देता हो; (घ) सैटिंग; (ङ) स्टैकिंग बोर्डिंग;

1	2	3	4
			(च) मशीनों द्वारा मांस की साइड को साफ करना ;
			(छ) रक्षात्मक लेप;
			(ज) चमकाना अथवा पत्तरा लगाना/उभारना।
	(क्ष) पत्तरित/छिद्रित/बुना हुआ/स्ट्रैप/संवारा हुआ चमड़ा		आमतौर पर वनस्पति/मिश्रित, चर्मशोधन द्वारा बकरी की खाल से तैयार किया हुआ, हल्की बसा लगाया हुआ और खूंटी पर सुखाया हुआ। निर्माण में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं होंगी, अर्थात :—
			(क) उदर तथा शैन्कस को छोड़कर चर्म अथवा खालों के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम तक अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ;
			(ख) मिश्रित चर्मशोधन;
			(ग) रंगाई; संशलिष्ट (कोलतार) डाई से तैयार किया गया चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी रंगत प्रदान करता हो ;
			(घ) सैटिंग ;
			(ङ) स्टैकिंग/बोर्डिंग;
			(च) मशीनों द्वारा मांस की साइड से साफ करना ;
			(छ) रक्षात्मक लेप–;
			(ज) चमकाना, अथवा पत्तरा लगाना/उभारना।
	(ब) लिक्षाए हुए चमड़े के ऊपरी भाग/जूतों के लिक्षाए हुए चमड़े के ऊपरी भाग		मांस वाली तरफ सिक्षाए हुए चमड़े के नेप सहित, बराबर और समतल शेड में ड्रम रंजित, दानेदार साइड छोली और/या तराशी हुई।
			इसको तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात :— नामशः–
			(क) उदर तथा शैन्कस को छोड़कर चर्म अथवा खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम तक अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ;
			(ख) मिश्रित चर्मशोधन ;
			(ग) रंगाई-संशलिष्ट (कोलतार) डाई/यों द्वारा संसाधित चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी रंगत देता हो;
			(घ) बसा लगाया हुआ ;
			(ङ) सैटिंग ;
			(च) स्टैकिंग/बोर्डिंग ;

1	2	3	4
			(छ) बछड़े के सिझाए हुए चमड़े के लेप तैयार करने के लिए वफ से न चमकाया हुआ। (ज) शुष्क ड्रमिंग/प्लश ह्वीलिंग/बफिंग द्वारा सिझाए हुए चमड़े के नेप उभारना ; (झ) दानों को छीलना/गहराई तक तराशना।
	(त) पालिश योग्य चमड़ा		ड्रम रंजित तथा दाने पर लेप के साथ परिष्कृत किया हुआ होगा, जोकि रगड़ने से हल्की सी गाढ़ी रंगत की अलग चमक देगा । जांच करने पर मोम की मौजूदगी दिखाई देगी। इसको तैयार करने में निम्नलिखित न्यूनतम (प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात :– (क) उदर और शैंक्स को छोड़कर चर्म अथवा खाल के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एम तक अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) मिश्रित चर्मशोधन ; (ग) रंगाई-संशलिष्ट (कोलतार) डाई/यों के संसाधित किया गया चमड़ा जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी रंगत देता हो ; (घ) बसा लगाया हुआ (ङ) सैटिंग (च) स्टैकिंग/बोर्डिंग (छ) मशीनों द्वारा मांस वाली तरफ साफ करना ; (ज) पालिश योग्य प्रभाव और मोम का लेप
	(7) तलबे का चमड़ा वनस्पति शोधित तलबे का चमड़ा		भैंस के या भारी एक्स हाइडम द्वारा बनाया गया भारी पदार्थ वाला चमड़ा। पूर्ण रूप से वनस्पति द्वारा शोधित दानों की साइड मुलायम और बेल्लित की जाएगी। इसको तैयार करने में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात :— (क) बसा लगाया हुआ ; या तेल लगाया हुआ (ख) सैटिंग (ग) रोलिंग
	(8) गद्देदार चमड़ा नेप्पा अपहोल्सटरी/आटोमोबाइल / फर्नीचर/अपहोल्सटरी/चमड़ा		गाएं तथा भैंस के चमड़े और बछड़े, बकरी और भेड़ की खाल से तैयार किया हुआ/क्रोम/मिश्रित शोधित किया पूर्णरूप से दानेदार या संशोधित दानेदार। रक्षात्मक लेप द्वारा परिष्कृत होना चाहिए।

1	2	3	4
			इसको तैयार करने में निम्नलिखित न्यूनतम प्रक्रियाएं शामिल होंगी, अर्थात :— (क) उदर और शैन्कस को छोड़कर चर्म अथवा खालों के सभी हिस्सों में अधिकतम 0.2 एम एस तक के अन्तर के साथ पदार्थ का समतलन; यदि अन्य प्रकार से विशिष्टिकृत न हो ; (ख) रंगाई-संशलिष्ट (कोलतार) डाई/यों से तैयार किया गया जो इस प्रकार मध्यम/गाढ़ी रंगत प्रदान करता है; (ग) बसा लगाया हुआ ; (घ) सैटिंग ; (ङ) स्टैकिंग/बोर्डिंग – (च) मशीनों द्वारा मांस वाली साइड को साफ करना ; (छ) रक्षात्मक लेप; (ज) चमकाना या मुलम्मा चढ़ाया हुआ/नक्काशी किया हुआ (यदि ई.आई.स्टॉक का चमड़ा हो तो मिश्रित शोधन की प्रक्रिया भी शामिल होगी।) टिप्पणी : (1) बछड़े के सिझाए हुए सभी चमड़े (सभी प्रकार के) का निर्यात केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा पूर्व प्रशासन की शर्त के अधीन है। (2) परिष्कृत कमड़े की अन्य कोई नई किस्म, जो ऊपर न बताई गई हो, के निर्यात की अनुमति केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा जांच तथा प्रमाणन के अधीन दी जा सकती है।
33. मानव निर्मित रेशे और धागे, और धागे, निम्नलिखित : (क) एक्रिलिक के हाथ से/मशीन से बुने हुए धागे (ख) 600 डेनियर और अधिक के रेयन टायर धागे (ग) सभी डेनियर की रेयन टायर कोर्ड (घ) रेयन टायर फैब्रिक (ङ) सिंथेटिक फाइबर की 50% और अधिक मात्रा के स्थन यार्न।			निर्यातकों द्वारा पोतलदान करने के 15 दिन के भीतर किए निर्यात के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिषद को सूचना भेजी जाएगी। निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन दी जाएगी। निर्यातकों द्वारा पोतलदान करने के बाद

1	2	3
		15 दिन के भीतर किए गए निर्यात के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिषद को सूचना भेजी जाएगी। कोटा वाले देशों को निर्यात के सम्बन्ध में खुला सामान्य लाइसेंस-3 की क्रम सं. 47 (1), (3), (4), (6) और (7) के सामने निर्दिष्ट शर्तें जहां कहीं आवश्यक हों, लागू होंगी।
34. निम्नलिखित समुद्री उत्पाद		निर्यात की अनुमति पूर्व-निर्धारित कीमतों और सम्पूर्ण बिक्री के आधार पर पक्के आदेशों/ संविदाओं के आधार पर दी जाएगी।
(1) सूखे तथा गीले नमकीन मछली उत्पाद		
(क) सूखी नमक लगी तथा बिना नमक लगी मछली		
(ख) सूखी नमक लगी तथा बिना नमक लगी झींगा मछली		
(ग) गीली नमक लगी मछली		
(घ) मछली/झींगा का अचार		
(ङ) मछली का जबड़ा		
(च) शार्कफिन्स		
(छ) मछली का तेल		
(ज) 2 इंच और उससे अधिक साइज की बीच डी मर ।		
(झ) सूखी मछली		
(ञ) सूखी नमक लगी तथा बिना नमक लगी बोम्बे डक्स		
(2) ताजे जीवित जमाए हुए तथा डिब्बा बन्द उत्पाद ।		
(क) पोमफ्रेट को छोड़कर ताजी मछली		
(ख) जीवित लोबेस्टर शैल मछली तथा मछली ।		
(ग) पोमफ्रेट और प्रान को छोड़कर जमाई हुई मछली		
(घ) फ्रोजन लोबेस्टर टैल्स फ्लैश		
(ङ) फ्रोजन क्लेम्स, ओएस्टर आदि		
(च) डिब्बाबन्द फिश, प्रानस, फ्लैश, क्लाम्स मुसलत आदि ।		
(छ) प्रेषणफ्रो/जन/प्रान्स ।		
(3) अन्य विविध समुद्री खाद्य उत्पाद :		
(क) अगर-अगर		
(ख) मछली के अन्डे		
(ग) पौधों तथा लाइव रॉक्स सहित एक्वेरियम सहित एक्वेरियम फिश ।		
(घ) कटल फिश बोन्स ।		

(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) अन्य समुद्री उत्पाद		
	(5) भारत के पश्चिमी तट से 300 ग्राम और उससे अधिक की तथा भारत के पूर्वी तट से 200 ग्राम और उससे अधिक वजन की ताजी तथा जमायी हुई सिल्वर पोमफ्रेट		
	(6) मछली का चूर्ण जिसमें प्रोटीन की मात्रा 50% या उससे अधिक हो ।		
35.	(1) दिल, जिगर, फेफड़े, मगज, जीभ, गुर्दे और अन्य अंगों सहित भैंस (नर और मादा दोनों का मांस)	(1) उस राज्य के मनोनीत पशु चिकित्सा प्राधिकारी जिसमें मांस उत्पन्न हुआ है से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि मांस प्रजनन के लिए प्रयुक्त और दुधारु भैंसों से भिन्न भैंसों का है, निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि निर्यात मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अमरीकी डालर 750 प्रति मीटरी टन से कम न हो।	
		(2) शीतित/जमाए हुए मांस के निर्यात की अनुमति राज्य के पशु-पालन निदेशालय के कार्यालय या इस आशय के लिए उनके स्थान पर प्राधिकृत किसी अन्य पशु चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि :	
		(1) लाइसेंस प्राप्त परिसर में और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एंटीमार्टम और पोस्ट-मार्टम निरीक्षण की शर्त के अधीन बध किए गए स्वस्थ पशु से मांस प्राप्त किया गया है,	
		(2) मांस स्वास्थ्यकर शर्तों के अधीन तैयार किया गया है और पौष्टिक तथा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।	
		(3) मांस परजीवी जन्तु बाधा से मुक्त है ।	
		मंगलौर और त्रिवेन्द्रम से जमे हुए मांस के निर्यात की अनुमति, संबंधित राज्य सरकारों के निदेशक, पशुपालन अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी दूसरे अधिकारी द्वारा जारी किए गए पोत लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र के अग्रिम प्रस्तुतीकरण किए जाने पर दी जाएगी। कोचीन और मद्रास में किए जाने वाले सभी निर्यातों के मामले में निरीक्षण क्रमशः निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोचीन और मद्रास द्वारा किया जाएगा । दिल्ली और बम्बई से किए जाने वाले निर्यातों के मामले में निरीक्षण या तो राज्य निदेशक पशु पालन या निर्यात निरीक्षण अभिकरण या विपणन और निरीक्षण, निदेशालय द्वारा किया जाएगा।"	
		प्रमाण-पत्र इस आशय का होगा कि :	
		(1) मांस कारकास रोगमूलक सूक्ष्म आर्गेनिज्म से मुक्त है।	

(1)	(2)	(3)	(4)
			(2) मांस/कारकास बैक्टीरियोलोजिकल कोटि विशिष्टिकरणों के समरूप होगा ।
			(1) (i) कुल बैक्टीरिया काउन्ट प्रति ग्राम 1 से 10 मिलियन की सीमा के भीतर होंगे।
			(2) ई कोलि बैक्टीरियल काऊंट प्रति ग्राम 100 से 1000 की सीमा के भीतर होंगे, और
			(3) कौन्ड बफेलो मीट और लंचियन बफलो मीट के मामले में, एम एफ ओ, 1973 और आई एस विशिष्टिकरण (कौन्ड बफेलो मीट के लिए आई एस-11747—1986 और लंचियन बफेलो मीट के लिए आई एस 11746-1986 के अन्तर्गत यथा निर्धारित निरीक्षण संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर या तो राज्य के पशुपालन निदेशालय या निर्यात निरीक्षण एजेंसी या भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाएगा ।
(2) भारतीय भेड़ का मांस जिसमें दिल, जिगर, फेफड़े, मगज, जी गुर्दे और अन्य अंग शामिल हैं । (3) भारतीय बकरी का मांस जिसमें दिल, जिगर, फेफड़ें, मगज, जीभ, गुर्दे और अन्य अंग शामिल हैं ।			अखिल भारतीय मांस और पशुधन निर्यातक संघ, बम्बई, राजस्थान राज्य भेड और उन विपणन महासंघ, जयपुर और उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कोचीन द्वारा आबंटित की जाने वाली सीलिंग के मद्दे भारतीय बकरी के मांस का निर्यात अनुमेय होगा और भारतीय भेड़ के मांस की सीलिंग, अखिल भारतीय मांस और पशुधन निर्यात संघ, बम्बई और नई दिल्ली, राजस्थान राज्य भेड़ और ऊन विपणन महासंघ, जयपुर और उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कोचीन के निपटान पर रखी जाएगी वाणिज्य मंत्रालय उपर्युक्त मनोनीत एजेंसियों को सीलिंग जारी करेगी । जब और जैसे ही निर्यातक उपर्युक्त संबंधित एजेंसी से सम्पर्क करेगा । निर्यात संघ निर्यातकों को निर्यात के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी से संपर्क करने की सलाह देते हुए सीलिंग स्लिप जारी करेगा । उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात , कोचीन को भेजे गए सीधे आवेदन पत्रों के संबंध में, वह कार्यालय सीलिंग स्लिप जारी करेगा जिसे निर्यातक निर्यात के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कोचीन उस कार्यालय को आबंटित सीलिंग के भीतर स्लिप जारी करेगा । जैसे ही संघ और उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कोचीन को आबंटित सीलिंग समाप्त हो जाएगी उसी समय वह सीलिंग स्लिप जारी करना बन्द कर देंगे

(1)	(2)	(3)	(4)
			मनोनीत एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्यातक घरेलू बाजार में दैनिक जरूरतों के पूरा होने के बाद ही स्थानीय मंडियों में मारने के लिए जीवित बकरी खरीदता है । यदि किसी विशेष दिन कुल आवश्यकता इस जरूरत से कम पड़ जाती है तो निर्यात के लिए कोई खरीद नहीं की जाएगी । यदि ऊपर की शर्त पूरी हो जाती है तो निर्यातक घरेलू आवश्यकताओं के लिए बकरियों के खरीदे जाने के बाद ही काटने के लिए बकरी खरीदने बाजार में जाएगा। इसी प्रकार के बूचड़खाने का उपयोग केवल घरेलू उपयोग के लिए बकरी मारे जाने के बाद ही करेंगे। मनोनीत एजेंसियां वाणिज्य मंत्रालय को आने वाले मास की 7 तारीख तक पूर्ववर्ती मास में किए गए निर्यात के आंकड़ों से सूचित करेंगी । शीतित/ जमे हुए मास का निर्यात राज्य के निदेशालय या उनकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमित किया जाएगा कि : (1) मांस स्वस्थ जानवरों से प्राप्त किया गया है जिसका वध निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एण्टी-मार्टम और पोस्टमार्टम के अधीन लाइसेंस शुदा परिसरों में किया गया है । (2) मांस सम्पूर्ण स्वास्थ्यकारी शर्तों के तहत तैयार किया गया है और मनुष्य के खाने के काबिल है । (3) मांस में किसी भी प्रकार के परजीवी नहीं है। मंगलौर में जमे हुए मांस के निर्यात की अनुमति राज्य निदेशक पशुपालन द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी और कोचीन और मद्रास से निर्यात के मामले में निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर अनमति दी जाएगी । दिल्ली और बम्बई के मामले में निरीक्षण या तो राज्य निदेशक पशुपालन या निर्यात निरीक्षण अभिकरण या विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाएगा । 1. मांस/कारकस रोग मूलक सूक्ष्म आर्गेनिज्म से मुक्त है । 2. मांस/कारकास निम्नलिखित क्वालिटी विशिष्टिकरण के समरूप होगा :— (1) कुल बैक्टीरियल काउंट प्रति ग्राम 1 से 10 मिलियन की सीमा के भीतर होंगें ।

(1)	(2)	(3)	(4)
			(2) ई. कोयन बैक्टीरियल प्रति 100 मे 6000 की सीमा के भीतर होंगे । (3) यह साल्मोनिलिया से मुक्त होगा ।
			भेड़ और बकरी के मांस के निर्यात की अनुमति केवल तत्काल बिक्री के आधार पर होगी और परेषण के आधार पर नहीं ।
			भारतीय भेड़ और बकरी के मांस का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य रु. 1950 प्रति मीटरी टन जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य की शर्त के अध्यधीन होगा ।
36 धातुकलीच अवशेष अर्थात ड्रोसिस, स्किमिंग स्लेग, एश स्लिमस और फल्य डस्ट (सोना और चांदी को छोड़कर) जिसमें की धातु की मात्रा 15% से कम हो।			निर्यात सीधे बिक्री/विदेश में प्रक्रिया के लिए अनुमित है और परिष्कृत धातु का पुन. आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—
			(क) धातु संबंधी अवशेष में मुक्त धातु की मात्रा भार मे 15% से कम है और वह अंतिमत. तितर-बितर स्थिति मे हो,
			(ख) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्लेषक से यह प्रमाणित करते हुए कि धातु संबंधी अवशेष में धातु मात्रा भार में 15% से कम है और वह अंतिमत. तितर-बितर स्थिति में है और अवशेष का 100% रसायनिक मिश्रण है एक सम्पूर्ण विश्लेषक रिपोर्ट निर्यातक द्वारा अन्य पोत परिवहन दस्तावेज के साथ भेजी गई है । विश्लेषक द्वारा 16 जाली की छलनी को उपयोग में लाया जाना है और इस तथ्य का उल्लेख रिपोर्ट में किया जाना चाहिए ।
			(ग) परिष्कृत माल के पुनः आयात के लिए और अथवा परिष्कार के पुनः आयात के लिए और अन्य खर्चों आदि के लिए कोई भी विदेशी मुद्रा अनुमित नही की जाएगी और निर्यातक द्वारा ऐसे खर्चे धातु संबंधी अवशेष परिष्कृत धातु के आकार में अदा किए जाएंगे । परिष्कृत धातु का आयात संबंधी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी सीमा-शुल्क निकासी परमिट की शर्त के अधीन होगा ।
			(घ) विदेश में धातु संबंधी अवशेष परिष्कृत धातु की बिक्री से अर्जित विदेशी मुद्रा को भारत में वापस लाया जाएगा ।
			(ङ) निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक के जी आर प्रपत्र की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और जी आर प्रपत्र की तीसरी प्रति के साथ परिष्कारक से लेखे के अंतिम समझौते के साथ प्राथमिक अंतिम भार और परख की अंतिम रिपोर्ट भी निर्यातक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

(1)	(2)	(3)	(4)

37. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची-1, भाग क-1 (च) में निर्दिष्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट उर्वरक तथा उनके मिश्रण

निर्यात की अनुमति रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् (केमेक्सिल) के साथ पंजीकरण की शर्त के अधीन दी जाएगी ।

38. मलबरी × डुपीयन फेब्रिक्स (100% प्राकृतिक रेशम)

मलबरी × डुपियन सिल्क फाइबर (100% प्राकृतिक रेशम की विभिन्न चौड़ाइयों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत (एम ई पी) नीचे प्रत्येक के सामने उल्लिखित अनुसार होगी :—

लम्बाई	प्रति मी. न्यूनतम जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
36"	90.00
44"	110.00
48"	120.00
54"	135.00

अन्य चौड़ाइयों के लिए कीमत यथानुपात गिनी जाएगी

39. धातु स्क्रेप लोहा कनस्न से भिन्न जिसमें 0.50% से अधिक निकल या 0.20 से अधिक मोलिबडनम अथवा 1.00 प्रति शत से अधिक टंगस्टन या 0.20% से अधिक वैनेडियम या 1.00% से अधिक कोबाल्ट की मात्रा हो और मिल स्केल स्क्रेप।

मान्यता प्राप्त लोक विश्लेषक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि स्क्रैप इस मद के अन्तर्गत दिए गए विशिष्टिकरण के अनुरूप है ।

(1) निकल केडमियम बेटरी स्क्रेप

(2) निकल पेलेटस को छोड़कर निकल स्क्रेप

निर्यात इस शर्त के अधीन अनुमत है कि परिष्करण करने में जो स्क्रैप घटी उसको घटाकर पूर्ण 100% परिष्कृत और पुनः आकार में करने के बाद माल को निकल प्लेट एनोडस के रूप में भारत में वापस आयात किया जाएगा ।

(3) प्लेटिनिम स्क्रैप

निर्यात की इस शर्त के अधीन अनुमति है कि परिष्करण करने में जो स्क्रेप घटी उसको घटाकर पूर्ण 100% परिष्कृत और पुनः आकार में करने के बाद स्क्रैप माल को भारत में पुनः आयात किया जाएगा ।

40. मोलेसिज

मोलेसिज नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अधीन

41. अरमाटिक सब्जियों के भाग के रूप में प्याज

वायुयान द्वारा प्रति प्रेषण केवल 20 कि.ग्रा. तक निर्यात अनुमित है ।

42. निम्नलिखित पौधों के भाग :
पौधों के भाग जिन के निर्यात की अनुमति दी जाएगी :—

(क) पौधा
1. बेटिलिया कोडास्ला बेरा संपूर्ण पौधा
2. डलबरजिन लालिटोलिया रोक्स बीज
3. लम्बाटेरा कारमींरियाना रोम्ब फल/बीज
4. मंगोलिया पेट्रोकार्पा रोक्स बीज
5. पैंगाल्यूलिजिया ग्रैंडिफ्लोरा ओं ब्राउ ड्स और हटचिनसन जड़ें स्टाक/बीज
6. पिनांगा ग्रेमलिम बी एल सम्पूर्ण पौधा
7. पिनस जिरारदियाना वाल बीज
8. पापुलस गैम्बली डोड कटिंग/बीज
9. पैट्रोकार्पट डलबरगियोडिस बीज

निर्यात की अनुमति निम्नलिखित प्रस्तुत करने पर दी जाएगी :—

(1) मुख्य वन संरक्षण या मुख्य वन जीव वार्डेन या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए इस आशय का प्रमाणपत्र कि सामग्री कल्चर तकनीकी के माध्यम से बढ़ाई गई बागान या नर्सरी मूल की है,

(2) पौध लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र ; और

(3) सी आई टी ई एस (जंगली फोना एवं फ्लोरा संकटापन्न जातिय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) प्रमाणपत्र

1	2	3	4
10	सन्तालम एलबम बीज		
	(ख) " वनस्पतिक पौधे		
	(i) डिसचिड़िया संपूर्ण पौधे रिकिलसियाना आर वी आर		
	टिप्पण :– लेकिन उपर्युक्त विनियमों में ढील दी गई है और फर्मों को मुख्य वन संरक्षक या मुख्य वन्य जीव वार्डन या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि सामग्री पादप या नर्सरी मूल की है निर्यात करने की अनुमति है ।		
43.	अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम/पास बुक अथवा किसी अनुमोदित शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट के अधीन आयात की गई दालों से संसाधित दालें ।	निर्यात लाइसेंस में विनिर्दिष्ट लागतबीमा भाड़ा मूल्य के समतुल्य अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम/पास बुक या अनुमोदित शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिट के अंतर्गत अनुमति है । नोट :– स्वदेशी दालों में से संसाधित दालों का निर्यात अनुमति नहीं किया जाएगा ।	
44.	सीलियम सीड सीलियम हस्क/सीलियम पाउडर	बेसिक केमिकल्स,फार्मास्युटिकल्स एंड कास्मेटिरटक्स निर्यात संवर्धन परिषद के साथ संविदाओं के पंजीकरण के आधार पर निर्यात की अनुमति है :	
45.	माईका वेस्ट/फैक्टरी कटिंग्स और माईका स्क्रैप को छोड़कर संसाधित माईका जिनमें माईका ब्लैक्स माईका फिल्मस और सभी ग्रेड के स्प्लिटिंग्स शामिल है ।	भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड/भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के पास संविदाओं के पंजीकरण के 15 दिनों में निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी तथा जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा इसके मूल्य में संशोधन नहीं किया जाता तब तक भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा पहले से तय किए गए न्यूनतम निर्यात मूल्य पर निर्यात किया जाता रहेगा । इस प्रयोजन के लिए भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड/भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा कोई सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा ।	
46.	(i) फास्फोरस आक्सीक्लोराईड (ii) फासफोरस ट्रीक्लोराईड (iii) थिनाईल क्लोराईड	रसायन एवं पट्रोलियम मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग) नई दिल्ली से "अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्यात अनुमत है ।	
47.	कच्ची कपास (i) बंगाली कपास देशी ।	निर्यात के लिए वांछित मदों के गुण/मात्रा के संबंध में वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए पंजीकरण और आबंटन प्रमाण-पत्र के मद्दे निर्यात अनुमेय होगा	

1	2	3	4
	(2) आसाम कामीलास		निर्यात के लिए वांछित मदों के गुण/मात्रा के संबंध में वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए पंजीकरण और आबंटन प्रमाणीकरण के मद्दे निर्यात अनुमेय होंगे।
	(3) स्टेपल कपास		
	(4) अग्नि/जल के कारण जो कपास बिवर्ण हो गई हो,		
	(5) जोडा और स्वीपिंगस		
	(6) येलो पिकिंग		
	(7) अन्य		
48.	तिल के बीज		निर्यात की अनुमति भारतीय तेल और उत्पाद निर्यातक संघ (आई ओ पी ई ए) के साथ संविदा के पंजीकरण के मद्दे दी जाएगी।
49.	शोडि यार्न		निर्यात की अनुमति समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त के अधीन दी जाएगी।
50.	रेशमी कालीनों को छोड़कर रेशमी माल		निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साखपत्र या भुगतान के मद्दे दस्तावेजों के आधार पर दी जाएगी।
51.	(1) आयात– निर्यात नीति 1990—93 (खंड–1) के पैरा 292(2) में उल्लिखित चांदी के जेवरात और चांदी की वस्तुएं		आयात – निर्यात नीति 1990–93 (खण्ड 1) के अध्याय 21 और प्रक्रिया पुस्तक 1990–93 के अध्याय 21 में दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
	(2) भार में 50 प्रति शत से कम चांदी की मात्रा चांदी के आभूषण		निर्यात इस शर्त के अधीन अनुमति किया जाएगा कि चांदी के आभूषणों में चांदी की मात्रा का जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य या तो भारतीय मूल्य से या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से इनमें निर्यात की तिथि को जो अधिक हो, उस मूल्य से कम से कम 331/3 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए चांदी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्यात की तिथि को लंदन या न्यूयार्क में चांदी की चालू दर को ध्यान में रखते हुए सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
52	मुलायम कपास की रद्दी/सख्त कपास की रद्दी		इच्छित मद के गुण मात्रा के संबंध में वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्यात के लिए जारी किए गए पंजीकरण और आबंटन प्रमाणन के मद्दे।
53.	घुलनशील निस्सारित बिनौले की खली (छिलका रहित और छिलका सहित)		निर्यात की अनुमति समय-समय पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीलिंग के भीतर अखिल भारतीय बिनौल करशर संघ बम्बई के साथ संविदा पंजीकरण की शर्त के अधीन दी जाएगी।

1	2	3	4
54.	(1) भाग "क" और "ख" में जो उल्लिखित है उनसे भिन्न गुलनशील निस्सारित आयलमील (2) पशु कुक्कुट खाद्य मिश्रण । (3) आम की गुठली की गिरी का तेल, नीम का तेल (4) माल के बीजों का तेल, और (5) कोकुम फैट/धूपा फैट		निर्यात की अनुमति साल्वेंट एक्स्ट्रेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई के साथ संविदा के पंजीकरण के मद्दे दी जाएगी ।
55.	पोयाबीन निस्सारण		निर्यात की अनुमति सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया इंदौर के साथ संविदा के पंजीकरण के मद्दे दी जाएगी ।
56.	चीनी		चीनी निर्यात विकास अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ।
57.	बिहार मूल के स्टोन बैलास्ट/पिचिंग स्टोन को छोड़कर स्टोन बलास्ट/पिचिंग स्टोन		
58.	मिलवर्ष माईका माईका फ्लेक और फैब्रिकेटिड माईका		भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन निर्यात अनुमति है ।
59.	वस्त्र मशीनरी, अर्थात:—भारत और आस्ट्रिया के बीच समझौता जापन के अधीन कुछ सूती वस्त्रों सिन्थेटिक वस्त्र उत्पादों का आस्ट्रिया को निर्यात		(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे:— (क) वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, और (ख) पोशाक और सिलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद; पोत-परिवहन बिलों पर प्रमाण पत्र द्वारा । (2) निर्यात हकदारी के आबंटन के मामले में निर्यात संवर्धन परिषद वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगी और न्यूनतम मूल्य पद्धति के माध्यम से उपयुक्त वसूली के लिए प्रयास करेगी । (3) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्र ऐसे हथकरघा वस्त्रों से बने हस्त-निर्मित सूती वस्त्र उत्पाद और परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद भारतीय मदों" के रूप में कहे जाने वाले मात्रिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, सूती हथकरघा उत्पादों के लिए संयोजन प्रपत्र के भाग–2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पृष्ठांकन" आवश्यक होगा । भारतीय मदों" के मामले में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय या वस्त्र समिति द्वारा जारी किया किया गया उचित प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा । (4) "भारतीय मदों" में भिन्न पोशाकों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अधीन दी गई श्रेणी के अनुरूप और विशिष्टिकरण के साथ और हथकरघा मूल, औद्योगिक/संस्थागत पोशाकों, वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित पोशाकों पर यथा इंगित नमूनों के अनुसार होगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)
	(ii) भारत और कनाडा के बीच सहमति ज्ञापन के अधीन सूती, ऊनी और मानवनिर्मित रेशों या उनके मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादों का कनाडा को निर्यात		निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आवंटन के मद्दे:— (क) वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए (जिसमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल नहीं है) के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ; (ख) पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों (जिसमें सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्र शामिल नहीं है) के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद; और (ग) ऊनी वस्त्रों और तैयार वस्त्रों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों (लेकिन जिसमें ऊनी पोशाकें शामिल नहीं है) के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद । लेकिन पोत परिवहन बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सभी वस्त्रों और तैयार वस्त्रों (जिसमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल है) के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा और पोशाकों एवं सलाई से बुने हुए वस्त्रों के मामले में ऐसा प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा । (2) निर्यात हकदारी के आबंटन के मामले में निर्यात संवर्धन परिषद वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करेगा और न्यूनतम मूल्य पद्धति के माध्यम से उपयुक्त वसूली के लिए प्रयास करेगा । (3) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्र, ऐसे हथकरघा वस्त्रों से निर्मित हस्तनिर्मित कपड़ा और वस्त्र उत्पाद, मिली हुई कालर वाली कमीज को छोड़कर कपड़ा और परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद (जो भारतीय मदों के नाम से जाने जाते है) मात्रिक प्रतिबन्धों के अधीन नहीं हैं। सभी हथकरघा वस्त्रों, तैयार वस्त्रों और प्रतिबंधित मदों के सम-रूप तैयार पोशाकों के निर्यात के मामले में संयोजन प्रपत्र के भाग–2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण परीक्षण" आवश्यक होगा । भारतीय मदों के संबंध में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय या वस्त्र समिति द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाणपत्र आवश्यक होगा । (4) "भारतीय मदों" से भिन्न पोशाकों के निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अधीन दी गई श्रेणी के अनुरूप और विशिष्टिकरण के साथ समरूप होंगे और हथकरघा मूल के, औद्योगिक संस्थागत पोशाकों, वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित पोशाकों पर यथा इंगित नमूनों के अनुसार होगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)
(iii)	भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र समझौते के अंतर्गत सूत, ऊन और मानव निर्मित रेशों (जिसमें पटसन रेशम और फ्लेक्स शामिल नहीं है) से बने वस्त्रों और वस्त्र सामग्री का यूरोपिय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों को को निर्यात ।	(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे:— (क) वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए (जिसमें ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल नहीं है) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद । (ख) पोशकों और बुने हुए वस्त्रों के लिए (जिसमें ऊनी बुने हुए वस्त्र शामिल नही है) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद । (ग) ऊनी वस्त्रों, तैयार वस्त्रों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए (जिसमें ऊनी पोशाक शामिल नहीं है) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद । सभी प्रकार के कपड़ों और तैयार कपड़ों (जिसमें ऊनी कपड़े और तैयार कपड़े भी शामिल है) के लिए पोतलदान बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जायेगा और सभी पोशाकों और बुने हुए वस्त्र (जिसमें ऊनी पोशाक और बुने हुए वस्त्र शामिल है) के लिए ऐसा प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा । (2) निर्यात हकदारी के आबंटन के मामले में निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जायेगा और न्यूनतम मूल्य प्रक्रिया के माध्यम से उचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाएंगें । (3) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्रों, हथकरघा वस्त्रों से बने हस्तनिर्मित कुटीर उद्योग उत्पाद (पोशाकों से भिन्न) और परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्त्र सामग्री (भारतीय मदें) मात्रिक प्रतिबंध के अधीन नहीं है । सभी हथकरघा तैयार वस्त्रों के निर्यात के मामले में संयोजन प्रपत्र के भाग–2 में वस्त्र समिति द्वारा एक "निरीक्षण पृष्ठांकन" अपेक्षित होगा । "भारतीय मदों" के संबंध में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा । (4) भारतीय मदों से भिन्न अन्य पोशाकों के निर्यात, द्विपक्षीय समझौते अधीन दी गई श्रेणी के अनुरूप और विशिष्टिकरण के समरूप होंगे और हथकरघा मूल की, औद्योगिक/संस्थागत पोशाकें, वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित पोशाकों पर यथा इंगित नमूनों के अनुसार होंगी ।

1	2	3	4
	(4) भारत और फिनलैण्ड के बीच समझौता ज्ञापन के अधीन सूती और तैयार रेशों के वस्त्र उत्पादों का फिनलैण्ड को निर्यात ।	(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे :— (क) पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद । (ख) ऊनी जुराबों के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद लेकिन पोत परिवहन बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सभी पोशाकों अथवा सलाई से बुने हुए उत्पादों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा । (2) निर्यात हकदारी के आबंटन के मामले में निर्यात संवर्धन परिषद वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगी और न्यूनतम मूल्य पद्धति के माध्यम से उपयुक्त वसूली के लिए प्रयास करेगी । (3) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्र ऐसे हथकरघा वस्त्रों से बने हस्त निर्मित कुटीर उद्योग उत्पाद (ब्लाउज और कमीजों से भिन्न और परम्परागत लोक हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद) भारतीय मदें मात्रिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं है । हथकरघा ब्लाउज और कमीजों के मामले में वस्त्र समिति द्वारा इस संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा कि वस्त्र मूल रूप से हथकरघा द्वारा तैयार किए गए है, "भारतीय मदों" के अंतर्गत वस्त्र उत्पादन के मामले में वस्त्र समिति या वस्त्र आयुक्त (हस्तशिल्प) से एक प्रमाण पत्र आवश्यक होगा । (4) भारतीय मदों से भिन्न अन्य पोशाकों के निर्यात, द्विपक्षीय समझौते के अधीन दी गई श्रेणी के अनुरूप और विशिष्टिकरण के साथ समरूप होंगे और हथकरघा मूल के, औद्योगिक/संस्थागत पोशाकों, वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित पोशाकों पर यथा इंगित नमूनों के अनुसार होंगे ।

1	2	3	4
	(5)	भारत और नार्वे के बीच समझौते के अधीन कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशों या उनके मिश्रण से बने हुए कुछ वस्त्र और वस्त्र उत्पादों का नार्वे को निर्यात ।	(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे :— (क) तैयार वस्तुओं के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद । (ख) ऊनी सलाई से बुने हुए पहनावों को छोड़कर पोशाकों और सलाई से बुनी हुई पोशाकों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद । (ग) ऊनी तैयार वस्त्र और सलाई से बुनी हुई ऊनी पोशाकों (किन्तु ऊनी पोशाकों को छोड़कर) के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद । पोत परिवहन बिलों पर अपेक्षित प्रमाणन मेड अप्स के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दिया जाएगा और पोशाकों व सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के संबंध में ऐसा प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दिया जाएगा । (2) निर्यात हकदारी निर्धारण के मामले में निर्यात संवर्धन परिषद, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करेगी और निम्नतम (फ्लोर) मूल्य पद्धति के माध्यम से उचित वसूली को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करेगी । (3) कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्र, कुटीर उद्योग में हाथ से बनाए गए ऐसे वस्त्रों के उत्पाद (विशेष सीमा की शर्त के अधीन पोशाकों की मदों से भिन्न) और कुटीर उद्योग के लोक परम्परागत हस्तशिल्प के वस्त्र (भारतीय मदें) मात्रिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं जहां तक हथकरघा के मेड अप्स और निगरानी के अधीन हथकरघा की पोशाकों के निर्यातों का संबंध है इनके मामले में संयोजन प्रपत्र के भाग 2 में वस्त्र समिति द्वारा निरीक्षण पृष्ठांकन की आवश्यकता होगी । भारतीय मदों के संबंध में विकास आयुक्त, हस्तशिल्प के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी ।

1	2	3	4
			(4) "भारतीय मदों" से भिन्न पोशाकों का निर्यात द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार हथकरघा वस्त्र के उद्गम, वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित पोशाकों के नमूनों पर यथा निर्दिष्ट औद्योगिक संस्थागत पोशाकों के समरूप होगा ।
(6) भारत-स्वीडन वस्त्र समझौते के अधीन सूती, ऊनी, मानव निर्मित रेशे या उनके मिश्रण के कुछ वस्त्र उत्पादों का स्वीडन को निर्यात ।			(1) निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आवंटन के मद्दे :— (क) तैयार (तैयार ऊनी वस्त्रों को छोड़कर) वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ; (ख) पोशाकों और सलाई के बुने हुए वस्त्रों के लिए (सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों को छोड़कर) के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ; और (ग) तैयार ऊनी वस्त्रों और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद । लेकिन, पोत परिवहन बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सभी तैयार वस्त्रों (तैयार ऊनी वस्त्रो सहित) के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा और सभी पोशाकों और सलाई मे बुने हुए वस्त्रों सहित) के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा ।
			(2) निर्यात हकदारी के आवंटन के मामले में, निर्यात संवर्धन परिषदें वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करेंगी और न्यूनतम मूल्य पद्धति के माध्यम से उपयुक्त वसूली के लिए प्रयास करेंगी ।
			(3) "भारतीय मदों" के निर्यात के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।
			(4) "भारतीय मदों" से भिन्न अन्य पोशाकों के निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अधीन की गई श्रेणी के अनुरूप और विशिष्टिकरण के साथ समरूप होंगे और हथकरघा मूल के औद्योगिक/संस्थागत पोशाकें, वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित पोशाकों पर यथा इंगित नमूनों के अनुसार होंगे ।

1	2	3	4
(7)	भारत-संयुक्त राज्य अमरीका वस्त्र समझौते के अधीन सूत, ऊन, मानव-निर्मित रेशों, रेशम मिश्रित और वनस्पति फाइबर (जिसमें पटसन, असली रेशम शामिल नहीं है) से बने वस्त्रों का संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात ।	(1)	निम्नलिखित द्वारा निर्यात हकदारी के आबंटन के मद्दे :—
			(क) वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए (जिसमे ऊनी वस्त्र और तैयार वस्त्र शामिल नहीं हैं), सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ।
			(ख) पोशाकों और सलाई से बुने वस्त्रों के लिए (जिसमें सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्र शामिल नहीं है) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ।
			(ग) ऊनी वस्त्रों, तैयार वस्त्रों और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए (लेकिन जिसमें ऊनी पोशाक शामिल नहीं है) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद । लेकिन ऊनी वस्त्रों और तैयार वस्त्रों के लिए पोतलदान बिलों पर आवश्यक प्रमाणन सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के मामले में इस प्रकार का प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा ।
		(2)	निर्यात हकदारी के आबंटन के मामले में निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगी और न्यूनतम मूल्य प्रक्रिया के माध्यम से उचित वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी ।
		(3)	कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्रों, ऐसे वस्त्रों से बने हस्त निर्मित कुटीर उद्योग उत्पाद (पोशाकों से भिन्न) और कुटीर उद्योग के परम्परागत लोकहस्तशिल्प वस्त्रों की सामग्री (भारतीय मदें) मात्रिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं है । सभी हथकरघा तैयार वस्त्रों के निर्यात के मामले में संयोजन प्रपत्र के भाग–2 में वस्त्र समिति द्वारा एक "निरीक्षण पृष्ठांकन" अपेक्षित होगा । "भारतीय मदों" संयोजन के भाग–2 में समिति के संबंध में, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा जारी किया गया उचित प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा ।
		(4)	"भारतीय मदों" से भिन्न पोशाकों के निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अधीन दी गई श्रेणी के अनुरूप और विशिष्टिकरण के साथ और हथकरघा मूल की औद्योगिक संस्थागत पोशाकों का वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित पोशाकों पर यथा इंगित नमूनों के अनुसार होगा ।

1	2	3	4
	(8) हथकरघा पर बने असली मद्रासी रूमालों (आर एम एच के) का निर्यात		कोटोनाऊ, लोन और अकरा (घाना) को हथकरघा पर बने असली मद्रासी रूमाल (आर एम एच के) के निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साखपत्र और सी ए डी (दस्तावेजों के प्रति नकद) दोनों के तहत निर्यातक द्वारा इस घोषणा की शर्त के अधीन दी जाएगी कि निर्यात किये जाने वाले असली मद्रासी रूमाल हथकरघा पर बने हैं। आर एम एच के का सी ए डी शर्तों पर निर्यात केवल उस सीमा तक किया जाएगा जिस सीमा तक निर्यातक एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन लि. (ई. सी. जी. सी.) में राशि का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
	(9) असली रेशा तथा नकली रेशमी वस्त्र और उनसे बनी सामग्री (होजरी सहित को छोड़कर) सूती वस्त्र और उसकी जैतूनी हरी शीट की सामग्री		निर्यात की अनुमति पोशाकों के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद से और वस्त्र और मेडअप के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद से निर्यात संविदाओं के पंजीकरण की शर्त के अधीन दी जाएगी।
60.	ओलाइव ग्रीन रंग के टैन्ट और टैन्ट कनवास		कपास निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ हुए निर्यात समझौते के पंजीकरण के अधीन निर्यात अनुमति है।
61.	वूल नोएल्स को छोड़कर आयातित वूल से बने वूल टोप्स		सीमाशुल्क बन्ध-पत्रों के अन्तर्गत आयातित ऊन से बने वूल टोप्स।
62.	निम्नलिखित लकड़ी और इमारती लकड़ी :—		
	(1) सभी किस्मों की इमारती लकड़ी		लाल चन्दन की सभी किस्मों को छोड़कर परिष्कृत इमारती लकड़ी के निर्यात की अनुमति सभी अनुमेय स्थानों के लिए दी जाएगी। लाल चन्दन की लकड़ी से बनी लकड़ी परिष्कृत इमारती लकड़ी मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश या मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु जो भी हो, से इमारती लकड़ी की अधिप्राप्ति के संबंध में जारी किया गया उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।
	(2) आउट्स चिप्स फ्लेक्स और पाऊडर के रूप में संदल की लकड़ी		आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु अथवा कर्नाटक के मुख्य वन महासंरक्षक द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर रफ, इरेंगुलर साइज और शेप और विभिन्न साइजों जिनमें प्रत्येक का भार 50 ग्राम से अधिक न हो, के चिप्स का निर्यात अनुमत होगा।
	(3) सन्दल की लकड़ी से बने हस्तशिल्प		निर्यात की अनुमति अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी की संदल की लकड़ियों से बनी हस्तशिल्प की वस्तुओं का मूल्यांवर्धन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा समय-समय पर प्रति मीटरिक टन संदल की लकड़ी की औसत आधार कीमत का न्यूनतम 300% है। सन्दल की लकड़ी की ऐसी हस्तशिल्पों के निर्यात की अनुमति दी जाएगी जो पूर्ण हो और आगे कच्चे माल का रूप बिगाड़ने की कोई गंजाइश न हो ये हस्तशिल्प अर्द्ध परिष्कृत/अपरिष्कृत रूप से नक्काशी या सामान्य सतह/निक्षारण की हुई न हो।

1	2	3	4
	(4) निम्नलिखित मशीन से परिष्कृत सन्दल की लकड़ी के उत्पाद		प्रत्येक मद/उत्पाद के संबंध में अधिकतम भार प्रति टुकड़ा 25 ग्राम होगा और प्रत्येक के लिए न्यूनतम मूल्य वर्धन 250% होगा।
	1. ग्रीटिंग कार्ड		
	2. महिलाओं के दस्ती पंखों के लिए ब्लेड		
	3. घड़ियों के बाहरी खोल और डायल		
	4. उपर्युक्त विशिष्टिकरण और मूल्यवर्धन मान-दण्ड को पूर्ण करते हुए समान स्वरूप का कोई अन्य उत्पाद।		

भाग "घ"

सारणीबद्ध अभिकरणों द्वारा निर्यात के लिए अनुमित मदें

कालम 3 में उल्लिखित सारणीबद्ध अभिकरण उस देश को छोड़कर जिनको इस समय लागू किसी भी कानून द्वारा निर्यात प्रतिबन्धित है, किसी भी देश को नीचे लिखे माल का निर्यात कर सकते हैं :—

क्रम सं.	मदें	सारणीबद्ध अभिकरण का नाम तथा पता
1	2	3
1.	निम्नलिखित रसायन, नामशः—	
	(1) बेन्जिन	भारतीय तेल निगम, नई दिल्ली।
	(2) पैराफिन वैक्स टाइप-3	बालमेर लारी एंड कम्पनी, कलकत्ता।
2.	गम कराया	दी ट्राइबल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि. (ट्राइफेड), नई दिल्ली।
3.	निम्नलिखित खनिज अयस्क तथा सांद्रण, नामशः	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, बम्बई।
	(1) थोरियम अयस्क तथा सांद्रण	
	(2) अनुषंगी अवयवों के रूप में निम्नलिखित तत्वों वाले कुछ अन्य खनिज जिनमें	
	(क) कोलमबाइट	
	(ख) मोनोजाइट	
	(ग) समस्काइट	
	(घ) यूरेनिफेरस एलामइट शामिल है :—	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड
	(1) रेडियम अयस्क एवं सांद्रण	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड
	(2) थोरियम अयस्क एवं सांद्रण	केरल मिनरल्स और मेटल्स लिमिटेड
	(3) यूरेनियम अयस्क एवं सांद्रण	
	(4) अयस्क से तांबें या सोने को निकाल लेने के बाद अयस्क के बचे हुए यूरेनियम धारित टेलिंग	
	(5) जिरकान अयस्क और सान्द्रण (जिरकोन पत्थरों की अर्ध बहुमूल्य किस्मों सहित)	

1	2	3	4
	(3) भारतीय रेयर अर्थ खनिज एवं धातु लि. एवं केरल खनिज एवं धातु लि. द्वारा उत्पादित ग्रेनुलर सिलिमेनाइट		
	(4) गोवा मूल के लौह अयस्क से भिन्न लौह अयस्क जब इसका निर्यात जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान के अतिरिक्त चीन या यूरोप को किया जाए और सभी बाजारों के लिए रेडी मूल के लौह		खनिज एवं धातु व्यापार निगम
	(5) निम्नलिखित क्रोम अयस्क एवं सांद्रण नामश.— (1) 38% तक सीआर 2 और 3 सहित क्रोम अयस्क लम्प (2) सीआर 2 और 3 और 4% से अधिक सिलिका सहित लो सिलिका फरायेबल/फाइन अयस्क		
	(6) निम्नलिखित को छोड़कर मैंगनीज अयस्क :— रसायनिक रूप में संसाधित मैंगनीज डाई-आक्साइड 46% से अधिक मैंगनीज वाली लम्पी ब्लेंडिड मैंगनीज अयस्क		
	(7) केलसाइड बोक्साइट को छोड़कर बाक्साइट की सभी श्रेणियां और (पश्चिम तटीय मूल के 54% से कम अल्यूमिना अन्तर्वस्तु ए एल 2 ओ 3 वाले निम्न कोटि के बाक्साइट		
	(8) मेंगनीज अयस्क को छोड़कर निम्नलिखित :— लम्पी मिश्रित मेंगनीज अयस्क, 46% से अधिक मेंगनीज के साथ ।		
	(9) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. द्वारा उत्पादित एफ ई को कम या 40% मात्रा वाली निम्न ग्रेड अयस्क को परिष्कृत करके और/या जमा कर तैयार किया गया लौह अयस्क		कुद्रेमुख लौह अयस्क कं. लि. (केआईओसी एल) बंगलौर ।
	(10) कुद्रेमुख लौह अयस्क कं. लि. (के आई ओ सी एल) द्वारा उत्पादित सांद्रण से विनिर्मित लौह अयस्क पैलेट्स		
4.	रामतिल		(1) भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लि. (नेफेड) । (2) ट्राइबल को-ओपरेटिव मार्केटिंग डिवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लि. (टी आर आई एफ ई डी)
5.	प्याज		भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लि. (नेफेड)
6.	(i) स्नेहक, ग्रीज, और अपरिष्कृत (क्रूड) तेल सहित सभी पेट्रोलियम उत्पाद		भारतीय तेल निगम लिमिटेड
	(ii) भारतीय उद्गम के स्नेहक तेल एवं ग्रीज		टी आर आई एफ ई डी और स्टेट ट्राइबल कारपोरेशन

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	गम रोजिन		
8.	अभ्रक की रद्दी (फैक्ट्री कतरन सहित) और स्क्रेप जो अभ्रक संसाधित करते हुए प्राप्त की जाती है और जो आकार एवं रंग के कारण संसाधित अभ्रक के विशिष्टिकरण से कम समझी जाती है।		भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि./भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड
9.	शुद्ध देशी घी		राष्ट्रीय डेरी विकास निगम लिमिटेड (एन डी डी बी)
10.	अनाज पर आधारित दुग्ध छुड़ाए हुए खाद्य पदार्थ जिनमें भार में ठोस दुग्ध पदार्थों की मात्रा 50% से कम हो		कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
11.	चूर्ण रूप में दुग्ध (मलाई उतारा हुआ या पूर्ण क्रीम)/पूर्ण या शिशु दुग्ध खाद्य		राष्ट्रीय डेरी विकास निगम लिमिटेड (एन डी डी बी)
12.	मक्खन		राष्ट्रीय डेरी विकास निगम लिमिटेड (एन डी डी बी)
13.	बिहार मूल का स्टोन/ब्लास्ट/पिचिंग स्टोन		बिहार राज्य निर्यात निगम
14.	रेलवे वैगन		परियोजना एवं उपस्कर निगम

अनुसूची 2

लाइसेंस देने के लिए सक्षम अधिकारी

1. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
2. अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
3. निर्यात आयुक्त,
4. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
5. उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
6. सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
7. नियंत्रक, आयात-निर्यात
8. सीमा-शुल्क समाहर्ता
9. अधीक्षक/सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय आबकारी
10. उप-विकास आयुक्त (आयात तथा निर्यात), सान्ताक्रुज, इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई।
11. सहायक विकास आयुक्त (आयात-निर्यात), सान्ताक्रुज, इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई।
12. उप-विकास आयुक्त, फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र, फाल्टा, प. बंगाल।
13. उप-विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र, मद्रास।
14. संयुक्त विकास आयुक्त/उप-विकास आयुक्त, नौएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र, नोएडा, (न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट एरिया) उत्तर प्रदेश।
15. उप-विकास आयुक्त, कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र, कोचीन, केरल।

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 1

कोई भी व्यक्ति भारत के निकटवर्ती किसी भी देश को जिसका स्वयं का कोई भी समुद्री मार्ग नहीं है सड़क द्वारा निम्नलिखित मदों का निर्यात कर सकता है बशर्ते कि वे वस्तुएं उस देश में उपयोग के लिए प्रयोग में लाई जाएं :—

अनुसूची 1 में शामिल किया गया कोई भी माल जो कि पारगमन यातायात को नियमित करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अंतर्गत भेजा गया है।

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 2

कोई भी व्यक्ति किसी भी देश को निम्नलिखित वास्तविक नमूने निर्यात कर सकता है, इसमें वह देश शामिल नहीं है जिसको थोड़े समय के लिए किसी भी लागू कानून द्वारा निर्यात प्रतिबंधित है, अर्थात् :—

क्रम सं.	मद	अनुसूची की मद संख्या
1	2	3

निम्नलिखित वास्तविक नमूने :—

1. लौह अयस्क के नमूने जो एक समय में 30 मीट्रिक टन से अधिक न हो बशर्ते कि माल परेषण निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए एक प्रमाण-पत्र में शामिल हो कि लौह अयस्क की मात्रा (जुर्माने के साथ) प्रयोगात्मक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और यह कि वह मात्रा उस विशेष प्रयोजन के लिए अपेक्षित न्यूनतम मात्रा है :

(1) प्रभागीय प्रबन्धक (विक्रय), खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली, केवल गोवा से भिन्न किसी भी अन्य क्षेत्र के लिए ।

(2) लौह अयस्क सलाहकार, गोवा, गोवा के लौह अयस्क के लिए ।

(3) उप सचिव खनन विभाग, नई दिल्ली पूर्वोक्त मद सं. (1) तथा (2) के अंतर्गत न आने वाले परेषणों के लिए ।

कुद्रेमुख आयरन ओर कं.लि. द्वारा उत्पादित 40 प्रतिशत या इससे कम एफ.ई. की मात्रा वाले निम्न श्रेणी के अयस्क के परिष्करण और/या अधनीकरण द्वारा तैयार किए गए लौह अयस्क सान्द्रण के सेम्पल्स जो एक समय में 30 मी. टन से अधिक न हो, का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम से प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही खनिज कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. द्वारा स्वयं किया जा सकता है ।

2. लकड़ी के फर्नीचर या प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक लकड़ी के फर्नीचर के नमूने निर्यात कर सकता है परन्तु एक परेषण के सम्बन्ध में यह सीमा 10,000 रुपये से अधिक न हो ।

3. पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों के नमूने जिनका मूल्य 10,000 रुपये प्रत्येक माल प्रेषण से अधिक न हो ।

4. निर्यात परेषण के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक औषध सूक्ष्मीकरण के नमूने जब वे स्वयं परेषण के साथ ही निर्यात किए जाते हैं । ऐसे नमूनों की पैकिंग पर स्थायी तौर पर "चिकित्सक का नमूना है, बिक्री के लिए नहीं है ।" मार्किंग का स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए ।

औषध सूक्ष्मीकरण के नमूने जो कि चिकित्सक के नमूने हों तथा बिक्री के लिए न हो तथा उनके साथ निर्यात परेषण न होता हो उनके लिए प्रत्येक परेषण 25,000 रुपये से अधिक न हो ।

5. एग्रो कैमिकल्स के नमूने के सम्बन्ध में मूल्य प्रति परेषण 50,000 रुपये से अधिक हो ।

6. इस आदेश की अनुसूची 1 के भाग "क" की मदों के नमूने तथा गुण-दोष के आधार पर निर्यात के लिए अनुमेय मदें तथा निर्यात नीति, 1990–93 (खण्ड-2) के भाग "ख" की सूची 2 में आने वाली सीलिंग मदों का निर्यात अनुमेय नहीं होगा ।

सरणीबद्ध अभिकरण खुले सामान्य लाइसेंस में उल्लिखित मदों के मूल्य प्रतिबंधों के बिना नमूनों का निर्यात कर सकते हैं ।

7. अन्य नियंत्रित मदों के नमूनों के सम्बन्ध में प्रति परेषण मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा ।

8. विनियंत्रित मदों के नमूने बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमेय हैं ।

9. प्रतिष्ठानों के द्विपक्षीय समझौतों/ज्ञापनों के अधीन वस्त्र मदों के नमूने बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमेय हैं ।

10. यदि कोई निर्यातक ऊपर निर्धारित अनुमेय सीमा के अधिक मूल्य के लिए मदों का निर्यात करने का इच्छुक है या निर्यात नीति के भाग "ख" सूची-1 और 2 में सूचीबद्ध किसी मद का निर्यात करना चाहता है तो उसे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में निर्यात लाइसेंसिंग समिति से सम्पर्क करना चाहिए ।

[फा.सं. 19 (8)/91–ई-II]

डी.आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पाद टिप्पणी : —मुख्य आदेश 30 मार्च, 1990 की अधिसूचना सा.आ. 272 (ई) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था और उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

क्रम सं.	सा.आ.	तारीख
50.	272 (ई)	30-03-90
51.	330 (ई)	17-04-90
52.	340 (ई)	25-04-90
53.	359 (ई)	30-04-90
54.	364 (ई)	04-05-90
55.	402 (ई)	23-05-90
56.	453 (ई)	05-06-90
57.	463 (ई)	06-06-90
58.	464 (ई)	07-06-90
59.	506 (ई)	25-06-90
60.	588 (ई)	25-07-90
61.	602 (ई)	31-07-90
62.	605 (ई)	01-08-90
63.	634 (ई)	10-08-90
64.	649 (ई)	23-08-90
65.	653 (ई)	24-08-90
66.	656 (ई)	27-08-90
67.	668 (ई)	30-08-90
68.	670 (ई)	31-08-90
69.	677 (ई)	04-09-90
70.	803 (ई)	17-10-90
71.	807 (ई)	22-10-90
72.	817 (ई)	23-10-90
73.	819 (ई)	25-10-90
74.	866 (ई)	14-11-90
75.	884 (ई)	22-11-90
76.	886 (ई)	23-11-90
77.	920 (ई)	28-11-90
78.	949 (ई)	19-12-90
79.	958 (ई)	26-12-90
80.	960 (ई)	27-12-90
81.	50 (ई)	30-01-91
82.	156 (ई)	06-03-91
83.	165 (ई)	08-03-91
84.	305 (ई)	01-05-91
85.	337 (ई)	16-05-91
86.	342 (ई)	17-05-91
87.	383 (ई)	04-06-91
88.	435 (ई)	01-07-91
89.	464 (ई)	18-07-91
90.	466 (ई)	24-07-91
91.	500 (ई)	05-08-91
92.	513 (ई)	13-08-91
93.	521 (ई)	14-08-91
94.	529 (ई)	16-08-91
95	543 (ई)	22-08-91

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1991

EXPORTS TRADE CONTROL NO. E(C)(O), 1988/AM (96)

S.O. 567 (E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1988, namely:—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) (Sixteenth Amendment) Order, 1991.
   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Exports (Control) Order, 1988,—
   (i) In Schedule I, the existing Part 'A', shall be substituted by the following:—

"SCHEDULE I

COMMODITIES SUBJECT TO EXPORT CONTROL

LIST I

Items Export of which is not allowed.

S. No.	DESCRIPTION OF THE ITEM
1.	Angora Goat Hair or Mohair.
2.	(i) Banana Suckers (Seedling Plants). (ii) Cashew plants.
3.	Beef.
4.	(i) Beche-de-mer sizes below 3 inches. (ii) Fish meal with less than 50 per cent protein content.
5.	(i) Beryl including Gem variety of Beryl. (ii) Rough (uncut and unset) precious stones and rock crystal quartz.
6.	Bone Meal.
7.	Canthardine Beatles.
8.	(i) Cattle. (ii) Camel.
9.	Charcoal of all types other than Activated Charcoal/Activated Carbon.
10.	Chemicals, namely:— (i) Acetic Anhydride. (ii) Cyanuric Chloride. (iii) Nepthalene. (iv) P.V.C. Resin. (v) Paraffin Wax, excluding Type III.
11.	Cinchona Seeds and barks.
12.	Coconut and Copra excluding decorticated coconut whole, Coconut Protein, Coconut honey, Coconut flour and Dessicated Coconut.
13.	Creosote Oil (light and heavy) Coal tar and mixture containing Coal tar.
14.	Diosgenin and Dioscorea roots.
15.	Dress materials/Ready made garments fabrics/textiles items with imprints of excerpts or verses of the Holy Quaran.
16.	Expeller cakes, all varieties except cotton seeds Expeller cakes.

S. No.	DESCRIPTION OF THE ITEM

17. Exotic Birds.

18. Ferrous Scrap excluding Mill Scale Scrap.

19. Forestry Seeds, Foundation and Breeder Seeds, all varieties/categories.

20. (i) Frogs and Parts thereof (including processed frogs).
(ii) Fresh and frozen silver pomfrets of weight less than 200 gms. from the ports of Tuticorin, Madras, Kakinada, Vishakapatnam, Paradeep and Calcutta and less than 300 gms. from all other ports.

21. Fur of domestic animals, excluding Lamb fur skin.

22. Fertilizers, all types, including super-phosphate, but excluding Micronutrient Fertilizer.

23. Farmyard Manure in Powder form.

24. Geranium Oil.

25. Grass other than decorative and non-edible grass.

26. (i) Groundnut Oil cake (Expeller variety).
(ii) Deoiled Groundnut cakes containing more than 1 per cent oil.

27. Gums and resins, namely:—
Oleo resins ex-pinus longifolia.

28. Hand spun silk yarn.

29. Hides and skins, namely:—
(i) Cuttings and fleshing of hides and skins used as raw materials for manufacture of animal glue gelatine.
(ii) Raw hides and skins, all types, excluding Lamb Fur skin.
(iii) All categories of semi-processed hides and skins including E.I. tanned and wet blue hides and skins and crust leather.
(iv) Clothing leather-Fur suede/hair hair-On suede/shearing suede leathers.
(v) Fur Leathers.
(vi) Industrial Leathers Namely:—
(1) Cycle Saddle Leathers.
(2) Hydraulic/Packing/Belting/Harness/Washer/Leathers.
(3) Pickling band leathers.
(4) Strap/combing leathers.
(vii) Lining leathers, namely:—
(1) from cow and buffalo hides and calf skins.
(A) coloured lining leather.
(B) Lining suede/heel grip suede leathers.
(2) From Goat/kid/lamb/sheep skins and lining suede/Heel grip suede leathers.
(viii) Luggage Leathers—Case Hide or side/suit case/hand bag/luggage/Cash bag leather.
(ix) Miscellaneous leather, namely:—
(1) Book binding leathers.
(2) Skiver leathers.
(3) Transistor case/camera case bather.
(x) Shoe Upper leathers, namely:—
(1) Bunwar leather.
(2) Kattai Slipper/tandal leather.
(xi) Sole leather-chrome tanned sole leather.

30. (i) Human Skeletons and parts thereof.
(ii) Skeletons other than human skeletons and parts thereof.

S. No.	DESCRIPTION OF THE ITEM

31. Ivory and Ivory Products made out of unmanufactured Ivory.

32. Manufactured articles made out of:—
    (i) Reptile/snake skins.
    (ii) Mangoose hair.

33. Manufactured articles made out of:—
    (i) Porcupine Quills.
    (ii) Shed Antlers (of Chital and Sambhar).

34. Metals and their compounds, namely:—
    (i) Beryllium and its compounds.
    (ii) Lithium and its compounds.
    (iii) Neptunium and its compounds.
    (iv) Plutonium and its compounds.
    (v) Radium and its compounds.
    (vi) Thorium and its compounds.
    (vii) Uranium and its compounds.
    (viii) Zirconium and its compounds.
    (ix) Iridium Iridosmine and Osmiridium.
    (x) Selenium.
    (xi) Deutroium compounds.
    (xii) Mercury.

35. Minerals Ores and concentrates, namely:—
    (i) Radium ores and concentrates.
    (ii) Uranium ores and concentrates.
    (iii) Uranium bearing tailings left over from ores after extraction of copper or gold.
    (iv) Zinc Ores.
    (v) Chrome ore and concentrates, other than those mentioned in List 2.
    (vi) Zinc Concentrates.
    (vii) Vanadium ores and concentrates.
    (viii) Vanadium bearing iron ore containing $V_2 O_5$ exceeding 0.2 per cent.
    (ix) Tungston (Wolform), Ores and concentrates.
    (x) Andalusite.
    (xi) Kyanite all grades.
    (xii) All types of Silimanite (except granular sillimanite).
    (xiii) Calcined magnesite with silica content below 7.5 per cent and dead burnt magnesite.
    (xiv) Chrysotile, Crocidolite and amosite varieties of asbestos of all sizes and grades.
    (xv) Calcined bauxite.
    (xvi) Lumply/blended manganese ore with more than 46 per cent manganese.
    (xvii) Raw magnesite and fused magnesite.

36. Mulberry Pierced Cocoons.

37. Natural Rubber.

38. Oil seeds namely:—
    (1) Castor seed.
    (2) Cotton seed.
    (3) Linseed.
    (4) Sunflower seed.

S. No.	DESCRIPTION OF THE ITEM

(5) Soyabean
(6) Mustard/Rape seed.

39. Onion seeds.

40. Paper Grade Pulp including bamboo pulp, excluding hemp pulp.

41. Pasewa and any lac containing living insects.

42. Pig Iron.

43. (i) Pulses, all types including lentils, Grams and Beans and flour made therefrom.
(ii) Processed pulses other than those made out of the pulses imported under the advance licensing scheme/ pass book or by an approved 100 per cent export oriented unit.

44. (i) Raw placenta, Placental Blood Plasma.
(ii) Whole human blood plasma and all products derived from human blood except human Gamma Globulin and Human serum-Olbumin manufactured from Human Placenta and Human Placental Blood.

45. Raw Wool above 36s quality (indigenous).

46. (i) Rice bran, raw and boiled.
(ii) Paddy (rice in husk).

47. Rock Phosphate.

48. Seeds, namely:-
(i) Cashewnut seeds.
(ii) Green manure seeds other than dhaincha and Barseem seeds.
(iii) Guar Seeds (whole).
(iv) Jute seeds.
(v) Lemongrass seeds and roots.
(vi) Mesta Seeds.
(vii) Pepper cuttings or rooted cuttings of pepper.
(viii) Petrocarpus Santalinus (Red Sanders) Seeds.
(ix) Rubber seeds.
(x) Russa Grass Seeds and tufts.
(xi) Santalum album (Sandal Wood).
(xii) (A) Plants, Plant Portion and derivatives:-
1. Aconitum deinorrhizum (Stapt-Ranunculaceae).
2. Atropa acuminata-Royle exlindi solanaceae.
3. Aristolechia Spp. (Aristolochiaceae).
4. Angiopteris Spp. (Fern).
5. Balanophora Spp. (Balanophoraceae).
6. Colchicum luteum (Baker-Liliaceae).
7. Commihora wighti (Arn-Bhandari Burseraceae).
8. Coptis gigantea (Wall ex Hook-Cyathea).
9. Cyathea gigantea (Wall ex Hook-Cyatheaceae).
10. Dioscorea deltoidea (Well ex Kunth-Diossoreaceae).
11. Drosera bwemanni (Vahl-Droseraceae).
12. Drosera indica (Linn-Drosevaceae).
13. Gentiana Kurroo (Boyle-Gentianaceae).
14. Gloriosa superba (Liliaceae) other than Gloriosa superba (Liliaceae) Seeds grown in the farms.

S. No.	DESCRIPTION OF THE ITEM
	15. Gnetum spp. (Gnetaceae).
	16. Iphigenia kunth (Liliaceae).
	17. Meconopsis betonicifolia (Franchet-Papaveraceae).
	18. Mardostachys grandiflora (DC-Valenianaceae).
	19. Nepenthes khasiana (Hook-F-Nepenthaceae).
	20. Osmunda claytoniana (Osmundaceae).
	21. Osmunda regalis (Osmundaceae).
	22. Podophylium hexandrum (Royle-Podophyllaceae).
	23. Rauwalfia serpentina (Linn, Benth ex Kurz Apocynaceae).
	24. Rhododendron spp. (Ericaceae).
	25. Rheum emodi (Wall ex Meisn Polygonaceae).
	26. Arundinaria Launsarensia.
	27. Gyatheax Gigantea.
	28. Cyeas Beddolei.
	29. Rauwolfia Canescens.
	30. Dioscorea Prazeri.
	31. Aconitum Heterophyllum.
	32. Berberts Aristata.
	33. Coptis Teeta.
	34. Nardostashys Jatamansi.
	35. Physoihaima Praclta.
	36. Pravaltia Serpumlia.
	(xiii) Egyptian clover (Barseem) Trifolmu alaxtum seeds.
	(xiv) Lucrene (Alfalfa) Medicage satiya seeds.
	(xv) Persion clover (Snaftal Trifolum re-supinatum seeds).
	(xvi) Saffron Seeds or corms (Planting material for saffron).
	(xvii) Nux Vomica seeds, bark, leaves, root and powder thereof.
	(xviii) Seeds of all oil seeds and pulses.
	(xix) Wheat seeds and Paddy seeds (Wild variety).
	(xx) Seeds of Ornamental Plant (Wild variety).
	(xxi) Kuth (Costus Lappa syn Saussurea Lappa CB CL-Asteraceae obtained from Wild)
49	(i) Sea Shells
	(ii) Sea Weeds all types
50	Silk Worms
51.	Silk waste, namely the following:-
	(a) Throwster and hard silk waste.
	(b) Mulberry silk waste including cleaned and degummed silk waste.
	(c) Noils and droppings.
	(d) Basin refuse.
52.	Tallow, fat and/or oils rendered, unrendered or otherwise, of any animal origin except fish oil.
53	Uncrushed Bones other than fish bones

S. No.	DESCRIPTION OF THE ITEM
54	Vegetable Oils, namely:- (i) Coconut Oil. (ii) Cotton seed oil (iii) Groundnut Oil. (iv) Linseed Oil. (v) Salad Oil. (vi) Sunflower oil. (vii) Kardi oil. (viii) Niger seed oil. (ix) Mustard Oil/Rape seed oil. (x) Sesame Seed Oil. (xi) Corn Oil. (xii) Rice Bran Oil. (xiii) Palm Oil. (xiv) Palm Kernal Oil. (xv) Soyabean oil.
55.	Vintage motor cars and motors cycles and parts and components thereof i.e. motor cars and motor cycles of 1940 and earlier models.
56	Waste Paper, excluding waste Newspaper
57	Wattle Bark
58	The export of all forms of wild life (dead or alive or part thereof or produce therefrom) including stuffed animals in whole or part are completely banned except for those mentioned in list 2 In exceptional circumstances where export is for specific, scientific or zoological purposes, the prior clearance of the Department of Environment and Forests and WildLife who will consider each case on merits prior to issue of an export licence, will be necessary
59	Wild Orchids
60	(i) Wood and Timber, all species in log and sawn sizes (ii) Cane (iii) Bamboo (iv) Veneers of Sandal Wood (v) Tokobashira.

(ii) in Schedule I, the existing Part 'B', shall be substituted, by the following, namely:-

LIST 2

Items allowed for export subject to specified conditions.

PART A

Items allowed for Export 'On Merits' subject to clearance by the Export Licensing Committee:-

1. Animals, namely :—
   (i) Donkeys.
   (ii) Horses (Kathiwar, Marwari and Manipuri breeds are not allowed).
   (iii) Mules.
2. Barks and Seeds of Forestry Species.
3. Chloroquine Phosphate and Chlorioquine Sulphate including formulations manufactured from Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate.

Sl. No.	Description of the Items

4. Ferro Alloys, except the following:—
   (i) All grades of ferro manganese slag
   (ii) Ferro manganese (other than ferro manganese containing carbon less than 0.05 per cent).
   (iii) All grades of silico manganese (ferro silica manganese).
   (iv) Ferro Chrome/charge chrome containing carbon less than .03 per cent and nitrogen bearing ferro chrome/charge chrome.
   (v) All grades of silico chrome (ferro silico chromium).
5. Fodder Crop seeds.
6. Frozen Semen of animals.
7. Viscose Staple Fibre (Regular) excluding high performance viscose staple fibre.
8. Metal scrap other than ferrous scrap containing more than 0.50 per cent nickel or 0.20 per cent of molybdenun or 1.00 per cent tungsten or 0.20 per cen vanadium or 1 per cent cobalt or mill scale scrap.
   (i) Nichrome scrap.
   (ii) Scrap of other metals except those mentioned in list 1.
9. Micronutrient fertilizers and mixturs thereof containing N P K.
10. Milk, baby Milk and Sterlised liquid milk.
11. Military Stores.
12. Non ferrous metals and alloys unwrought excluding unwrought aluminium and unwrougt aluminium alloys, not shown any where in the schedule.
13. (i) Raw Silk.
   (ii) Pure Silk Yarn including silk noil yarn.
   (iii) Silk waste namely :
      (a) Flimisy Cocoons and
      (b) Fluff/floss.
14. (i) Red Sanders wood in the form of chips and powder.
   (ii) Processed timber made out of Red Sander Wood.
15. Silkworm seeds and silkworm cocoons including reeling.
16. Sticklac and broodlac.
17. Synthetic musk.
18. Venom of snakes (in manufactured form).
19. Vintage motor cars and motor cycles and parts and components thereof (i.e. motor cars and motor cycles manufactured after 31-12-1940)but before 1-1-1960.
20. Zircon ores and concentrates including semi-precious variety of Zircon stones.
21. Strategic and critical materials namely :—
   (i) Rareearth metals.
   (ii) Scandium and Yttrium (whether or not inter-leaved or inter-alloyed/mixed).
   (iii) Oxide and peroxide of strontium.
   (iv) Lithium oxide and hydroxide.
   (v Perchlorate of sodium.
   (vi) Chromium
   (vii) Germanium. } And articles of these including waste and scrap,

S. No.	DESCRIPTION OF THE ITEM
(viii) Gallium (ix) Hafnium. (x) Indium. (xi) Niobium. (xii) Rhenium (xiii) Thallium.	And articles of these metals including waste and scrap.
(xvi)	Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, with nikel or nickel compounds as active substance.
(xv)	Reaction iuitators reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included, with precious metal or precious metal compounds as active substance.
(xvi)	Chemicals elements doped for use in electronics in the form of discs, wafers, or similar forms. Chemicals compounds doped for use in electronics.
22.	Non-mulberry silk waste viz. tassar, eri and muga.
23.	Silk tops.
24.	Boiled Cocoons (A variety of silk waste).

LIST 2

PART—B

ITEMS EXPORT OF WHICH IS ALLOWED AGAINST CEILING

Sl. No.	Description of the Items
1.	Chemicals, namely :—
	(i) Butyl Alcohol.
2.	Cotton seeds expeller cakes.
3.	Crushed Bones.
4.	Grains and flour namely :—
	(i) Non-basmati Rice.
	(ii) Wheat.
	(iii) Wheat products viz. raw, resultant atta, wheat bran.
	(iv) Maida, suji and whole meal atta (wheat flour of not less than 95% extraction).
	(v) Barley.
	(vi) Maize.
	(vii) Bajra.
	(viii) Jowar.
	(ix) Ragi.
5.	Culled Peacock Tail Feathers and articles/handicarafts manufactured therefrom.
6.	Hydrogenated Oil (Vanaspati Ghee).
7.	Iodised Salt (used for human consumption).
8.	Jaggery (Gur.)
9.	Khandsari Sugar
10.	Culled Live sheep and goat (adult).

Sl. No.	Description of the Items
11.	Mineral ores and concentrates, namely:— (i) Calcined magnesite with silica contents of 7.5 per cent and above. (ii) Corrundum other than saphires and rubies.
12.	Palmyrah Sugar Candy.
13.	Pyrophyllite.
14.	Raw wool upto 36s Quality (indigenous) except angora goat hair or mohair.
15.	Safflower seed (Kardi seed).
16.	Wheat Straw (Hay).
17.	Cereal based weaning goods containing less than 50% milk solids by weight.
18.	S.L.V. Coal.

PART—C

Items export of which is allowed under open general Licence subject to prescribed conditions.

Sl. No.	Item	Condition(s) to be fulfilled/documents to be produced.
1	2	3
1.	(i) Arms and ammunitions viz. Muzzle loading weapons and breach loading or bolt action weapons such as sort-guns, revolvers, pistols and their ammunitions.	Export will be allowed on production of': (a) Appropriate licence under the Arms Act and Rules; (b) A certificate from the Archaeological Survey of India to the effect that fire arms to be exported are not antiques and/or rare specimens. (This certificate will not be necessary for ammunition and for fire arms manufactured in India after 1956. In such cases a certificate to the effect that fire arms have been manufactured in India after 1956 shall be obtained by the exporters from local licensing authority). (c) The fire arms to be exported bear appropriate marks of indentification and proof test.
	(ii) Replicas of Antique weapons.	Export allowed on production of a certificate from the District Magistrate, Collector of Commissioner of Police, in the prescribed form, under whose jurisdiction the Replicas have been manufactured to the effect that Replicas have been rendered innocuous as fire arms and correspond to the sample inspected by the Director of Inspection, Department of Defence Production. A copy of the application will be sent simultaneously to: (i) The District Magistrate, and (ii) The Superintendent of Police in whose jurisdiction the intended place of export is situated.
	(iii) Fire arms and ammunition other than those mentioned at (i) and (ii) above.	Subject to approval by Ministry of External Affairs.
2.	(i) All Seeds of Trees, Hedge Ornamental Plants, Flowers and Glorisa Superba (Liliaceae).	Export allowed subject to production of certificate from the Seeds Certification Agency/concerned Department of the State Government that the Seeds to be exported are not of wild variety and are not Foundation and Breeder Seeds.

1	2	3
	(ii) Vegetable seeds other than Onion Seeds.	Export allowed subject to production of : (i) Quality Control Certificate, and (ii) Certificate that the Seeds to be exported are not Foundation and Breeder Seeds from recognised State Certification Agency including National Seeds Corporation.
3.	Aircrafts and spare and accessoreis thereof including Aviation for repair/overhaul on returnable basis by the Airlines both Indian and Foreign.	Subject to clearance by the Director General Civil aviation.
4.	All cultivated varieties of Orchids.	(i) Certificate from Chief Wild Life Warden about the Orchids being of cultivated origin and pre-shipment inspection by representatives of Ministry of Environment and Forest will be necessary. (ii) Minimum Export Price fixed by Govt. of India from time to time.
5.	Basmati Rice.	Export allowed subject to minimum export price announced from time to time by the Central Government.
6.	Black Pepper (Asta Quality MG-I)	Export allowed subject to minimum export price of Rs. 19.000/- per Metric Tonne f.o.b. Use of any fumigant containing ethylene dibromide (EDB) in the export consignments or in the ship carrying the export consignment shall not be allowed.
7.	Buffalo Offals	Export will be allowed subject to following conditions:— (i) Certificate from the designated Veterinary Authorities of the State to the effect that offals are from Buffaloes not used for breeding and milch purposes. (ii) On furnishing pre-shipment Inspection Certificate issued by the Office of State Directorate of Animal Husbandry or any other Veterinarian authorised on their behalf to the effect that : (a) The offals has been obtained from healthy animal slaughtered in licensed premises and subject to ante-mortem and postmortem inspection according to the prescribed procedures; (b) The offals has been prepared under hygienic conditions, wholesome and fit for human consumption ; (c) The offals is free from parasitic infestation . (iii) The offals shall be free from pathogenic micro-organism. (iv) The offals shall conform to bacteriological quality specifications : (1) Toal Bacterial count shall be within limit of 1 to 10 million per gram; (2) E. Coli bacterial count shall be within limit of 100 to 1000 per gram; and

1	2	3
		(3) in case of consignments of fully cooked canned offals products inspection as in sub-paragraph (ii) shall be done by the Directorate of Marketing and Inspection. Government of India on payment of fees to be prescribed by the Directorate of Marketing. Export of buffalo offals shall be allowed subject to the above conditions, from Mangalore, Cochin and Madras. In case of exports from Cochin and Madras, the inspection will be done by the Export Inspection Agency, Cochin and Madras respectively. In case of Delhi and Bombay inspection will be done by either the State Director of Animal Husbandary or the Export Inspection Agency or the Directorate of Marketing and Inspection.
8.	Carbonised Lignite Briquettes (LECO).	Export allowed only from Calcutta, Madras and Shillong against allocations made by the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.
9.	Castor Oil (for General Currency Areas only)	Export allowed to General Currency Areas only.
10.	Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate/ Formulations manufactured out of imported bulk/ drug (Chloroquine Phosphate and Chloroquine Sulphate).	Export allowed against import of bulk chloroquine phosphate and chloroquine Sulphate under Advance Licence to the extent of f.o.b. value indicatecd in the licence.
11.	(i) Cinchona mixed alkaloids and cinochona salt after extraction of quinine and quinidine and salts thereof as certified by Director of Cinchona of Tamil Nadu/West Bengal.	Export allowed against the certificate from Directorate of Cinchona of Tamil Nadu/West Bengal, as the case may be.
	(ii) Quinine Sulphate.	Export allowed on production of No Objection Certificate from Drug Controller (India), New Delhi.
	(iii) Quinine and Quinine Products.	Export allowed on the recommendation of Directorate of Cinchona of Tamil Nadu/West Bengal as the case may be.
12.	Coir and Coir Products.	Export shall be allowed on production of a certificate from the Coir Board./Licensing Authority that the f.o.b. value is not less than the floor price fixed by the Ministry of Textiles and notified by the Coir Board.
13.	All kinds of Cashew Kernels, in any form.	Export allowed against registration of contracts with the Cashew Export Promotion Council of India, Chittoor Road, Ernakulam South, Cochin-682016.
14.	Cotton Yarn including tyre cord yarn.	Against certification made by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay and subject to ceilng to be fixed by the Government from time to time.
15.	De-oiled Groundnut Cake (Extraction).	Export will be allowed subject to registration of contracts with the Groundnut Extraction Development Association, Bombay, within the ceiling prescribed by the Ministry of Commerce from time to time.

1	2	3
16.	De-oiled Rice Bran (Rice Bran Exraction).	Export will be allowed subject to registration of contract with the solvent Extractors Association of India, Bombay within the ceiling prscribed by the Ministry of Commerce from time to time.
17.	Fabrics and Made-ups not under quota restriction	Export allowed against certification on sipping bills by the Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL).
18	Ferro alloys, namely (i) All grades of ferro Manganse Slag. (ii) Ferro Manganese (other than ferro manganese containing carbon less than 0.05%) (iii) All grades of Silico Manganese (ferro Silico manganse), (iv) Ferro chrome/charge chrome containing carbon less than 0.03% and nitrogen bearing ferro chrome/charge chrome (v) All grades of silico chrome (ferro silico chromium).	Export shall be allowed subject to registration of contracts with the office of Development Commisioner for Iron and Steel, Calcutta, or its Regional Offices.
19	Flue-cured Virginia Tobacco, Suncured Virginia Tobacco, Natu (Country) Tobacco, and Sun-cured. Jutty Tobacco.	1. In respect of Tobacco for which Minimum Export Prices have been announced by the Central Government from time to time, certificate from Tobacco Board to the effect that the prices are not lower than the minimum export price. 2. In respect of tobacco for which no minimum export prices have been specified, certificate from Tobacco Board that Tobacco being exported is not subject to minimum export price restriction.
20.	Garments and knitwears not under quota restriction,	Export allowed against certification on Shipping Bills by the Apparels Export Promotion Council (AEPC).
21.	Gold Jewellery and Articles.	Export of Gold Jewellery and Articles under the scheme for export of Gold Jewellery against Gold supplied by the foreign buyer and Gold Jewellery Export Promotion and Replanishment Scheme will be allowed as provided in Chapter XXI of Import and Export Policy 1990—93 (Volume-I) and Chapter XXI of Hand Book of Procedures 1990—93 Export against Duty Exemption scheme will be governed by the provisions of Chapter 19 of Vol. I of Import and Export Policy, 1990—93.
22.	Hand Knotted/woven woollen carpets.	Shipments shall not be permitted on Documents aga inst Acceptance (D/A) basis unless the same are backed by Bank Guarantee.
23.	HPS Groundnuts (both in shell and kernels).	Export allowed against registration of contracts with the Indian Oil and Produce Exporters Association, Bombay.
24.	(i) Iron and Steel other than Pig Iron and cast iron pipes and fittings, namely : Steel produced by integrated Steel plants, alloy steel plants Mini-steel plants, secondary producers and re-rollers.	Export shall be allowed with the condition that No Objection Certificate from Development Commissioner for Iron and Steel, Calcutta, is obtained and does not exceed 10 per cent of their total production.

1	2	3
	(ii) Galvanised Sheets made out of raw materials imported under Advance Licence.	Export allowed to the extent of the f.o.b. value indicated in the Advance Licence.
	(iii) Rods and bars made out of imported billets.	Export of bars and rods made out of billets imported under Duty Exemption Scheme against Advance Licence to the extent of f.o.b. value indicated in the licence.
	(iv) Light Rails (20 Kgs or less)	Export allowed only as part of a composite export contract for complete rail net work.
25.	Iron Ore of Redi Origin to all markets.	The export shall be allowed against registration of Contracts with Goa Mineral Ores Exporters Association.
26.	(i) Iron Ore of Goa Origin when exported to China or Europe in addition to Japan, South Korea and Taiwan.	Export allowed against registration of contracts with the Goa Mineral Ore exporters association.
	(ii) Laterite.	Export allowed on production of a certificate from the Public Analyst showing that the material for export contains. (a) Alumina not in excess of 40% (b) Nickel not in excess of 0.7% (c) Cobalt not in excess of 300 PPM. (d) Vanadium not in excess of 1215 PPM. (e) Gallium not in excess of 139 PPM. (f) Titanium not in excess of 7.4%
27.	Jute Carpet Backing Cloth	Export shall be allowed to all permissible destinations subject to conditions to be notified by the Government from time to time.
28.	Knitwear (Acrylic & Mixed)	Export shall be allowed subject to minimum export price to fixed by the Government from time to time and against contracts registred with Wool and Woollen Export Promotion Council or its Regional Offices.
9.	Kuth (Costus Lappa Syn. Saussara lappa (c..b. Cl. Asteraceae) cultivated in private lands and derivatives except wild varieties.	1. (i) Minimum Export Price fixed by the Government of India from time to time. (ii) Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora (CITES) Certificate. (iii) Pre-shipment insection by Regional Deputy Director. Wild Life preservation, Ministry of Environment, Forests and Wild Life. (iv) Certificate of Origin from Chief Wild Life Warden/ Deputy Commissioner or their Nominee.
30.	Khandsari Molasses.	Export allowed subject to provisions of Molasses Control Order.
31.	Lamb Fur Skin.	Export will be allowed only through Four major ports viz. New Delhi, Bombay, Calcutta and Madras subject to pre-shipment inspection by the Deputy Director, Wild Life Preservation, posted at the above ports.

1	2	3
32.	Leathers, namely :—	
	(i) Clothing leathers	
	(1) From cow and buffalo hides and calf skins	Shall be chrome/combination tanned, soft and have draps.
	(A) Galazed garments/glazed nappa leathers.	Shall be drum dyed and finished with a protective coat and glazed, soft and have drape, involving the following minimum operations in manufacture :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise, in all portions of a kin or hide excluding bellies and shanks; (b) Comination tanning; (c) Dyeing : Lether greated with synthetic (Coal Tar) dye/s thus imparting a medium/dark shades; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flash aide by mechaniel means; (h) Protective Coat; (i) Glazing.
	(B) Grain or nappa garment/cloting/jerkin leather.	Shall be drum dyed, shall be soft and have drape. Shall be finished with protective coat involving following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Dyeing : leather treated with synthetic (Coal Tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (c) Fatliquoring; (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Plating/Embossing; OR Ironing/Polishing. (In case of leathers from E.I. stock operations of combinations tanning shall also be involved).
	(c) Suede clothing/suede garment/shirting suede.	Shall be drum dyed, having suede nap on the flesh side. Shall be soft and have drape. The grain side shall be shaved and/or snuffed. Shall involve following minimum operations in manufacture (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade;

1	2	3
		(d) Fatliquoring; (e) Setting ; (f) Staking/Bording; (g) Buffing to produce a suede nap; (h) Risinga suede nap by drumming/plus wheeling/ Buffing. (i) Shaving/deep snuffing if the grain.
(D) Tie and dye leathers (I) Grain Finished.		Usually dyed on the grain side with different patterns and shades. Shall be soft.
		(a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing, leather treated with synthetic (Coal/tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means.
(II) Suede finished		Shall be soft dyed on the flesh side with different pattern and shades. Shall be soft and have drape and suede nap. The grain side shall be shaved and/or snuffed. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely :— (a) Levelling the substance with variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing, leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium /dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Buffing to produce a suede nap; (h) Raising a suede nap dry drumming/plush wheeling/ Buffing; (i) Shaving/Deep Snuffing of the grain.
(ii) Glove Leathers (1) Dress glove Fine gloving leathers.		Made from kid/lamb/sheep/goat skins and usually chrome/ aluminium/combination tanned. Shall be soft and capable of being stretched without springing back (run) Minimum run shall be 30%. Thickness shall not exceed 1 mm.

1	2	3
	(A Grain Finished.	Shall be dyed to a level and uniform shade and plus wheeled on the grain. Shall involve following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Dyeings ; leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (c) Fatliquoring; (d) Staking/Boarding; (e) Producing a clean flesh side by mechanical means (f) Ironing/polishing; OR Plush wheeling;
	(B) Suede finished.	Shall be drum dyed to a level and uniform shade with full penetration and have suede nap on the flesh side The grain side shall be shaved and/or buffed; Shall involve following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm if not specified otherwise in all, portions of a sking or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing : leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Staking/Boarding; (f) Buffing to produce a suede nap. (g) Raising a shade nap by dry drumming/plush wheeling/Buffing. (h) Shaving/Deep snuffing of the grain.
	(2) Utility Glove leather (A) Grain Finished.	Made from Kid/Lamb/Sheep/Goat/Calf Skins and usuall y chrome/aluminium/combination tanned. Shall be level in substance and soft. Shall be drum dyed and shall be finished with a protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Dyeing, leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (c) Fatliquoring;

1	2	3
		(d) Staking/Boarding; (e) Producing a clean flesh side by mechanical means; (f) Protective Coat; (g) Plating/Embossing; OR Ironing/Polishing OR Plush wheeling; (In case of leathers from E.I. stock, operations of combinations tanning shall also be involved).
(B) Suede finished		Shall be level in substance and soft, Shall be drum dyed and shall be finished with a protective coat, including splits from cow and buffalo hides. Shall be drum dyed to uniform and level shade, having suede nap on the fleshside. The grain side shall be shaved and/or snuffed. Shall involve following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm if not specified otherwise in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Dyeing; leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (c) Fatliquoring (d) Staking/Boarding; (e) Buffiing to produce a suede naps; (f) Raising suede nap by dry drumming/plush wheeling Buffiing; (g) Shaving/Deep snuffing of the grain. (In case of leather from E.I. stock,operations of combination tanning shall also be involved).
(iii) Industrial Leathers.		Made usually from lower grade of goat/calf/sheep skins Chrome or combination tanned and shall not shrink linerally more than 3% after 15 minutes boiling test at 100°C. Chrome content $Cr_2 0_8$ minimum 2.5% based on 14% moisture substance minimum 0.5mm but not exceeding 0.6 mm. This substance to be verified with a precision gauge where it has 100 division to 1 mm. Shall involve following minimum operations in manufacture namely : (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide exluding bellies and shanks;

1	2	3
		(b) Combination tanning; (c) Fatliquoring; (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Shaving/Deep snuffing of the grain.
(iv) Lining Leathers.		
(1) From cow and Buffalo Hides & Calf skins		Usually chrome/Vegetable/Combination tanned. Thickness shall not exceed 1 mm.
	Grain Finished lining leathers.	Shall be finished with a protective Coat. Shall involve following minimum operations in manufacture.— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm if not specified otherwise in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Dyeing : Leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting medium/dark shades; OR Leather dyed in light colour and distinctly different from chrome veg/combination tanned crust leather colour; (c) Fatliquoring; (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Glazing. OR Plating/Embossing; (In case of leathers from E.I. Stock operations of combinations tanning shall also be involved).
(2) From Goat/kid/lamb/sheep skin.	Grain finished lining leathers.	Usually chrome/vegetable/combination tanned. Shall be finished with a protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Dyeing: Leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour; (c) Fatliquoring;

1	2	3
		(d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Glazing; **OR** Plating/Embossing; (In case of leaters from E.I. stock, operations of combinations tanning shall also be involved).
(v) Miscellaneous leathers.		
(a) Chamois Leathers.		Made from goat/sheep skins from which the grain is removed by splitting or shaving. Tanned by process involving oxidation of fish, marine and/or synthetic oils either solely (full oil chemicals or first aidenydes tennage and then such oils a combination chamois). Shall be degreased wrung out dried and buffed on both sides to produce volvety nap shall be free from dust particles as far as possibe. Shall involve following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm. If not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Staking/Boarding ; (c) Buffing to produce a suede nap; (d) Shaving/Deep snuffing of the grain.
(2) Laminated Leathers.		Chrome/combination tanned split leathers laminated with textiles, PVC or urethane transfer films. Sometimes acrylic or nitrocellulose films are also sued. They are finally plated or embossed. Shall involve following minimum operations in manufacture namely :— (a) Levelling the substance with variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Fatliquoring; (c) Setting; (d) Staking/Boarding; (e) Producing clean a flesh side by mechanical means; (f) Protective Coat ; (g) Plating/Embossing; (in case of leathers from E.I. Stock, operations of combinations tanning shall also be involved).

1	2	3
	(3) Screen/Block leathers.	Made from all types of hides and skins or splits and usually chrome/vegetable/combination/tanned Screen or block printed; printed on the grain or suede side into designs using coal tar dyes/pigments. Shall be suitably fixed so as to be fast to wet and dry rubbing (A) Shall involve following minimum operations in manufacture on the grain side namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0 2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks (b) Dyeing leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shades; OR Dyeing; Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour (c) Fatliquoring; (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Glazing; OR Plating/Embossing; (in case of leathers from E.I. stock operations of combinations tanning shall also be involved) (B) Shall involve following minium operations in manufacture on the suede side namely :— (a) Levelling the substance with a vriation of not more than 0 2mm if not specified otherwise in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks. (b) Combination tanning; (c) leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour;

1	2	3
		(d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Buffing to produce a suede nap: (h) Raising a suede nap by dry drumming/plush wheeling/Buffing; (i) Shaving/Deep snuffing of the grain.
4.	Flock printed leathers.	Made from all types of hides and skins of splits and usually chrome/vegetable/combination tanned. Flock printed: printed on the grain or suede side with synthetic fibres (flocks) by suitable techniques. (A) Shall involve following minimum operation in manufacture on the grain side L namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Dyeing : leather treated with synthetic (Coal Tar) dye/s thus imparting a medium/ dark shade; OR Dyeing : leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/ combination tanned crust leather colour; (c) Fatliquoring (d) Setting (e) Stakings/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (in case of leathers from E.I. stock operations of combinations tanning shall also be involved). (B) Shall involve following minimum operations in manufacturing on the suede side, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing : leather treated with synthetics (Coal Tar) dye/s thus imparting a medium/ dark shade; OR Dyeing : Leather dyed in light colour and distinctly different from chrome/ veg/combination tanned crust leather colour; (d) Faltiquoring;

	(e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Buffing to produce a suede nap; (h) Raising a suede nap by dry drummings/ plush wheeling/Buffing; (i) Shaving/Deep snuffing of the grain;
5. Embossed Leathers :	Made from all types of hides and skins, including splits; usually chrome/veg./combination tanned. May be full grain or corrected grain. Shall be finished with a protective coat and emboseed. Shall involve following minimum operations in manufacture namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Dyeing, leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (c) Fatliquoring; (d) Setting; (e) Staking/Boarding (f) Producting a clean flash side by mechanical means; (g) Protective Coat (h) Glazing; OR Plating /Embossing. (in case of leathers from E.I. stock, operations of combinations tanning shall also be involved.
6. Pull-up Leathers	Shall be drum dyed and finished with wax/oil for pull-up effect and finished with a protective coat. This protective coat may or may not contain dye/pigment. Shall produce a distinct pull up effect showing a contract from the base. Leather should retrieve original colour on release. Shall involve following minimum operations in manufacture namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise in all portions of a skin or hide. excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: Leather treated with synthetic (Coal tar) dyes thus imparting a medium /dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat;

1	2	3
(vi)	Shoe upper Leathers :	
	(1) From cow and buffalo Hides and Calf Skins.	
	(A) Aniline buff calf/Aniline cow calf/ aniline side leathers.	Unless otherwise specified shall be chrome/combination tanned. Leather processed for supper part of foot-wear. Drum dyed and finished with protective coat with visible grain shall involve following minimum operations in manufacture, namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leather dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Glazing; OR Plating/Embossing.
	(I) Semi-aniline/aniline look/meck aniline sides or calf leathers.	May be full grain or corrected grain and finished with a protective coat. Shall involv efollowing minimum operations in manufacture namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portion of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: Leather treated with synthetic (Goal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Glazing; OR Plating/Embossing.

1	2	3
	(II) White/off white leather.	Full grain and finished with a protective coats:— Shall involve following minimum operations in manufacture , namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Fatliquoring (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Plating/Embossing; OR Ironing/Polishing;
	(B) Box/Willow/coloured calf and side leather.	Drum dyed and finished with protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture namely:— (a) Levelling the substance with a variation of note more than 0.2mm, if not specified otherwise in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Plating/Embossing; OR Glazing;
	(C) Retan/corrected grain/semi chrome upper leathers.	May be full grain or corrected grain. Shall be finished with protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Plating/Embossing;

1	2	3
	(D) Embossed/printed/Zug Grain upper leather.	May be full grain or corrected grain and shall be finished with protective coat and embossed. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing; leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour (d) Fatliquiring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Plating/Embossing;
	(E) Nappa/Softy/Booty upper leather.	Shall be soft/pliable and shall be finished with protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium /dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protecttive Coat; (i) Plating/Embossing OR Ironing/polishing.
	(F) Patent/Wet look/Polyurethane finished leather.	Shall be finished with protective coat where topping is done with polyurethane/varnish to give a highly glossy surface. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks;

1	2	3
		(b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium /dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome /veg/combination tanned crust leather colour; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat.
(G) Shrunken grain/ Relax leathers.		Shrunken grain or shrunken pattern produced in tanning or in retanning or by any other suitable process and shall be finished with a protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm, if not specified otherwise in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: Leather treated with synthetic (Coal.tar) dye s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquouring; (e) Staking/Boarding; OR Dry drumming; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat;
(H) Hurache/Woven/Mesh leathers.		Shall be vegetable /retanned/combination tanned. Shall be drumdyed , lightly fatliquored and finished with a protective coat, used for in sole also. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: Leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Glazing OR Plating/Embossing;

1	2	3
	(I) Metallic finished/Pearlised/Pearl finished leather.	May be full grain or corrected grain: Shall be finished with a protective coat where topping is done with metallic or pearl essence lacquers. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: Leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade. OR Dyeing : Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means ; (h) Protective Coat; (i) Plating /Embossing.
	(J) Hunting calf/Suede upper/shoe suede/Rough-out/ imitation Sambbar leather.	Shall be drum dyed to a level and uniform shade, having the required nap on the flesh side. The grain side shall be shaved and or snuffed. Thickness shall not be less than 1.8 mm. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise. In all portions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: Leather treated with synthetic (Coal tar)/ dye/s thus imparting a medium /dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Staking/Boarding; (f) Buffing to produce a suede nap; (g) Raising a suede nap by dry drumming/plush wheeling/Buffing; (h) Shaving/Deep sunffing of the grain.
	(K) Burnishable leather.	Shall be drum dyed and finished with a coat on the grain which will produce a distinct gloss on rubbing with a darkening of the shade. When tested, should show the presence of wax.

1	2	3
		Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:-- (a) Levelling the substance with a variations of not more than 0.2 mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing; leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a cloth flesh side by mechanical means; (h) Burnishable effect and wax coat.
2. From Goat/Sheep Skins.		Made from goat/kid/lamb/sheep skins and shall be chrome/combination tanned, unless otherwise specified, processed for upper part footwear.
(A) Aniline Upper leather		Drum dyed and finished with protective coat with a visible grain. shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2 mm if not specified otherwise, in all portions of a skin of hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing : Leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leather dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colours; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Glazing; (j) Plating/Embossing;
(I) Semi-aniline/Aniline look/Mock aniline Upper leather		May be full grain or correct grain. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more tean 0.2mm if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excludng bellies and shanks;

1	2	3
		(b) Combination tanning; (c) Dyeing : leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour; (d) Fatliquorings; (e) Settings; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Glazing; OR Plating/Embossing.
(II) White/Off white Leather.		Full grain finished with protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely : (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Fatliquoring; (d) Settings; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat. (h) Plating/Embossing; OR Ironing Polishing.
(B) Glazed kid/Glazed goat or sheep/coloured kid or goat leather.		Made from kid/goat/sheep skins. Shall be drum dyed and finished with a protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacturing, namely:— (a) Levelling the substance with variation of not more than 0.2mm if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks: (b) Combination tanning; (c) Dyeing : leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a Clean flesh side by mechanical means (h) Protective Coat; (i) Glazing;

1	2	3
	(C) Goat or Sheep upper/resin finished kid or goat or sheep leathers.	May be full grain or corrected grain. Shall be finished with a protective coat. Shall involve following minimum, operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not mores than 0.2 mm if not specified otherwise, in all portion of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour; (d) Fatliquoring; (e) Setting, (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat; (i) Plating/Embossing; OR Ironing/Polishing.
	(D) Nappa/Softy/booty/upper leathers	Shall be Soft/pliable and shall be finished with a protective coat. Shall involve following miniumum operations in manufacture, namely:- (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin of hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning: (c) Dyeing: Leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat (i) Plating/Embossing OR Ironing'/Polishing.
	(E) Patent/Wet look polyurethane finished leather.	Shall be finished with protective coat where topping is done with polyurethan/varnish to give a highly glossy surface. Shall involve a following minimum operation in manufacture, namely:- (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks;

1	2	3
		(b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrom/veg/combination on tanned crust leather colour; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means ; (h) Protective Coat.
(F) Shrunken/grain/relax leather/crushed kid leather		Shrunken grain or shrunken pattern or crushed effect product in tanning or by any other suitable process Shall be finished with a protective Coat. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:- (a) Levelling the substance with a variation of not mor than 0.2mm if not specified otherwise, in all por tions of a skin or hide excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing; leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Staking/Boarding; (f) Dry drumming; (g) Producing Clean flesh side by mechanical means; (h) Protective Coat.
(G) (I) Gold and Silver kid		Gold and silver kid; gold or silver foil papers applied to the grain surface of the leathers with suitable bottoming and plated. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Fatliquoring; (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Plating/Embossing.

1	2	3
	(II) Metallic finished/Pearlised/Pearl finish leather	Metallic finished/pearl finish leather: Shall be finished with protective coat where topping is done with metallic or pearl essence lacquers. Shall involve the following minimum operations in manfacture namely:- (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; OR Dyeing: Leathers dyed in light colour and distinctly different from chrome/veg/combination tanned crust leather colour; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Protoctive Coat; (i) Plating/Embossing
	(H) Morococo leathers	Made usually from goat skins by vegetable/combination tanning; Characteristic grain pattern developed by hand boarding or by mechanical means. Shall be drum dyed and finished with a protective coat. Shall involve the following minimum operations in manufacturing namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specific otherwise in all portions of a skin or hide excluding ballies and shanks: (b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Glazing, OR Plating/Embossing.
	(I) Plated/mesh/Woven/Strap/Tresee leathers	Made from goat skins usually vegetable/combination tanned, lightly fatliquored and toggle dried. Shall involve the following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellins and shanks;

1	2	3
		(b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coaltar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Glazing OR Plating/Embossing.
(J) Suede upper/ Shoe suede upper leather		Shall be drum dyed to level and uniform shade, having suede nap on the flesh side. The grain side shall be shaved and /or snuffed. Shall involve the following minimum operations in manufacture namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise, in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (e) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Buffing to produce a suede nap; (h) Raising a suede nap by dry drumming/plush wheeling/ Buffing; (i) Shaving/Deep snuffing of the grain.
(K) Burnishable leather.		Shall be drum dyed and finished with a coat on the grain which will produce a distinct gloss on rubbing with a slight darkening of the shade, when tested, should show the presence of wax. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm, if not specified otherwise in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Combination tanning; (c) Dyeing: leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (d) Fatliquoring; (e) Setting; (f) Staking/Boarding; (g) Producing a clean flesh side by mechanical means; (h) Burnishable effect and wax coat

1	2	3
	(vii) Sole Leather Vegetable tanned sole leather.	Heavy substance leather made from buffalo or heavy oxhides. Shall be fully vegetable tanned. The grain side will be set smooth and rolled. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely:- (a) Fatliquoring; OR Oiling: (b) Setting; (c) Rolling.
	(viii) Upholstery Leather	
	(i) Nappa/upholstery Automobile/Furniture upholstery leathers	Made from cow and buffalo hides and calf skins, goat and sheep skins. Shall be chrome/combination tanned and may be full/grain or corrected grain. Shall be finished with protective coat. Shall involve following minimum operations in manufacture, namely :— (a) Levelling the substance with a variation of not more than 0.2mm. if not specified otherwise in all portions of a skin or hide, excluding bellies and shanks; (b) Dyeing ; Leather treated with synthetic (Coal tar) dye/s thus imparting a medium/dark shade; (c) Fatliquoring; (d) Setting; (e) Staking/Boarding; (f) Producing a clean flesh side by mechanical means; (g) Protective Coat; (h) Glazing; OR (i) Plating/Embossing. (in case of leathers from E.I. stock, operations of combination tanning shall also be involved). Note :— (i) Export of all suede leather (all types) is subject to prior certification by the Central leather Research Institute. (ii) Any new type of finished leather not covered above may be permitted for export, subject to testing and certification by the Central Leather Research Institute.

1	2	3
33.	Man made fibers and yarns, the following :—	Information in respect of export effected will be furnished by the exporters within 15 days after shipment to the concerned Council.
	(a) Acrylic Hand/Machine Knitting Yarn.	
	(b) Rayon Type Yarn of 600 deniers and above.	
	(c) Rayon Type Cord of all deniers.	
	(d) Rayon Type fabric.	
	(e) Spun Yarn containing 50 per cent or more of Synthetic Fibre.	Export shall be allowed subject to minimum export price to be fixed by the Government from time to time. Information in respect of export made will be furnished by the exporters within 15 days after the shipment to the concerned Council. In respect of export to quota countries conditions indicated against Sl. No. 59(i). (iii), (iv) (vi) and (vii) of Part C of List 2 shall apply, wherever necessary.
34.	Marine Products, namely :—	
	(i) Dried and wet salted fish products :	
	(a) Dried salted and unsalted fish.	Epxport will be allowed on the basis of firm orders/Contracts with prefixed prices and on out-right basis.
	(b) Dried salted and unsalted prawn.	
	(c) Wet salted fish.	
	(d) Fish/Prawn Pickles.	
	(e) Fish Maws.	
	(f) Sharkfins.	
	(g) Fish Oil.	
	(h) Beche-de-mer of sizes 3 inches and above.	
	(i) Dried Fish.	
	(j) Dried Salted and unsalted Bombay Ducks.	
	(ii) Fresh live, Frozen and Canned Products:	
	(a) Fresh fish other than Pomfrets.	Export will be allowed on the basis of firm order/Contracts with prefixed prices and on out-right basis.
	(b) Live lobsters,shell fish and fish.	
	(c) Frozen fish other than Pomfret and prawns.	
	(d) Frozen lobster tails crabs.	
	(e) Frozen clams, Oysters etc.	
	(f) Canned fish, prawns, crabs, clams, mussels, etc.	
	(g) Fresh/Frozen Prawns.	
	(iii) Other miscellaneous seafood products :—	
	(a) Agar agar.	
	(b) Fis Eggs.	
	(c) Aquarium fish including Aquarium fish with plants and live rocks.	
	(d) Cuttle fish bones.	
	(iv) Other Marine Products.	
	(v) Fresh and frozen silver pomfret of weight 300 gms and above from West Coast of India and 200 gms and above from East Coast of India.	
	(vi) Fish Meal with protein contents 50 per cent or above	

1	2	3
35.	(i) Meat of Buffalo (both Male and Female) including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.	(i) Export will be allowed on production of certificate from the designated Veterinary Authorities of the State from which the meat emanates that the meat is from Buffaloes not used for breeding and milch purposes : Provided that the export price is not less than US $ 750 per M.T. F.O.B. (ii) Export of Chilled/frozen meat shall be allowed on furnishing pre-shipment inspection certificate issued by the office of State Directorate of Animal Husbandry or any other Veterinarian authorised on their behalf to the effect that : 1. The meat has been obtained from healthy animals slaughtered in licensed premises and subjected to antemortem and post-mortem inspection according to the prescribed procedures; 2. The meat has been prepared under hygienic conditions, wholesome and fit for human consumption ; 3. The meat is free from parasitic intestation ; Export of frozen meat shall be allowed from Mangalore and Trivandram on furnishing further pre-shipment inspection certificate issued by the Director of Animal Husbandry of the State Governments concerned or any other officer authorised by him. In case of all exports from Cochin and Madras, the inspection will be done by the Export Inspection Agency, Cochin and Madras respectively. In case of exports from Delhi and Bombay, the inspection will be done by either the State Director of Animal Husbandry or the Export Inspection Agency or the Directorate of Marketing and Inspection. The Certification would be to the effect that : 1. The meat/carcass shall be free from patogenic micro-organism. 2. The meat/carcass shall conform to bacteriological quality specifications : (i) Total bacterial count shall be within limit of 1 to 10 million per gram; (ii) E Coli bacterial count shall be within limit of 100 to 1000 per gram; and (iii) In case of consignments of corned buffalo meat and lunche on buffalo meat inspection as prescribed under MFPO, 1973 and IS specifications (IS 11747-1986 for corned buffalo meat and IS 11746-1986 for lunche on buffalo meat) shall be done either by State Directorate of Animal Husbandry or Export Inspection Agency or the Directorate of Marketing and Inspection, Government of India on payment of fees to be prescribed by the Concerned Agency.

1	2	3
	(ii) Meat of Indian Sheep including heart, liver lungs, brain, tongue, kidneys and other organs. (iii) Meat of Indian Goat including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.	Export of meat of goat will be allowed against ceiling placed at the disposal of the All India Meat and Live Stock Exporters Association Bombay, Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation, Jaipur and Deputy Chief Controller of Imports and Exports Cochin, and the ceiling of meat of sheep will be at the disposal of the All India Meat and Live Stock Exporters Association, Bombay, and New Delhi, Rajasthan State Sheep and Wool Marketing Federation, Jaipur and the Deputy Chief Controller of imports and Exports Cochin. The Ministry of Commerce will release the ceiling to the above designated agencies. As and when the exporters approach the above Agencies concerned the respective Associations shall issue ceiling slips to the exporters advising them to approach the Customs Authorities for export. In respect of applications directly made to Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Cochin, the latter will issue the ceiling slips and the exporter will present the same to the Customs at the time of export. Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Cochin will give the ceiling slips within the allocated ceiling of that office. The Association and the Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Cochin shall stop issuing ceiling slips as soon as the ceiling allotted to them is exhausted. The designated agencies should ensure that exporters purchase live goat for slaughter from the Local Mandies only after the daily requirement in the domestic market is net. If the total arrival on a particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made. In case the above condition is met the exporter will enter the market for purchase of goat for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. Similarly, they will use the slaughter house only after slaughtering for domestic consumption has been done. The designated agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of export made during the preceding month. Export of Chilled/forzen meat shall be allowed on furnihsing pre-shipment inspection certificate issued by the Office of State Directorate of Animal Husbandry or any other Veterinarian authorised on their behalf to the effect that :— 1. The meat has been obtained from healthy animals slaughtered in licensed premises and subject to ante mortem and post mortem inspection according to the prescribed procedures.

1	2	3
		2. The meat has been prepared under hygineic conditions whole-some and fit for human consumption. 3. The meat is free from parasitic infestation. Export of Frozen meat shall be allowed on furnishing an additional pre-shipment inspection certificate issued by the State Director of Animal Husbandry or any other Officer authorised by him in case of exports from Mangaloret and by the Export Inspection Agency in respect of exports from Cochin and Madras In case of Delhi and Bombay inspection will be done by either the State Director of Animal Husbandry or the Export Inspection Agency or the Directorate of Marketing and Inspection. 1. The meat/carcass shall be free from pathogenic micro-organism. 2. The meat/carcass shall conform to the following bacteriological quality specifications :— (1) Total bacterial count shall be within limit of 1 to 10 million per gram. (2) E. Coli bacterial count shall be within limit of 100 to 1000 per gram. (3) It shall be free from Salmonolia. Export of meat of sheep and goat will be allowed only on outright sale basis andnot on consignment basis. Export of meat of Indian Sheep andgoat shall be allowed subject to Minimum Export Price US $ 1950 per MT f.o.b.
36. Metallurgical residues i.e. drosses, skimming slags, ashes, slims and flue dust (other than those of gold and (silver) containing less than 15 per cent of free metal content.		Export allowed for outright sale/for treatment abroad and re-import of the refined metal subject to the following conditions :— (a) The free metal content in the metallurgical residues is less than 15 per cent by weight and the same is in a finely dispersed condition; (b) A complete analytical report is furnished by the exporter alongwith other shipping documents from one of the recognised Analyst certifying that the free metal content in the metallurgical residues is less than 15 per cent by weight and the same is a finely dispersed condition and 100 per cent chemical composition of the residue. A sieve of 1/6" mesh is to be used by the Analyst and the fact to be mentioned in the analytical report. (c) No foreign exchange will be allowed for re-import of the refined and/or for re-import of the refining and other charges etc. and that such charges will be paid by the exporters in the shape of metallurgical residues refined metal. Import of the refined metal will be subject to issue of a C.C.P. by the concerned port licensing authority; (d) The foreign exchange earned from the sale of metallurgical residues/refined metal abroad will be brought back into India; and

1	2	3
		(e) The exporters will observe the G.R. Form procedure of the Reserve Bank of India and with the third copy of the G.R. Form, a certificate of final weight preliminary and final report of assay, together with the final settlement of accounts from the refinder should also be forwarded by the exporter to the Reserve Bank of India.
37.	Micro-nutrient Fertilizers and mixures thereof as spesified in Schedule I, Part 'A' I(f) of Fertilizers (Control) Order, 1985.	Export allowed subject to registration with CAME/ XCIL, Chemicals and Allied Products Export Promotion Council.
38.	Mulberry X Dupion Fabrics (100 per cent Natural Silk)	The Minimum Export Price (MEP) for various width of mulberry X dupion silk fabrics (100% Natural Silk) shall be as indicated below against each width :

Width	MEP per MT FOB
36″	Rs. 90.00
44″	Rs. 110.00
48″	Rs. 120.00
54″	Rs. 135.00

The prices for other widths will be calculated proportionately.

39.	Metal Scrap other than ferrous scrap containing more. than 0.50 per cent nickel or 0.20 per cent of molybdenum or 1.00 per cent tungstun or 0.20 per cent vanadium or 1.00 per cent cobalt.	
	(i) Nickel cadmium battery scrap	Certificate from a Recognised Public Analyst to the effect that the scrap conforms to the specification given under its item.
	(ii) Nickel Scrap excluding nickel pellets.	Export allowed subject to the condition that after refining and re-shaping full 100 per cent less refining losses of the scrap is imported back into India in the form of nickel plate anodes.
	(iii) Platinum Scrap	Export allowed on the condition that after refining and reshaping full 100 per cent less refining losses of the scrap is imported back into India.
40.	Molasses	Subject to provisions of Molasses Control Order.
41.	Onions as a part of asserted Vegetables.	Export allowed only upto 20 kgs. per consignment by Air.

1	2	3
42. Portion of Plants, namely :		
(a) Plants	Port on of plants to be allowed for export	
(i) Bentickia Coddapanna Berry.	Whole Plant.	Export allowed subject to production of :
(ii) Dilbergin Lalitolia Roxh	Seeds	(i) Certificate from the Chief Conservator of Forests or Chief wild Life Warden or the officer authorised by them that the material is of plantation or nursery origin raised through culture technique;
(iii) Lavatera Kashmiriana Gamb.	Fruit/Seeds	
(iv) Mangolia Pterocarpa Roxh	Seeds	
(v) Paraguilega Grandiflora O. R. Dram and Hutchison	Roots Stocks/Seeds	
Plants	Portion of Plants to be allowed for export	
(vi) Pinanga Gracillis Bl.	Whole Plant	(ii) Pre-shipment Inspection Certificate ; and
(vii) Pinus generadiana Wall	Seeds	(iii) Convention on International Trade in Endangered species of wild Fauna and Flora Certificate.
(viii) Populus gambleidode	Cutting Seeds	
(ix) Pterocarput delbergiodes Roxh.	Seeds	
(x) Santalum Album	Seeds.	
(b) Botanical Plants:		
Dischidia Reflciana R.Br.	Whole Plant.	
Note : The above regulations are however relaxed and export permitted by firms on obtaining certificates from the Chief Conservator of Forests or Chief Wild Life Warden or the officer authorised by them, that the material is of plantation or nursery origin.		
43. Processed Pulses made only out of the pulses imported under the Advance Licensing Scheme/Pass Book or by an approved 100 per cent Export Oriented Unit		Export allowed under the Advance Licensing Scheme/Pass Book or by an approved 100 per cent Export Oriented Unit to the extent of the f.o.b. value indicated in the Licence.
44. Psyllium Seed/Psyllium Husk/Psyllium Powder.		Export allowed against registration of contracts with the Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetic Export Promotion Council.
45. Processed Mica including Mica Blocks, Mica Films. and Splittings of all grades and varieties but excluding Mica Waste/Factory Cuttings and Mica Scrap		Export allowed subject to registration of contracts with Mica Trading Corporation of India Limited Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., within 15 days of making such exports and minimum Export Price already fixed by Mica Trading Corporation of India Limited will continue to be in force until revised by the Central Government. No service charges shall be levied by Mica Trading Corporation of India Limited/Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited for the purpose.

1	2	3
46.	(i) Phosphorous Oxychloride (ii) Phosphorous Trichloride (iii) Thinyl Chioride.	Export allowed on production of 'No Objection Certificate' from Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Chemicals and Petrochemicals), New Delhi.
47.	Raw Cottons :	
	(i) Bengal Desi (ii) Assam Comillas (iii) Staple Cotton (iv) Cotton decoloured by damages due to Fire/-Water. (v) Zoo an Sweepings. (vi) Yellow pickings (vii) Others.	Export will be allowed against registration and allocation certificate regarding quality/quantity of the item inte n-ded for export issued by Textile Commissioner.
48.	Sesame Seeds	Export allowed against registration of contracts with Indian Oil and Produce Exporters Association (IOPEA)
49.	Soddy Yarn	Export allowed subject to Minimum Export Price to be notified by the Government from time to time.
50.	Silk Goods excluding Silk Carpets.	Export allowed against Irrevocable Letter of Credit or Documents against payment.
51.	(i) Silver Jewellery and Siver Articles mentioned in Para 297(ii) of Import and Export Policy 1990-93 (Vol. 1)	(i) Export allowed as per guidelines contained in Chapter XXI of Import and Export Policy, 1990—93 (Volume 1) and Chapter XXI of the Hand Book of Procedures, 1990—93.
	(ii) Silver Jewellery containing less than 50 per cent silver content by weight.	(ii) Export shall be allowed subject to the condition that the fob. value of the silver content in the silver jewellery should at least 33.1/3% more than either Indian price or International price whichever is higher, on the date of export. International value of the Silver for this purpose shall be ascertained by the Customs Authorities having regard to the pre vailing price of Silver in London or New York on the date of export.
52.	Soft Cotton Waste/Hard Cotton Waste.	Against registration and allocation certification regarding quality/quantity of the item intended for export issued by Textiles Commissioner.
53.	Solvent Extracted Cotton Seeds Cakes (Decorticated/ undercorticated).	Export will be allowed subject to registration of contracts with All India Cotton Seeds Crushers Association, Bombay, within the ceiling prescribed by the Ministry of Commerce from time to time.
54.	(i) Solvent Extracted Oil meals other than those mentioned in Lists 1 and 2. (ii) Animal/Poultry Feed Compound; (iii) Mango Kernel Oil, Neem Oil (iv) Salseed Oil, and (v) Kokum Fat/Dhupa Fat	Export allowed against registration of contract with the Solvent Extractor's Association of India Bombay.

1	2	3
55.	Soyabean Extraction.	Export allowed against registration of contracts with the Soyabean Processors Association of India, Indore.
56.	Sugar	Subject to provisions of Sugar Export Development Act.
57.	*Stone Ballast/pitching stone excluding stone ballast/pitching stone of Bihar origin."	
58.	Silvered mica, mica flake and fabricated mica.	Export allowed subject to minimum export price announced by the Government of India from time to time.
59.	Textiles, namely :	
	(i) Export to Austria of certain cotton and Synthetic textile products under the Memorandum of Understanding between India and Austria.	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textile Export promotion Council for fabrics and made-ups; and
		(b) The Apparels Export Promoton Council for garments and Knitwears by certificate on shipping bills;
		(ii) In the matters of allocation of export entitlement, the Export Promotion Council will observe the guidelines issued by the Ministry of Textiles and will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism.
		(iii) Handloom Fabrics of the cottage industry, handmade Textile products made of such handloom fabrics and traditional folklore handicrafts textile products (known as India Item) are not subject to quantitative restraint. For export of handloom products and Inspection Endorsement, by the Textiles Committee in Part-2 of the Combination Form will be required in respect of 'India Items' appropriate Certificate issued by the office of the Development Commissioner (Handicrafts) will be required.
		(iv) Export of garments other than 'India Items' shall be in conformity with classification as to categorisation under bilateral agreement hand-loom origin industrial/Institutional agreement as indicate on the sample of garments authenticated by the Textiles Committee.
	(ii) Export of certain Textile Products of Cotton, Wool and man-made Fibres and blends thereof to Canada under the Memorandum of understanding between India and Canda.	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabric and made-ups. (excluding woollen fabrics and made-ups).
		(b) The Apparel Export Promotion Council for garments and knitwear (excluding woollen knitwear); and
		(c) The wool and woollen Export Promotion Council for Woollen fabrics and made-ups and woollen knitwear (but excluding woollen garments).

1	2	3
		Necessary certifiacation on shipping bills will however be made by the Cotton Textile Export Promotion Council for all fabrics and made-ups (including woollen fabrics and made-us) and in respect of garments and knitwear such certification will be made by the Apparels Export Promotion Council. (ii) In the matter of allocation of export entitlement, the Export Promotion Council will observe the guidelines issued by the Ministry of Textiles will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism. (iii) Handloom fabrics of the cottage Industry, handmade clothing and Textile products made of such handloom fabrics except category tailored collared shirt and traditional folklore hand craft textile products (known as 'India Items') are not subject to quantitative restraints. In the case of export of all handloom fabrics and trained items except Category-I, (Inspection Endorsement by the Textiles Committee on Part-2 of the Combination Form will be required. In respect of the 'India Items' appropriate Certificate issued by the Office of the Development Commissionner (Handicrafts) will be required. (iv) Export of garments other than 'Indian Items' shall be in conformity with classifiction as to categorisation under the bilateral agreement, handloom origin, Industrial/Institutional garments as indicated on the sample of garments authenticated by the Textile Committee.
(iii) Export of Textiles and Textiles products made from Cotton, Wool and man-made fibres (excluding jute, silk and flax) to EEC Member States under the Indo-EEC Textiles Agreement.		(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textile Export Promotion Council for fabrics and made-ups (excluding woollen fabrics and made-ups). (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and Knitwear (excluding Woollen knitwaer). (c) The Wool and Woollen Export Promotion Council for Woollen fabrics, made-ups and Woollen knitwear (but excluding woollen garments). Necessary certification on shipping bills will, however, be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council for all fabrics and made-ups (including woollen fabrics and made-ups) and in respect of all garments and knitwears, such certification will be made by the Apparels Export Promotion Council. (ii) In the matter of allocation of export entitlement, the Export Promotion Councils will observe t the guidelines issued by the Ministry of Textiles and will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism.

1	2	3
		(iii) Handloom fabrics of the cottage industry, handmade cottage industry products made of such handloom, fabrics (other than garments) and traditional folklore Handicraft textile products (India Items) are not subject to quantitative restraint. In the case of Export of all handloom fabrics made-ups and an Inspection endorsement by the Textiles Committee in Part-2 of the Combination form will be required. In respect of 'India Items'—appropriate certificate by the office of the Development Commissioner (Handicrfts) will be required. (iv) Export of garments other than 'India Items' shall be in conformity with classification as to categorisation under the bilateral agreement handloom origin, industrial institutional garments as indicated on the sample of garments authenticated by the Textiles Committee.
(iv) Export of Textile Products of Cotton and man-made fibre to Finland under the Memorandum of understanding between India and Finland.	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Apparels export Promotion Council for knitwears; and (b) The Wool & woollen Export Promotion Council for woollen Stocks. Necessary certification on shipping bills will however, be made by the Apparels Export Promotion Council for all garments or knitwear products. (ii) In the matter of allocation of export entitlement the Export Promotion Council will observe the guidelines issued by the Ministry of Textiles and will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism. (iii) Handloom fabrics of the cottage industry, handmade cottage industry products made of such handloom, fabrics (other than blouses and shirts and traditional folklore handicafts textile products) 'India Items, are not subject to quantitative restraints. Export of Handlooms Fabrics, made-ups and garments for which specific level is given would require an inspection Endorsement by the Textilels Committee in part-2 of the Combination Form. In the case of textile products falling under 'India Items' a certificate by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) will be required. (iv) Export of garments other than 'India Items' shall be in conformity with classification as to categorisation under the bilateral agreement, handloom origin, industrial/institutional garments, as indicated on the sample of garments authenticated by the Textiles Committee

1	2	3
	(v) Export to Norway of certain textile products made of Cotton, Wool and man-made fibres or blend thereof under the agreement between India and Norway	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) Cotton Textiles Export Promotion Council for made-up (b) The Apparel Export Promotion Council for garments and knitwear excluding woollen knitwear (c) Wool and Woollen Export Promotion Council for woollen fabrics, made-ups and woollen knitwear (but excluding woollen garments). Necessary certification on the shipping bills will be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council for made-ups and in respect of garment and woollen knitwear such certification will be made by the Apparel Export Promotion Council. (ii) In the matter of allocation of export entitlement, Export Promotion Council will observe the guidelines issued by the Ministry of Textiles and will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism. (iii) Handllom fabrics of cottage industry products made of such fabrics (other than garment items subject to specific limit) for traditional folklore handicraft textile products of the cottage industry 'India Items' are not subject to quantitative restraint. In so far as export of handloom made-ups and handloom-garment items which are given an extra level, are concerned, an inspection endorsement by the Textile Committee in Part 2 of the Combination Form will be required. In respect of 'India Items', appropriate certificate issued by the office of Development Commissioner (Handicrafts) will be required. (iv) Export of garment other than 'India Items' shall be in conformity with classification as to categorisation under the bilateral agreement, handloom origin, industrial/institutional garments as indicated on the sample of garments authenticated by the Textiles Committee.
	(vi) Export of certain Textile Products of cotton, wool and man-made fibre or blends thereof to Sweden under the Indo-Swedish Textile Agreement.	(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textile Export Promotion Council for made-ups excluding woollen made-ups. (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwear (excluding woollen knitwear); and (c) The Wool and Woollen Export Promotion Council for woollen made-ups and woollen knitwear. Necessary Certification on shipping bills will however, be made by the Cotton Textile Export Promotion Council for all made-ups (including woollen made-ups) and by the Apparels Export Promotion Council for all garments and knitwear (including woollen garments and knitwear).

1	2	3
		(ii) In the matter of allocation of export entitlement, the Export Promotion Councils will observe the guidelines issued by the Ministry of Textiles and will made efforts to ensure reasonable realisation floor price mechanism.
		(iii) Export of Handloom Fabrics and made-ups would require an Inspection Endorsement by the Textile Committee in part-2 of the Combination Form. For export of 'India Items' appropriate Certificse issued by the office of Development Commissioner (Handicrafts) will be required.
		(iv) Export of garments other than 'India Items' shall be in conformity with classification as to categorisation under the bilateral agreement, handloom origin, industrial/institutional garments as indicated on the sample of garments authenticated by the Textiles Committee.
(vii) Export to USA of Textiles made from Cotton, Wool, man made fibres, silk blended and vegetable fibres (excluding jute, and pure milk) under the Indo-US Textile Agreement.		(i) Against allocation of export entitlement by : (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabrics and made-ups (excluding woollen fabrics and made-ups). (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwear (excluding woollen knitwear). (c) The Wool and Woollen Export Promotion Council for woollen fabrics, made-ups and Wool-woollen knitwear (but excluding woollen garments). Necessary certification on shipping bills will, however, be made by the Cotton Textile Export Promotion Council for Woollen fabrics and made-ups and in respect of woollen knitwear such certification will be made by the Apparels Export Promotion Council.
		(ii) In the matter of allocation of export entitlement, Export Promotion Councils will observe the guidelinges issued by the Ministry of Textiles and will make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism.
		(iii) Handloom fabrics of the cottage industry, hand made cottage industry products made of such fabrics (other than garments) and traditional folklore handicraft textile products of the cottage industry (India Items) are not subject to quantitative restraints. In so far as exports of all handloom fabrics/made-ups are concerned an "Inspection Endorsement" by the Textiles Committee in Part-2 of Combination Form will be required. In respect of 'India Items' appropriate certificate issued by the Office of the Development Commissioner (Handicraft) will be required.

1	2	3
		(iv) Export of garments other than 'India Items' shall be in conformity with classification as to categorisation under the bilateral agreement, handloom origin, in-industrial/institutional garments as indicated on the sample of garments authenticated by the Textiles Committee.
	(viii) Export of Real Madras Handkerchief (RMHK) made on Handlom.	Export of Real Madras Handkerchief (RMHK) made on Handloom to Cotonou, Lome and Accra (Ghana) will be allowed both under Irrevocable Letter of Credit terms as well as CAD (Cash Against Documents) terms subject to declaration by the exporter that the Real Madras Handkerchief exported are made on Handloom. Export of RMHK on CAD terms will be allowed only to the extent the exporter produces a cover from the Export Credit and Guarantee Corporation Ltd. (ECGC).
	(ix) Textile Cloth and materials thereof of olive green shade excluding pure silk and artificial silk fabric and materials thereof (including hosiery).	Export shall be allowed subject to export contract registered with Apparel Export Promotion Council for garments and subject to registration with Cotton Textile Export Promotion Council for fabrics and made-ups.
60.	Tent and Tent Cloth of Olive Green Shade.	Export shall be allowed subject to registration of export contract with Cotton Textiles Export Promotion Council".
61.	Wool Tops made from imported wool excluding Wool Noils.	Wool Tops made from imported wool under Customs bonds".
62.	Wool and Timber, namely:—	
	(i) Processed Timber of all species.	Export of processed timber all species except red sanders wood will be allowed to all permissible destinations'.
	(ii) Sandalwood in the form of dust, chips, flakes nd powder.	"Export of chips of rough, irregular size and shape and of different sizes and with a weight not exceeding 50 grammes each will be allowed on production of Certificate of origin issued by the Chief Conservator of Forests for Andhra Pradesh, Tamil Nadu or Karnataka".
	(iii) Handicrafts made of Sandal Wood.	Export allowed on production of a certificate from the Regional Office of the Development Commissioner Handicrafts) to the effect that the value addition of Handicraft made of Sandal Wood is a minimum of 300 per cent of the average base price of sandal wood per M.T. announced by the Development Commissioner (Handicrafts) from time to time. Export of such sandal wood handicrafts shall be allowed, which are complete and have no scope for further mutilation of raw material. These shall not be semi-finished/rough carved or with superficial surface/etching.
	(iv) Machine Finished Sandal Wood Products, namely :— 1. Visiting Cards. 2. Blades for ladies hand fans. 3. Outer cases and dials of watches. 4. Any other product of similar nature meeting the above specification and value addition norms.	The maximum weight in respect of each of the item/products will be 25 gms. per piece and with minimum value addition of 250% for each.

LIST 2

PART 'D'

Items allowed for export by the Canalising Agencies.

The canalising Agencies mentioned in column 3 may export to any country except to a country to which export is prohibited by any law for the time being in force, the following goods, namely:—

S. No.	Items	Canalising Agency and address
1	2	3
1.	Chemicals, namely: –	
	(i) Benzene	Indian Oil Corporation, New Delhi.
	(ii) Paraffin Wax Type III.	Balmer Lawrie & Co., Calcutta.
2.	Gum Karaya.	The Tribal Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (TRIFED), New Delhi.
3.	Minerals ores and Concentrates, namely:—	
	(i) Thorium Ores and Concentrates.	Indian Rare Earths Limited, Bombay.
	(ii) Some other minerals, containing the following substances as accessory ingredients including:- (a) Columbite, (b) Monazite, (c) Samerskite, (d) Uraferraus allanite:	Indian Rare Earths Limited.
	1. Radium Ores & Concentrates 2. Thorium Ores and concentrates 3. Uranium Ores and concentrates 4 Uranium bearing tailings left over from ores after extration of copper or gold. 5. Zircon ores and concentrates, (including semi precious variety of Zircon Stones).	Kerala Minerals and Metals Limited.
	(iii) Granular Sillimanite produced by Indian Rare Earths Minerals and Metals Limited and Kerala Minerals and Metals Limited.	
	(iv) Iron Ore except Iron ore of Goa Origin when exported to China or Europe in addition to Japan, South Kerala and Taiwan and Iron Ore of Rodi Origin to all markets.	Minerals and Metals Trading Corporation.
	(v) Chrome Ores and conectrates, namely: – (i) Chrome Ore lumps with Cr_2 O_3 not exceeding 38 per cent. (ii) Low silica friable/fine ore with Cr_2 O_3 and Silica exceeding 4 per cent.	
	(vi) Manganese Ores excluding Lumpy blended Manganese Ore with more than 46 percent manganese.	
	(vii) All Grades of Bauxite, except Calcined Bauxite and Low Grade Bauxite with Alumina content Al_2 O_3 less than 54 percent of West Coast origin.	
	(viii) Manganese Ores excluding the following: Lumpy blended Manganese Ore with more than 46 per cent Manganese.	Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) Bangalore.
	(ix) Iron Ore concentrate prepared by Beneficiation and/or concentration of low grade ore containing 40 per cent or less of Fe produced by Kudremukh Iron Ore Company Limited.	
	(x) Iron Ore Pellets manufactured by Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) out of concentrate produced by it.	

1	2	3
4.	Niger Seeds	1. National Agricultural Co-operation Marketing Federation of India Ltd., (NAFED). 2. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED).
5.	Onions.	National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Limited (NAFED).
6.	(i) All Petroleum Products including lubricants, greases and crude oil; (ii) Lubricating Oil and Greases of Indian Origin.	Indian Oil Corporation Limited, New Delhi.
7.	Gum Resin	TRIFED and State Tribal Corporations.
8.	Mica Waste (including Factory cuttings) and scrap which is obtained by processing mica and which because of size and colour is considered below the specification of processed mica.	Mica Trading Corporation of India Limited/ Mineral and Metals Trading Corporation of India Limited.
9.	Pure Milk Ghee	National Dairy Development Corporation Ltd. (NDDC).
10	Cereal based weaning foods containing less than 50% milk solids by weight.	Agricultural & Processed Food Products Exports Development Authority, New Delhi.
11.	Powder Milk (Skimmed or full cream)/whole or infant milk food.	National Dairy Development Corporation Ltd (NDDC).
12.	Butter.	National Dairy Development Corporation Ltd., (NDDC).
13.	Stone Ballast/Pitching Stone of Bihar Origin.	Bihar State Export Corporation.
14.	Railway Wagons.	Project & Equipment Corporation of India Limited.

(iii) after Schedule I, the following Schedules, shall be inserted, namely:—

SCHEDULE II

OFFICERS COMPETENT TO GRANT LICENCE

1. Chief Controller of Imports and Exports.
2. Additional Chief Controller of Imports and Exports.
3. Export Commissioner.
4. A Joint Chief Controller of Imports and Exports.
5. A Deputy Chief Controller of Imports and Exports.
6. An Assistant Chief Controller of Imports and Exports.
7. A Controller of Imports and Exports.
8. A Collector of Customs.
9. A Superintendent /Assistant Collector of Central Excise.
10. Deputy Development Commissioner (Imports and Exports) Santa Cruz Electronic Export Processing Zone, Bombay.
11. Assistant Development Commissioner, (Imports & Exports) Santa Cruz Electronic Export Processing Zone, Bombay.
12. The Deputy Development Commissioner, FALTA Export Processing Zone, Falta, West Bengal.
13. The Dy. Development Commissioner, Madras Export Processing Zone, Madras.
14. The Joint Development Commissioner/Dy. Development Commissioner, New Okhla Industrial Development Area Export Processing Zone, Noida, U.P.
15. The Deputy Development Commissioner, Cochin Export Processing Zone, Cochin Kerala.

SCHEDULE-III

O.G.L. No. 1

Any person may export by land to any country adjacent to India and having no seaboard of its own, the following articles provided that they are intended for use of consumption in that country:—

Any goods included in Schedule I which are consigned under a procedure prescribed for regulating transit traffic.

O.G.L. No. 2

Any person may export to any country except to a country to which export is prohibited by any law for the time being in force the following bona fide samples, namely:—

1. Samples of Iron not exceeding 30 metric tonnes at a time provided the consignments are covered by a certificate by the following competent authority to the effect that the quantity of Iron Ore (including fines) is required for experimental purposes and that the quantity involved is the minimum required for the particular purpose.
   (i) Divisional Manager (Sales) Minerals and Metals Trading Corporation, New Delhi, for any area other than Goa.
   (ii) Iron Ore Adviser, Goa for Goa Iron Ore.
   (iii) Deputy Secretary, Department of Mines, New Delhi for consignments not covered under items (i) and (ii) above.

   Sample of Iron Ore concentrates prepared by benefication and/or concentration of low grade ore containing 40 per cent or less Fe, produced by Kudremukh Iron Ore Company Limited not exceeding 30 metric tonnes at a time can be exported by Kurdremukh Iron Ore Company Limited itself without obtaining a certificate from Minerals and Metals Trading Corporation.
2. Sample of wooden furniture by a registered exporter of wooden furniture for a value not exceding Rs. 10,000 per consignment.
3. Samples of text Books and other books for a value not exceeding Rs. 10,000 per consignment
4. Samples of drug formulations up to 10 per cent of the f.o.b. Value of the export consignment when exported along with the consignment itself. Such sample packings should prominently bear the marking' 'Physician's sample not for sale".
5. Samples of drug formulation which are physician's 'sample' and not for sale and not accompanying the export consignment shall not exceeds Rs. 25,000 in respect of each consignment.
6. However, no change has been made in Schedule II of the Export Policy. Similarly there is no change in the in OGL-1 and OLG-2 of Schedule III of the Import and Export Policy (Vol. II) 1990-93.
7. The existing OGL-3 and OGL-4, Schedule III of the Import and Export Policy (Vol. II) 1990-93, have been clubbed with Part 'C' and Part' D' of the new List-2, Schedule I, being notified now.
8. The above amendments have been made in the public interest.

[No. F. 19(8)/91-I—II]

D.R. MEHTA, Chief Controller
of Imports & Exports

Footnote:- The principal order published vide notification S.O. 272(E), dated the 30th March, 1990 and subsequently amended vide:-

E.C.O. No.	S.O. No.	Dated :
51.	330 (E)	17-4-90
52.	340 (E)	25-4-90
53.	359 (E)	30-4-90
54.	364(E)	4-5-90
55	402 (E)	23-5-90
56.	458 (E)	5-6-90
57.	463(E)	6-6-90
58.	464 (E)	7-6-90
59.	506 (E)	25-6-90

1	2	3
60.	586 (E)	25-7-90
61.	602 (E)	31-7-90
62.	605 (E	1-8-90
63.	634 (E)	10-8-90
64.	649 (E)	23-8-90
65.	653 (E	24-8-90
66.	656 (E	27-8-90
67.	668 (E)	30-8-90
68.	670 (E)	31-8-90
69.	677 (E)	4-9-90
70.	803 (E)	10-10-90
71.	807 (E)	22-10-90
72.	817 (E)	23-10-90
73.	819 (E)	25-10-90
74.	866 (E)	14-11-90
75.	885 (E)	22-11-90
76.	886 (E)	23-11-90
77.	920 (E)	28-11-90
78.	949 (E)	19-12-90
79.	958 (E)	26-12-90
80.	960 (E)	27-12-90
81.	50 (E)	31-01-90
82.	156 (E)	6-03-91
83.	165 (E)	8-03-91
84.	305 (E)	1-05-91
85.	337 (E)	16-05-91
86.	342 (E)	17-05-91
87.	381 (E)	4-06-91
88.	435 (E)	1-07-91
89.	464 (E)	18-07-91
90.	466 (E)	24-7-91
91.	500 (E)	5-08-91
92.	513 (E)	13-08-91
93.	521 (E)	14-08-91
94.	529 (E)	16-8-91
95.	543 (E)	22-8-91.

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992